ाला, खंड 13, अंक 24

मंगलवार, 30 अगस्त, 2005
8 भाद्रपद, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 59
Dated 3/7/09

(खण्ड 13 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 13, पांचवां सत्र/2005/1927 (शक)

अंक 24 मंगलवार, 30 अगस्त, 2005/8 भाद्रपद, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
राज्य सभा से संदेश	1
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	1
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	2
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	2
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	2-3
रेल संबंधी स्थायी समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	3
याचिका का प्रस्तुतीकरण	3-4
सदस्यों द्वारा निवेदन	4-22, 41-42
(एक) बिहार के राजगीर में नालन्दा आयुध निर्माण कारखाना के निर्माण कार्य को कथित रूप से बंद किए जाने के बारे में	4-10
(दो) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री की पत्नी को वकील के रूप में कथित रूप से नियुक्त किए जाने के बारे में	10-12
(तीन) पश्चिम बंगाल के बोलपुर स्टेशन पर अगस्त क्रांति शहीद स्तम्भ की स्थापना के बारे में	41-42
नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	22-25
नियम 377 के अधीन मामले	62-73
(एक) गुजरात के जूनागढ़ जिले के गिरनाथ पर्वत पर ट्रॉली सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	62-63
(दो) जी. एन. बी. विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन फिर से शुरू करने हेतु धावन पथ को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनवर हुसैन	63
(तीन) वलसाड, गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को भाईलाड्–नारोल–सेलवास–दमन मार्ग को जोड़ने वाले क्रासिंग पर उपरि पुल बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री किसनभाई वी. पटेल	63-64

विषय	कॉलम
(चार) बीबीनगर से नादिकुडि तक के रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण संबंधी लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने तथा आन्ध्र प्रदेश में ओबुलावारीप्ली और कृष्णपत्तनम पोर्ट के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री रायापति सांबासिवा राव	64-65
(पांच) बोकारो इस्पात संयंत्र, झारखंड के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र शेखर दूबे	65
(छह) 2001 की जनगणना के आधार पर उत्तरांचल विधानमंडल में सीटों के परिसीमन संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	65-66
(सात) भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस हर रोज चलाए जाने तथा हजरत निजामुद्दीन और भुवनेश्वर के बीच कटक से होकर दो राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री जुएल ओराम	66-67
(आठ) कृत्रिम सूत पर से शुल्क हटाए जाने के अलावा विस्कोस और फिलामेन्ट यार्न पर प्रतिपाद्न शुल्क लगाए जाने की पहल को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री काशीराम राणा	67
(नौ) जोधपुर–बाड़मेर और जोधपुर–जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य शुरू किए जाने तथा जोधपुर जिला के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति भी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	67
(दस) आई आर सी टी सी लिमिटेड द्वारा रेलगाड़ियों में पैन्ट्री कार की संविदा दिए जाने में अपनाई जा रही प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	68
(ग्यारह) दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता की राजस्व आय बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों के समय आबंटन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	68-69
(बारह) केरल में कायमकुलम फिशरी हार्बर बनाए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सी. एस. सुजाता	69
(तेरह) हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के निरन्तर क्षय की जांच किए जाने की आवश्यकता	
श्री रेवती रमन सिंह	69-70
(चौदह) हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	70

विषय कॉलम

(पन्द्रह) बिहार में पोठही और नादौल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 की उचित मरम्मत और रख–रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश प्रसाद सिंह 70

(सोलह) मिसरिख संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थ को बढ़ाया देने के उद्देश्य से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 71

(सत्रह) लोगों की सुविधा के लिए परभनी डाक जिले के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत महाराष्ट्र के परभनी जिले के सभी गांवों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील 71

(अठारह) महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत मुहैया कराए जाने हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती निवेदिता माने 71-72

(उन्नीस) सुंदरवन वाटरवेज को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 72

(बीस) देश के भूमिहीन अनुसूचित जाति और गरीब जनता के बीच अधिशेष भूमि का बंटवारा करने के उद्देश्य से पर्यावरण और वन–संरक्षण अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 72-73

(इक्कीस) मुम्बई महाराष्ट्र में शहरी नवीकरण कार्यक्रम के लिए 800 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की आवश्यकता

श्री मिलिन्द देवरा 73

रेल अभिसमय समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प

तथा

रेल (संशोधन) विधेयक, 2005 74-94

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डा. सुजान चक्रवर्ती 76-78

श्री शैलेन्द्र कुमार 79-80

श्री निखिल कुमार 80-83

श्री प्रकाश परांजपे 83

श्री प्रसन्न आचार्य 84-85

श्री राम कृपाल यादव 85-86

विषय	कॉलम
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	87-88
श्री ए. कृष्णास्वामी	88
श्री मित्रसेन यादव	89
श्री लालू प्रसाद	89-93
खंड 2 से 4	94
पारित करने के लिए प्रस्ताव	94
विदाई उल्लेख	94-100
अध्यक्ष महोदय	94-97
डा. मनमोहन सिंह	98-100
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	100
राष्ट्रगीत	100

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी. डी. टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार 30 अगस्त, 2005/08 भाद्रपद, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर पत्र रखे जाएं।

पूर्वाह्न 11.00¼ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 29 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 24 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

पूर्वाह्न 11.00½ बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 26 जुलाई, 2005 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चौदहवीं लोक सभा के पांचवे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2005;

(दो) बिहार विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 2005;

(तीन) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2005;

(चार) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2005;

(पांच) विनियोग (रेल) विधेयक 3 विधेयक, 2005; और

(छह) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2005

पूर्वाह्न 11.04¾ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 13 मई, 2005 को हुई चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की वर्ष 2004–05 की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय–तीन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित

विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) 'डीलर चयन बोर्डों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित करने में सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने' के बारे में पूर्ववर्ती पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के उनचासवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिश पर सरकार द्वारा आगे कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण; और

(दो) 'सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की विपणन योजनाएं और उनका कार्यान्वयन' के बारे में पूर्ववर्ती पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय – एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनवर हुसैन (धुबरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं 'भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2005-2006) का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : महोदय, मैं महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा उड़ीसा सरकार की पुनर्वास नीति – 1989 को कार्यान्वित नहीं किए जाने तथा अन्य संबद्ध मामलों के बारे में तलचर, जिला अंगुल, उड़ीसा के सर्वश्री कालिन्दी समल और चित्तरंजन प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 2832/05)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) बिहार के राजगीर में नालदा आयुध निर्माणी कारखाना के निर्माण कार्य को कथित रूप से बंद किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, इस सत्र के दौरान आपके द्वारा मुझे तथा सभी सभापतियों को दिए गए शानदार सहयोग के कारण मैं यथासंभव माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देने का प्रयास करूंगा। आप मेरी बात का विश्वास कर सकते हैं कि मैं सत्र के अंतिम दिन ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की अनुमति देने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं।

मुझे श्री नीतीश कुमार और श्री प्रभुनाथ सिंह से स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। मैं इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको मामला उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया संक्षेप में बोलिए ताकि अन्य माननीय सदस्य अन्य मुद्दे उठा सकें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रान्त के नालन्दा जिले में राजगीर में नालन्दा आयुध कारखाना के निर्माण के लिये 2001 में स्वीकृति मिली थी। तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने उसकी आधारशिला रखी थी। उसके बाद उसका निर्माण कार्य चल रहा है। जहां तक निर्माण कार्य में सिविल कार्य का सवाल है, वह काफी हद तक पूरा हो चुका है। कालौनी का निर्माण, वर्कशाप का निर्माण और जहां से लोग विस्थापित हुये हैं, उनके लिये घर बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है लेकिन कुछ ऐसे बचे हुए छोटे-मोटे काम जिसमें बिजली का काम प्रगति पर है लेकिन इस बीच में यह जानकारी मिली है कि कारखाने के काम को रोका जा रहा है। मुख्य तौर पर जो प्लाट लगाने का काम है, वह प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है और उसे रोक दिया गया है। इस बीच में रक्षा मंत्रालय द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी

को कहा गया है कि वह इस बात को देखे कि जो कुछ भी फैसिलिटी राजगीर में नालन्दा कारखाने के लिए स्थापित की गई है, उसका और किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। उस कारखाने में (बी.एम.सी.एस.) बाई मोडयुलर चार्ज सिस्टम का निर्माण होना था और यह जानकारी मिली है कि कमेटी को यह भी कहा गया है कि वह पता लगाये कि बी.एम.सी.एस. का निर्माण दूसरे किसी आयुध कारखाने में कहां बनाना संभव हो सकता है। जबकि बी.एम.सी.एस. के लिए जो टैक्नोलोजी आयात की जानी थी, वह आयात की जा चुकी है। अब सिर्फ प्लान्ट लगाना बाकी था। लेकिन अब इस काम को रोक दिया गया है। इस बात को लेकर वहां लोगों में बहुत आक्रोश है। देश में संभवतः 49 आयुध कारखाने हैं, उनमें से एक भी बिहार में नहीं है। बंगाल में 4 कारखाने हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं, मध्य प्रदेश में 6 हैं, महाराष्ट्र में 7 हैं और तमिलनाडु में 6 हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी आयुध कारखाने हैं, लेकिन बिहार में एक भी आयुध कारखाना नहीं है। वहां एकमात्र यह आयुध कारखाना बन रहा था और उसका काम तेजी से हो रहा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी वर्ष 2003 में वहां विजिट कर चुके हैं। इन सब चीजों के बाद पता नहीं किन कारणों से उस आयुध कारखाने को बंद करने की साजिश हो रही है, जबकि उसके लिए टैक्नोलोजी आदि सब कुछ भारत के पास उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में दूसरे किसी आयुध कारखाने में इस काम को शिफ्ट करना समझ से परे है। वहां अखबारों में यह खबर छपी है कि इसे पानागढ़ में ले जाने की बात हो रही है। इसे लेकर वहां एक आक्रोश का वातावरण पैदा हुआ है। बिहार में पहले से ही उद्योग नहीं है। केन्द्र सरकार ने वहां एक उद्योग लगाया था, अब उस उद्योग को भी वहां से हटाया जा रहा है। हम कुछ सांसद, जिनमें श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह तथा वहां के कुछ लोगों को साथ में लेकर माननीय रक्षा मंत्री जी से पिछले सप्ताह मिले थे और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है तथा उनमें आग्रह किया है कि इस संबंध में आप पूरी स्थिति स्पष्ट कर दें। वहां इस कारण रोज–रोज स्थिति और गंभीर होती जा रही है। बिहार में एक वातावरण बनता जा रहा है कि जानबूझकर बिहार की उपेक्षा हो रही है। चूंकि बिहार की कोई आवाज नहीं है, इसलिए बिहार को दबाया जा रहा है। जो चीज मंजूर हो चुकी है, जिस पर काम हो चुका है, यह सब उस काम को बंद करने की एक साजिश है। यहां सदन के नेता और देश के माननीय रक्षा मंत्री, श्री प्रणव बाबू बैठे हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि यह काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और एक समय सीमा के अंदर उस कारखाने के निर्माण कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। इस संबंध में जो वस्तुस्थिति है, यदि आप उसका खुलासा कर देंगे तो वहां के लोगों के मन में एक संदेह का भाव पैदा हुआ है कि यह कारखाना वहां से हटाया जा रहा है, वह दूर हो जायेगा। वरना वहां लोगों में भ्रम है कि यह कारखाना यहां से हटाया जा रहा है और यदि यह कारखाना वहां से हटाया गया तो आपको वहां एक जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि यह काम न किया जाए और जो कमेटी इस मकसद के लिए बनाई गई है, उस कमेटी को यह पता लगाने के लिए कहा गया है। जब तक वह कमेटी रहेगी, लोगों में भ्रम रहेगा। इसलिए आप उस कमेटी को भंग कीजिए और तत्काल वहां प्लान्ट लगाने का काम शुरू कीजिए। वहां सिविल का काम डी.आर.डी.ओ. कर रहा है और बाकी काम किनसे कराना है, यह आप जानते हैं, वह काम किस एजेन्सी से करवाना है, उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी इसमें है कि वहां कारखाना बने। यह बिहार का एकमात्र आयुध कारखाना है। इस कारखाने के बारे में कहा गया था कि वह दुनिया का दूसरा और देश का पहला अत्याधुनिक आयुध कारखाना होगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि इसे उठाकर अन्यत्र न ले जाया जाए। इस कारखाने की एक समय–सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और इस संबंध में सारी वस्तुस्थिति यदि माननीय रक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, आप बोलिये। आपके पास एक मिनट 15 सैकिन्ड्स का समय है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हमने अपने सवाल को यहां रखा है। हमारे कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य लोक सभा को स्थगित करना नहीं, बल्कि अपनी भावना सरकार तक पहुंचना है। इस संबंध में श्री नीतीश कुमार जी ने विस्तार से चर्चा की है। इस पर हम लम्बा भाषण नहीं देना चाहते हैं, हम सिर्फ दो बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। जब–जब बिहार में विकास की कोई बात सामने आती है तो पूरे देश में विरोध का स्वर उठता है। जब बिहार में हाजीपुर जोन का निर्माण हो रहा था तो बंगाल में आंदोलन चल रहा था। अब बिहार में एक आयुध कारखाने का निर्माण हो रहा है, यह काम राजग सरकार के जमाने में शुरू हुआ था, तो आज फिर अखबारों में यह छप रहा है कि यह कारखाना उठकर पानागढ़ में जायेगा, यानी बंगाल में जायेगा। इस कारण लोगों के मन में शंका और भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। महामहिम राष्ट्रपति जी जब वहां गये थे तो उन्होंने कहा था कि यह दुनिया का दूसरा और देश का पहला अत्याधुनिक कारखाना बनेगा। ऐसी स्थिति में उनकी यह भावना थी कि इस कारखाने का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र हो।

महोदय, हमने आपको वचन दिया था कि हम एक मिनट 15 सैकिन्ड का समय लेंगे। हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं।

हम मंत्री जी से मिले हैं और मंत्री जी अभी सदन में उपस्थित भी हैं। अतः मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वे अपनी भावना सदन में रख देंगे तो बिहार में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, वह समाप्त हो जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत – बहुत धन्यवाद। आज आप एक आदर्श सदस्य है। श्री सुशील कुमार मोदी, लेकिन केवल इसी मुद्दे पर।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय नीतीश जी ने सभी बातें विस्तार से रखी हैं। मैं केवल एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मुझे जानकारी मिली कि दक्षिण अफ्रीका की जिस डेल नामक कंपनी को प्लांट और मशीनरी का काम दिया गया था, उस पर सीबीआई की जांच इस कारण से चल रही है कि वह कंपनी वहां पर प्लांट और मशीनरी की आपूर्ति करने में शायद सक्षम नहीं है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सीबीआई जांच के कारण डेल कंपनी को प्लांट और मशीनरी का जो ठेका रद्द किया गया है। किसी दूसरी कंपनी से तत्काल बातचीत करके, राजगीर में ऑर्डिनैंस फैक्ट्री के लिए प्लांट एंड मशीनरी की आपूर्ति का काम किया जाए, क्योंकि इस पर 400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुका हैं और 2000 एकड़ से अधिक ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। जहां केन्द्र सरकार का इतना खर्च हुआ है, मैं आग्रह करूंगा कि इस पानागढ़ बंगाल में न ले जाया जाए और हर हालत में इसे बिहार में ही बनाने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया संक्षेप में बोलिए। अन्यथा मैं आपको आपके मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : फिर तो हम बैठ ही जाते हैं। अभी तो हम एक मिनट नहीं बोले हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं क्योंकि आज मैं थोड़ी ढिलाई बरत रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं तो आपकी आज्ञा का अनुपालन करता हूं। एक बात मुझे निवेदन करनी है कि बिहार में जो अत्याधुनिक आयुध कारखाना बनाने की बात थी, जो हिन्दुस्तान का एकमात्र इस प्रकार का कारखाना है, इस कारखाने को बिहार से बाहर ले जाने की बात पर जिस तरह से भ्रम पैदा हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : कारखाना कहां खुला है अभी तक?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : कारखाना खुला नहीं है लेकिन कारखाने को हटाने की बात पर जो भ्रम पैदा किया जा रहा है।

श्री लालू प्रसाद : वहां तो क्वार्टर भी बन गए हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : वहां क्वार्टर भी बन गए हैं और कुछ सिविल कार्य भी शुरू हो गया है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसको वे स्पष्ट करे ताकि उस कारखाने के संबंध में जो भ्रम फैलाने का काम हो रहा है, वह साफ हो जाए। यह बिहार से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री देवेन्द्र सिंह यादव द्वारा कही जा रही बात को कार्यवाही – वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। इसके बाद श्री अनन्त कुमार अपना मुद्दा उठाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, लालू जी बैठे–बैठे बोल रहे हैं। हम चाहेंगे कि वे खड़े होकर अपने विचार व्यक्त करें तो बिहार की जनता को उनकी भावनाएं समझने का मौका मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : उनके खड़े होने से बहुत से माननीय सदस्य चले जाते हैं, इसलिए वे खड़े नहीं होना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, कृपया बैठ जाइए। मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : जी नहीं, महोदय। मुझे अवसर देने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि कुछ गंभीर बात हुई है...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही – वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, माननीय मंत्री पहले उत्तर देना चाहते हैं।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, सामान्यतः इसका उत्तर देने की प्रथा नहीं है। मैं समझता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव के रूप में यहां आया है लेकिन मुझे ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री प्रणब मुखर्जी : सबसे पहले मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब श्री नीतीश कुमार और श्री प्रभुनाथ सिंह मुझसे मिले तो मैंने उन दोनों से क्या कहा। मैंने उन्हें स्थिति स्पष्ट की। मैं नहीं जानता कि यह किसकी कल्पना है कि फैक्टरी को पानागढ़ में स्थानांतरित किया जा रहा है। वे नहीं जानते कि पानागढ़ में क्या है। पानागढ़ में कोई आयुध फैक्टरी नहीं है। वहां केवल एक हवाई अड्डा है। बंगाल में कुछ आयुध फैक्टरियां हैं लेकिन पानागढ़ में नहीं।

काशीपुर सबसे पुरानी फैक्टरी है जिसकी स्थापना 200 वर्ष पूर्व ईस्ट इंडिया कम्पनी ने की थी। अतः, यह किसी की कोरी कल्पना है। यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमें हाल में पता चला है कि डेनल कम्पनी संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति हेतु एजेंट नियुक्त किया जिसकी आपूर्ति डैनल कम्पनी को करनी थी और जो संविदागत दायित्व के विरूद्ध था। इसके परिणामस्वरूप डेनल कम्पनी के साथ कारबार स्थगित कर दिया गया है। तत्पश्चात् इस मुद्दे में कुछ परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के बारे में भी मुझसे मिलने आए इन दो माननीय सदस्यों को बताया गया यथा दक्षिण अफ्रीकी सरकार के एक मंत्री आए और उन्होंने मुद्दे का समाधान करने की कोशिश की। अतः यह मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।

फैक्टरी को बिहार से पानागढ़ अथवा किसी अन्य स्थान में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह पश्चिम बंगाल के लिए बुरी और बिहार के लिए अच्छी खबर है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ऐसा बयान देकर माननीय सदस्य ने सारे देश के लोगों के जज्बात को भड़काने की बात की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं अपने आरोपों को दोहराता हूं। मैं अपने सभी आरोपों को दोहराता हूं।

[अनुवाद]

मैं कल लगाए गए सभी आरोपों को दोहराता हूं। ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.15 बजे

(दो) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री की पत्नी को वकील के रूप में नियुक्त किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल शर्मा, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ, आप एक सैकेंड के लिए बैठ जाइए। हम आपको परमानेंटली बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं। माननीय सदस्य प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा किसी मुद्दे पर काफी गंभीर हैं। वे इसे यहाँ उठा सकते हैं। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को इस तरीके से यहाँ उठाया जाना चाहिए जिससे कि सभा की गरिमा बनी रहे। उचित शालीनता एवं प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : महोदय, एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हुई है और बहुत गंभीर घटना घटी है कि भारत के वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी की पत्नी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पत्नी आपकी भी होती है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उनके अपने महकमें में सैंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सिस की ओर से कोर्ट में पेश हुई। महकमे की तरफ से उन्होंने फीस भी ली और अन्य केसों में भी अपियर हो रही हैं। कल चिदम्बरम जी ने राज्यसभा में एक बयान दिया था, लेकिन लोकसभा में कोई बयान नहीं दिया है। मंत्री जी ने राज्यसभा में कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि ऐसी कोई घटना हुई है। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको इस विषय में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय वक्तव्य देने को तैयार हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह एक सार्वजनिक रूप से दिया गया वक्तव्य है। यह केवल दूसरे सदन में ही नही बल्कि सभा से भी बाहर दिया गया वक्तव्य है जिसमें उन्होंने इस घटना से अनभिज्ञता जाहिर की है।

[हिन्दी]

इसका मतलब यह है कि इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि यह गलत काम हुआ है और यह अनुचित है, अनैतिक है और आपत्तिजनक है। यह उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें मालूम नहीं था कि ऐसी कोई घटना हुई है।

अध्यक्ष जी, दूसरी बात यह है कि उन्होंने यह बात कही कि उन्होंने यह मान लिया है कि यह आपत्तिजनक है। क्या कोई मंत्री यह कह सकता है कि उनके यहां कोई गलत काम हुआ है या भेदभाव हुआ है या इस प्रकार से कोई आपत्तिजनक काम हुआ है और उन्हें इस बारे में मालूम नहीं था? क्या इग्नोरेंस आफ लॉ का कोई एक्सक्यूज है और क्या जनतंत्र में कोई मंत्री ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : मंत्री जी ने जो बातें नहीं कही हैं, आप उन्हें एट्रीब्यूट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

जो बातें नहीं कही गयी हैं आप वे बातें आरोपित कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय एक वक्तव्य देंगे। मैं मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय की सहायता नहीं कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। मैं सभा को नियंत्रित रखने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील, यह तरीका नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर आकर कीजिए।

[अनुवाद]

आप अपनी पार्टी के सदस्यों को भी नियंत्रित रख सकते है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय की सहायता नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा करके अपना या मंत्री महोदय का उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे हैं। उन्हें वक्तव्य देने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. के. खारवेन्थन (पलानी) : वे उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वे ऐसे मुद्दों पर कई बार उच्चतम न्यायालय में उपस्थित हो चुकी हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे? कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह कोई मिनिस्टर का काज़ का सवाल नहीं है। यह जनतंत्र का काज़ है। यह यहां की नैतिकता का सवाल है। यह मंत्री जी का सवाल नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सदस्यों के नाम पुकारना शुरू करूंगा। अब सत्र के आखिरी दिन मैं कुछ सदस्यों के नाम लेकर पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य से हम ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं जो कि यहाँ सभा में उपस्थित नहीं है। यहाँ पर उनके व्यवहार पर प्रश्न उठाया जा रहा है। और वह स्वयं यहाँ आकर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकती। विभिन्न व्यवसायों, जैसे डॉक्टरों, अधिवक्ताओं, इंजीनियरों इत्यादि के सदस्यों द्वारा व्यावसायिक शिष्टाचार का उल्लंघन को देखने वाले व्यावसायिक निकाय हैं। यदि इस व्यवसाय के माननीय सदस्य द्वारा शिष्टाचार का उल्लंघन किया जाता है तो वास्तव में, इस मुद्दे की जाँच उनके द्वारा की जानी चाहिए।

तथापि, वह इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं और मैंने इसकी अनुमति दी है। श्री मल्होत्रा, आपने अपनी बात रख दी है। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से जवाब देने के लिए कहूंगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, कुछ भी नहीं कहा है और न मैं ऐसा कह सकता हूं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या कोई मंत्री ऐसा कह सकता है कि उसे मालूम नहीं है कि उसके विभाग में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है या भाई-भतीजावाद हो रहा है अथवा ये सब चीजें हो रही हैं। क्या कोई मंत्री ऐसा कह सकता है कि उसके विभाग में जो हो रहा है, उसे मालूम नहीं है? क्या वह ऐसी प्ली ले सकता है कि उसके विभाग में जो हो रहा है, वह उसे मालूम नहीं है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह अपने विचार रख रहे हैं, बंसल जी आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष जी, विभाग और घर, दोनों में,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

आप अपने नेता की सहायता नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी इसका भी जवाब दे सकते थे क्योंकि ऐसे बहुत से केस होंगे, जिनमें इसी प्रकार से, उनकी एपीरिएंस उन्हीं के विभाग में हुई होगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें उत्तर देने का एक अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : बहुत से उद्योगपतियों की ओर से, उन्हीं के विभाग में, उनकी एपीरिएंस हुई होगी, उन सबके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है, यह कैसे सम्भव है? यह उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुशील कुमार मोदी, आप केवल अपने को श्री मल्होत्रा से सम्बद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और कहनी है। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सुशीलजी, आप एक वरिष्ठ राजनेता हैं। आप मुझे पूर्व सूचना दिये बिना कोई आरोप नहीं लगा सकते। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री खारबेल स्वाईं, मैंने आपका नाम बुलाया है।

श्री मोदी, कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं ऐसा आरोप लगाने की अनुमति नहीं दूंगा। यह सर्वथा अनुचित है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। परन्तु वे बिना किसी सूचना के ऐसा नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री मोदी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है;

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप साधारण रूप से स्वयं को सम्बद्ध कर सकते थे।

...*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, सी.बी.डी.टी. ने कहा है कि अधिवक्ता की नियुक्ति का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। मेरा मुददा यह है कि सी.बी.डी.टी. ने किसी भी तरह इसके लिए श्रीमती नलिनी चिदम्बरम की नियुक्ति

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्यों की? इसका आशय वित्त मंत्री का अनुग्रह प्राप्त करना था जिनके अंतर्गत सी.बी.डी.टी. कार्यरत हैं।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 1996 से उनकी पत्नी स्वेच्छा से आयकर विभाग से संबंधित किसी भी मामले के पक्ष या विपक्ष की सुनवाई में उपस्थित होने से बची है।। यदि ऐसी बात है तो इस मामले में वे क्यों उपस्थित हुईं।

अध्यक्ष महोदय : अपने विरुद्ध लगाये गए इस आरोप का वे कोई जवाब नहीं दे सकती हैं?

श्री खारबेल स्वाईं : राजा को विवादों से परे होना चाहिए। यह अनौचित्य की बात है।

अध्यक्ष महोदय : आप पूछ रहे हैं कि वे उपस्थित क्यों हुई। क्या वे इसका जवाब यहाँ दे सकती हैं?

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील, आप अपने मैम्बर को बैठने के लिए कहिए। आप उस समय हमें तो कह रहे थे।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। मैं केवल एक वाक्य और कहूंगा।

अंत में, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि सदा ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में आयकर मामलों से संबंधित अधिकांश मामले श्रीमती चिदम्बरम को दिये जा रहे हैं....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, आपको केवल स्वयं को सम्बद्ध करना था। कृपया बैठ जाइए। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैं आपको एक अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गलत बात है कि अनावश्यक रूप से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. राम गोपाल यादव, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा आपकी बात में किसी ने व्यवधान नहीं किया, प्रो. राम गोपाल यादव ने आपके भाषण में व्यवधान नहीं किया था।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या इस देश में किसी राजनीतिक व्यक्ति का संबंधी होना, किसी मंत्री का संबंधी होना और यदि वह व्यक्ति कहीं काम करे तो किसी राजनैतिक व्यक्ति का संबंधी होने के कारण क्या वह डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यह जो व्यवस्था है, आप जानते हैं कि यहां पर बहुत से वरिष्ठ वकील बैठे हुए हैं। कोई भी क्लाइन्ट यदि किसी वकील के पास जाता है और एक्ट के हिसाब से यदि वह दूसरी पार्टी का वकील नहीं है तो वह मना नहीं कर सकता है। यदि मैं कपिल सिब्बल जी को एंगेज करना चाहता हूं और मेरे खिलाफ वकील नहीं है। उन्हें मेरा आग्रह स्वीकार करना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह राजनीतिक लोगों का एक–दूसरे के खिलाफ लांछन लगाने से कोई लाभ नहीं होता है। इससे नुकसान ही होता है। इस तरह की बातें यहां उठाने की इजाज़त भी नहीं देनी चाहिए। यह जो बात कह रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। यदि कोई अधिवक्ता बहुत सक्षम है तो उनकी नियुक्ति की जा सकती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, यह सांविधिक औचित्य के विरूद्ध है। जब मंत्री शपथ लेता है तो यह कहते हुए शपथ ग्रहण की जाती है कि जानते हुए या अनजाने में वह किसी का पक्ष नहीं लेगा। चाहे यह अनजाने में ही किया गया है परन्तु यह आचार विरूद्ध एवम अनैतिक है। अतः मंत्री महोदय को इसे स्वीकार करना चाहिए और त्यागपत्र देना चाहिए क्योंकि यह बहुत अनैतिक बात है। उन्होंने किसी का भी पक्ष न लेने की शपथ ली है। यह उनके द्वारा अपनी पत्नी का पक्ष लेना है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में महिलाओं के मान–सम्मान के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए इस सदन में चर्चा हुई थी और सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत थे कि महिलाओं के मान–सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन एक महिला के नाम पर

जो इस सदन की सदस्य नहीं हैं और इस सदन में उपस्थित नहीं है, उसका नाम इस तरीके से घसीटा जाना असंगत और अशोभनीय है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. एम. रामदास, आप सिर्फ एक सेन्टेन्स में कहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, हमें सुनना चाहिए उन्होंने ऐसा मामला उठाया है जिसे वह महत्वपूर्ण समझते हैं। माननीय सदस्य को इसे उठाने का अधिकार था। कुछ अन्य माननीय नेता भी अपने विचार रख रहे हैं। मैंने श्री त्रिपाठी को भी बुलाया है जिन्होंने बहुत जोरदार तरीके से अपनी राय प्रकट की है। अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं मंत्री महोदय को बुलाऊंगा। हम इस का समाधान निकाल सकते हैं।

प्रो. एम. रामदास : मेरे विचार से यह अनावश्यक विषय है। जिस पर संसद में बहस की जा रही हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रामदास जल्दी कीजिये। एक मिनट में समाप्त कीजिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट के लिए बोलेंगे। आप यस या नो कहकर बैठ जाइए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप अपनी ही पोजिशन और खराब कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मंत्री जी ने कहा है कि वह इसका समर्थन नहीं करते *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी माननीय मंत्री पर आऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप शान्त रहिए। यदि हाउस शांत रहेगा तभी काम सही ढंग से हो सकेगा।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास : महोदय, मेरा निवेदन है कि श्रीमती नलिनी चिदम्बरम देश के उत्कृष्ट वकीलों में से एक हैं। वह एक बहुत सक्षम वकील हैं। जिनका वित्त मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय द्वारा, जहां भी उनके कौशल और योग्यताओं की जरूरत हो, उपयोग किया जा सकता है। केवल इसीलिए कि वह एक मंत्री की पत्नी हैं उनकी प्रतिभा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उस स्थिति में किसी भी राजनीतिज्ञ के पास पुत्र अथवा पुत्री अथवा पुत्रवधू अथवा पत्नी के रूप में एक सक्षम व्यक्ति नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, अपना भाषण एक मिनट में समाप्त कीजिये।

प्रो. एम. रामदास : इसलिए मैं समझता हूं कि मंत्री का नाम अनावश्यक रूप से मामले में नहीं घसीटा जाना चाहिए। कुछ भी अनुचित नहीं हुआ है।*...(व्यवधान)* कुछ भी असंवैधानिक नहीं हुआ है *....(व्यवधान)* और वित्त मंत्री, जिनकी छवि अच्छी है उनका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाना चाहिए*...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, वकील की नियुक्ति के संबंध में क्या हुआ है, माननीय वित्त मंत्री को इसके बारे में इस सभा में स्पष्टीकरण देना चाहिए। निश्चित तौर पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक बहुत सक्षम पेशेवर हैं। फिर भी क्योंकि वह माननीय वित्त मंत्री की बहुत करीबी संबंधी हैं इसलिए उन्हें इस सभा में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। ये लोग दोहरा मानदंड अपना रहे हैं। *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.32 बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन टिप्पणियों की अनुमति नहीं दी है। मैंने इन्हें कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। आप मामले को तूल दे रहे हैं। आप इसे उलझा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री गुरूदास दासगुप्त।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करते रहिए, देश को अपना व्यवहार देखने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं श्री पी. चिदम्बरम को नियम 357 के अधीन वक्तव्य देने की अनुमति देता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री पी. चिदम्बरम को नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति देता हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये। माननीय वित्त मंत्री एक वक्तव्य दे रहे हैं। उन्हें अपनी बात कहने का हक है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने ऐसा नहीं कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसलिए हमने उसे रिकार्ड से डिलीट करवा दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैं आपकी बात पर ध्यान नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री बोलेंगे। मैं इस तरफ के सभी माननीय सदस्यों से अपने स्थानों पर वापस जाने का अनुरोध करता हूँ। मैंने उसे हटा दिया है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष जी, इनका यह तरीका ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए हमने भी तो बोला कि यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

इसीलिए, मैंने इसे हटा दिया है। वह अनुमत्य नहीं है। ऐसा कहना गलत था। मैंने इसे हटा दिया है। मैंने कहा कि ऐसा कहना गलत था।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें हम क्या कर सकते हैं। वह बात प्रोसीडिंग्स में नहीं आएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी टिप्पणी दे दी है कि यह ठीक नहीं था। अब, कृपया अपने–अपने स्थानों पर चले जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब तक आप इतना कोआपरेट करते रहे हैं, लेकिन आखिरी दिन रिकार्ड क्यों खराब कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके अपनी–अपनी सीटों पर वापिस चले जाइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.34 बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शोर मत कीजिये। मैं ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं दूंगा। श्री राम कृपाल यादव। आप अपने अथवा सभा के साथ कोई न्याय नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने किसी बात पर आपत्ति उठाई है और मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी है। मैंने अपनी टिप्पणी की है कि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था। आप ओर क्या चाहते हैं?

अब, माननीय मंत्री।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था। परन्तु शोर–शराबे के कारण मैं बोल नहीं सका। अब कृपया मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया एक वाक्य में अपनी बात कहिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, क्या मैं सादर निवेदन कर सकता हूं कि यह नहीं था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हर व्यक्ति अध्यक्षपीठ का आदर करता है। देश देख रहा है कि अध्यक्षपीठ के प्रति कितना आदर प्रदर्शित किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मेरा कहना है कि श्रीमती चिदम्बरम का इस मामले को लेना ठीक नहीं था और श्री चिदम्बरम को इसकी जानकारी रखनी चाहिए थी कि क्या हो रहा है। किंतु इसके साथ ही मेरा यह भी कहना है कि सरकार को बदनाम करने के लिए इस मामले का अनावश्यक रूप से राजनीतिकरण किया जा रहा है। मेरा उनसे कहना है : "शीशे के घरोंदे से पत्थर मत फेंकिये;...आपकी बहुत सी शिकायतें ऐसी हैं। *

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, आप इसे कार्यवाही से निकलवा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने इसे आलरेडी निकलवा दिया।

[अनुवाद]

उसे निकाल दिया गया है। सुझाव के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आप इसे बार–बार क्यों कह रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिये। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। जब मदद की जरूरत होगी तब हम आपसे मांगेंगे।

पूर्वाह्न 11.37 बजे

नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें उनकी बात सुननी चाहिए। आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। आपके अनुसार वह दोषी है। ऐसे में तो उनका हक बनता है कि उनकी बात सुनी जाये।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में और आप द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में मैं प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 357 के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मीडिया में इस आशय की खबरें आयी हैं कि श्रीमती नलिनी चिदम्बरम को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में विशेष परामर्शदात्री के रूप में नियुक्त किया गया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 26 अगस्त, 2005 को जारी किये गये अपने एक बयान में बताया कि आयकर विभाग, चेन्नई की वरिष्ठ स्थायी परामर्शदात्री श्रीमती पुष्पा सीतारमन ने किन परिस्थितियों में बोर्ड की अनुमति के बाद श्रीमती नलिनी चिदम्बरम को विशेष परामर्शदात्री के रूप में नियुक्त किया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह भी बताया है कि परामर्श दाता के नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को वित्तमंत्री के पास नहीं भेजा जाता, और इस मामले में भी फाइल को वित्त मंत्री के पास नहीं भेजा गया था। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि जनवरी, 2004 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जब मुझे अपना परामर्शदाता नियुक्त किया था, तब भी इससे संबंधित फाइल तत्कालीन वित्तीय मंत्री के पास नहीं भेजी गयी थी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि श्रीमती चिदम्बरम के परामर्शदात्री नियुक्त करने हेतु मंजूरी देने के पहले उन्होंने इसकी सूचना मुझे न देकर एक बड़ी भूल की है। इसके लिए बोर्ड ने खेद भी व्यक्त किया है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : आप इसे जस्टीफाई कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे छोड़िये।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : श्रीमती नलिनी चिदम्बरम ने भी 26 अगस्त, 2005 को एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि किस तरह श्रीमती पुष्पा सीतारमन ने उनसे परामर्शदाता के रूप में कार्य करने का आग्रह किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने एक साथी वकील के प्रति अपने दायित्व को निभाने की दृष्टि से ही ऐसा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 1996 से उन्होंने स्वेच्छा से इस विभाग के पक्ष या विपक्ष में वकालत न करने का निर्णय लिया हुआ है, और यह एकमात्र ऐसा मामला है जिसमें उन्हें विशेष परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्रीमती पुष्पा सीतारमन ने भी अपने 26 अगस्त, 2005 के वक्तव्य में इस बात की पुष्टि की है कि वस्तुतः उन्होंने ही श्रीमती चिदम्बरम से परामर्शदाता के प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह किया था।

महोदय, मैंने यहां पर जो बातें कहीं हैं, इनमें इससे संबंधित तथ्य सामने आ गये हैं।

मीडिया के माध्यम से इस मामले की उपयुक्तता पर कुछ सवाल उठाये गये हैं। इस मामले में पूरी तरह से एक कानूनी पेंच शामिल है – कि मशीनरी को बदलने पर होने वाला व्यय को राजस्व व्यय के खाते में डाला जायेगा या पूंजी व्यय के खाते में। इस मामले पर 1967 में ही उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया था। अब लगता है कि विभाग ने इस मामले को पुनः खोलने का निर्णय लिया है। यद्यपि इस मामले में विभाग को 1997 में आयकर आयुक्त (अपील) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मुंह की खानी पड़ी और अब मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष हार का मुंह देखना पड़ा है।

कुछ हफ्ते पहले विभाग ने विधि मंत्रालय के पास उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने हेतु कागजात भेजे थे और अब अपील दायर की जा रही है। इस मामले में लागू कानूनी सिद्धान्त केवल कपड़ा मिलों तक ही सीमित नहीं है। अपितु यह सभी फर्मों जैसे पेपर मिल, स्टील मिल, चीनी मिल आदि जो भी मशीनरी बदलते हैं, सब पर लागू है।

इस बात के अप्रत्यक्ष रूप से संकेत मिले हैं कि इस मामले में श्री करपागाम्बल मिल्स लिमिटेड, चोलापुरम भी एक पक्षकार था। लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले में 43 मिलों का नाम था और श्री करयागम्बल मिल्स का नाम उन 43 मिलों की सूची में शामिल नहीं था। जिनका मद्रास उच्च न्यायालय ने निपटारा किया था। सीबीडीटी ने भी इस मामले को स्पष्ट किया है।

यहां पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि संबद्ध अवधि के दौरान किसी भी चरण पर मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। पहली बार यह मामला मेरी जानकारी में तब आया जब इसे राज्य सभा में उठाया गया। मैं समझता हूं कि सभा में मेरे सम्मानित सहयोगियों में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा ...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि सभा में मेरे सम्मानित सहयोगियों में से किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि यदि यह मामला मेरे संज्ञान में लाया गया होता तो मैं इस मामले में थोड़ा और जल्दी कार्यवाही करने की अनुमति दे देता। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि पहले यदि किसी भी चरण पर यह मामला मेरे संज्ञान में लाया गया होता तो मैं शुरूआती चरण में ही श्रीमती चिदम्बरम को परामर्शदाता नहीं बनने देता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब श्री अनंत कुमार।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं एक मिनट का समय लूंगा।

[हिन्दी]

मंत्री जी का यह कहना कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था

और मेरी कोई जानकारी नहीं थी। मंत्री जी की इस प्रकार की जिम्मेदारी, मैं समझता हूं कि किसी भी निर्वाचित मंत्री की निश्चित तौर पर जिम्मेदारी रहती है, हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। उनको इस बात पर इस्तीफा देना चाहिए था। हम इसके विरोध में वॉक आउट करते है।

पूर्वाह्न 11.42 बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग मेहरबानी करके शांति से बैठे रहिए। आपको भी बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सर्वानन्द सोनोवाल – अच्छा वह बहिष्कार करने वालों में शामिल हैं। डा. मनोज।

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : अध्यक्ष महोदय, हम मछली तथा समुद्री उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाने तथा पकड़ी गयी मछलियों की पहली बिक्री मछुआरों को किये जाने से संबंधित मुद्‌दा उठाना चाहते हैं।

देश में 1.5 से 2 मिलियन मछुआरे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शाति बनाये रखें।

डा. के. एस. मनोज : मैं उनमें से एक हूं। हमारा देश समुद्री उत्पादों के निर्यात से प्रति वर्ष लगभग 6,300 करोड़ रुपये अर्जित कर रहा है। समुद्री मछलियों की पहली अनुमानित बिक्री मूल्य प्रतिवर्ष लगभग 12000 करोड़ रुपये है। लेकिन इसके लिए कार्य करने वाले मछुआरों की दशा अब भी शोचनीय है। वे देश के सर्वाधिक पिछड़े लोगों में से है। यद्यपि वे देश के लिए करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। फिर भी उनकी व्यक्तिगत आय बहुत ही कम है।

अध्यक्ष महोदय : यहां यह क्या हो रहा है? मेरा माननीय नेताओं से भी अनुरोध है कि वे यह देखें कि सदस्यगण शांति बनाये रखें।

डा. के. एस. मनोज : इसका एक कारण यह भी है कि मछुआरों को अपने समुद्री उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होते ...*(व्यवधान)* यद्यपि पकड़ी गयी मछलियों की पहली खेप को बेचने का अधिकार मछुआरों को दिया गया है, इस अधिकार को बिचौलिए ने हड़प लिया है और वे उनका शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनकी बाजार अर्थव्यवस्था भी क्रेता आधारित बाजार है, विक्रेता आधारित बाजार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण को संक्षिप्त रखें।

डा. के. एस. मनोज : इन पिछड़े वर्गों के लोगों को शक्तिसंपन्न बनाने के लिए उनके द्वारा पकड़ी गयी मछलियों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किये जाने चाहिए। एक बिचौलियें द्वारा उनके शोषण को रोका जाना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए इस क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और उन क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाना चाहिए जहां यह अस्तित्व में नहीं है और इस तरह एक राष्ट्रव्यापी सहकारी नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में बहुत अधिक फुसफुसाहट हो रही है। कृपया शांति बनाये रखें। सत्तापक्ष के लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है।

श्री राजाराम पाल।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर) : महोदय, आज पूरे देश में, सभी राज्य बिजली की समस्या से बड़े पैमाने पर ग्रस्त हैं। केन्द्रीय सरकार ने आज तक कोई ऐसी विद्युत नीति नहीं बनाई है जिससे कि वर्तमान व भविष्य में विद्युत की मांग के अनुरूप विद्युत का उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय आज की तिथि तक केवल 10 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का ही लक्ष्य हासिल कर सका है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आपस में बात न करें। आप सभी माननीय संसद सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल : अब तक साढ़े तीन वर्ष का समय बीत चुका है और बाकी बचे डेढ़ वर्षों में यह लक्ष्य पूरा हासिल किया जा सकेगा, यह काफी मुश्किल है।

महोदय, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में वर्तमान विद्युत सचिव के पद पर ...*... जो कि आईएएस अधिकारी है, की नियुक्ति वर्ष 2002 में इसी लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से की गयी थी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अपनी बात संक्षेप में कहिए। यह भाषण देने का समय नहीं है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजाराम पाल : महोदय, आज सदन को यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि ...* विद्युत सचिव भारत सरकार के हैं, लेकिन उनके द्वारा जो नीति औरं निर्देश तैयार किए जाते हैं वे निजी क्षेत्र के फायदे के लिए ज्यादा और भारत सरकार के लिए कम फायदेमंद साबित होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप को-आपरेट कीजिए। प्लीज, अपनी बात छोटी कीजिए। यह भाषण देने का समय नहीं है।

श्री राजाराम पाल : उन्होंने विद्युत कंपनी के लिए ही नहीं, सरकारी उपक्रमों की बेहतरी के लिए भी कोई काम नहीं किया है। हालत यह है कि पिछले कुछ वर्षों में बिजली कंपनियां नीलामी की कगार पर खड़ी हो जाएंगी।

महोदय, उन्होंने विद्युत सचिव, भारत सरकार के रूप में कार्य करते हुए एनएचपीसी में एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए चयन किया है, जिसके बारे में भारत सरकार सर्वथा विवाद के घेरे में आ गयी है। उन्होंने एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के हाथों में इस उपक्रम की बागडोर सौंपने की सिफारिश की है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात कह ली है। राजाराम जी, यह भाषण देने का समय नहीं है।

श्री राजाराम पाल : मान्यवर, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने उस चयनित व्यक्ति के खिलाफ संस्तुति की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ जांच कराई जाए और विद्युत सचिव जिस तरह से आयोग की संस्तुति को छिपाकर एक भ्रष्ट अधिकारी की नियुक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बिन्दुवार जांच करवाकर, विद्युत सचिव को तत्काल उनके पद से मुक्त कराया जाए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराकर उक्त सचिव के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : मैं आपकी अनुमति से बंगलौर के लिए एक जन परिवहन प्रणाली का अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

वर्ष 1971 में बंगलौर की जनसंख्या लगभग 16 लाख थी और अब यह 70 लाख हो गई है। इसके अगले कुछ वर्षों में 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाने की आशा है। जहां तक वाहनों की संख्या का संबंध है बंगलौर की सड़कें इस तरह सुनियोजित की गई थीं कि इसमें चार लाख वाहन समायोजित होने सकें। मार्च, 2005 के आंकड़ों के अनुसार अब वाहनों की संख्या 25.6 लाख हो गई है। रोज 900 नए वाहनों का पंजीकरण हो रहा है। तथा वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वाहन संबंधी दुर्घटनाओं के कारण रोज तीन व्यक्ति मारे जाते हैं और 18 घायल हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक परिवार विभिन्न श्वास तथा आंख संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं।

अतः, वर्ष 2003 में राजग सरकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बंगलौर मेट्रो के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शुरू की थी जो पूरी हो गई थी। बाद में वर्ष 2004 में, भारत के योजना आयोग ने इसे सिद्धांतरूप में स्वीकृति भी दी थी। माननीय प्रधानमंत्री ने 11 फरवरी, 2005 को जब दौरा किया तो उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया था। माननीय शहरी विकास मंत्री ने 16 फरवरी को बंगलौर का दौरा किया और उन्होंने भी इसका समर्थन किया। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि केन्द्र सरकार बंगलौर मेट्रो की सहायता करेगी। लोक निवेश बोर्ड ने 6 अगस्त, 2005 को बंगलौर मेट्रो परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। अब बंगलौर मेट्रो परियोजना आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष लंबित है।

कई बार मैंने तथा अन्य माननीय सदस्यों जैसे डा. संगलिअना माननीय शहरी विकास मंत्री से मिले तथा तुरंत बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना क्रियान्वित करने का अनुरोध किया लेकिन मुझे नहीं मालूम क्यों इसे टाला जा रहा है।

मैं माननीय शहरी विकास से तुरंत स्वीकृत प्रदान करने का आग्रह करता हूं। केन्द्र सरकार को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। तथा बंगलौर मेट्रो का काम शुरू होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण, उत्तर बिहार में लगभग दो दर्जन जिलों की स्थिति बहुत गंभीर है। कोसी, कमला, भूतही बालान, बागमती और अदबारा समूह की नदियों में बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर है। उत्तर बिहार के अनेक जिले और मधुबनी जिले के अंतर्गत भूतही बालान और कमला बालान नदियों के तटबंध टूट गये हैं और सैंकड़ों गांव में पानी भर गया है। वहां के किसानों की करोड़ों रुपयों की फसल नष्ट हो गयी है। यहां तक कि पीपरा-कमलपुरा गांव में बाढ़ के पानी के कारण एक आदमी मर चुका है। आज भी कमला बालान तटबंध, ओलीपुर खेड़ा और मदनपुर रतौल के बाद तटबंध कट जाने के कारण लोगों की जान-माल की क्षति हुई है और करोड़ों रुपयों की फसल बर्बाद हुई है। इस कटाव-बिंदु पर सुरक्षात्मक कार्य किया जाए। यूपीए सरकार ने जाइंट प्रोजेक्ट

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कार्यालय नेपाल में 7 जगहों में खोले हैं, उनका जल्दी से सर्वे कराकर, स्थाई समाधान की दिशा में, डीपीआर बनाकर, मल्टी-परपज डैम की हमारी मांग है ...*(व्यवधान)* बिहार में 6 महीने बाढ़ और 6 महीने सुखाड़ रहता है और हर साल बाढ़ से तबाही मचती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस दिशा में समय-सीमा के अंतर्गत कार्य किया जाए।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण) : महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भारी वर्षा तथा इसके कारण कर्नाटक के कई क्षेत्रों में आई बाढ़ से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बेलगाम, बीजापुर तथा उत्तर कर्नाटक के कई भागों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 13000 गांव प्रभावित हुए हैं तथा बाढ़ में 130 लोगों को अपना अमूल्य जीवन गंवाना पड़ा। 11,000 से अधिक मवेशी मारे गए हैं। 90,000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा चार लाख एकड़ पर फैली खड़ी फसल बाढ़ में बह गई। सड़कों, भवनों और पुलों सहित सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। प्राकृतिक आपदा से 3500 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हावेरी जिले तथा कई ताल्लुकों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण मक्का, मिर्च, मूंगफली, ज्वार तथा अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार 10,000 रुपये की राशि प्रति एकड़ के हिसाब से देने की कृपा करें।

इन परिस्थितियों में, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह 3500 करोड़ रुपये की और राशि जारी करें तथा कर्नाटक राज्य के लिए विशेष पैकेज देने की भी घोषणा करे जैसा कि देश के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों को दिया गया था। चालू वर्ष के लिए किसानों के फसल ऋण और ब्याज भार को भी माफ कर दिया जाए जिससे किसानों को भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उत्पन्न संकट से उबरने में सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री उदय सिंह, आपको धैर्य रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, जिला पिथौरागढ़ में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण, 6300 मैगावाट क्षमता के विद्युत प्रोजेक्ट रुक चुके हैं और लगभग 20-25 वर्षों से मदकोट ब्लॉक मुन्स्यारी और सोबला फैज़-दो पैंडिंग है, जबकि बॉटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दोनों ने इसे रिकमैंड किया था और इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है। इसमें 115 रैवेन्यू विलेजेज हैं। कस्तूरी मृग विहार घोषित होने के कारण वहां विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इन ग्रामों को वन संरक्षण अधिनियम की परिधि से बाहर किया जाए और दोनों प्रोजैक्ट्स को तत्काल मंजूरी दी जाए, ताकि वहां विद्युत का उत्पादन शीघ्र हो सके।

श्री भैंवर सिंह डांगावास (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सत्र में करीब दस दिन पहले आग्रह किया था कि राजस्थान के नागौर जिले में अकाल की स्थिति बन रही है और आज यह स्थिति है कि अधिकतर क्षेत्रों में खरीफ की फसल या तो बोई नहीं गई और अगर बोई गई तो पुनः बरसात नहीं होने के कारण वह सूख रही है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि बुआई में जो उनका खर्च हुआ, वह सब बर्बाद हो गया। पूरे क्षेत्र से पशुपालक पलायन कर रहे हैं और किसान भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। कुछ फसलों जैसे, कपास आदि को कुओं की सिंचाई से बचाया जा सकता था। परंतु विद्युत आपूर्ति भी पूर्णरूपेण नहीं मिल रही है, क्योंकि राज्य में विद्युत उत्पादन राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने नागौर जिले में यूसीजी भूमिगत कोयले को जलाकर विद्युत उत्पादन करने की बात ऊर्जा मंत्री जी से कही थी, लेकिन उन्होंने पूरा उत्तर न देकर साधारण तौर पर कह दिया कि हो जाएगा। महोदय, इस योजना की ओर ध्यान दें, तो उचित रहेगा।

नदियों को जोड़ने की योजना का लाभ सबसे पहले राजस्थान को मिलना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि इस भीषण अकाल में राहत कार्य आरंभ करें तथा सूखे और भुखमरी से मर रही जनता को आत्मदाह से बचाने की कृपा करें और धन की सहायता दें, जिस प्रकार से स्पेशल पैकेज सुनामी व मुंबई में बाढ़ के तहत दिए गए हैं, उसी तरह यहां भी सहायता सुनिश्चित की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, आपको केवल एक मामला यथा बी. बी. यू. एन. एल. मामला उठाने की अनुमति दी गई है।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, बी बी यू एन एल कम्पनी मैसर्स बी. एस. सी. एल., बर्नपुर और मैसर्स बैथवेट की धारक कम्पनी है। एक ओर तो मैसर्स बी एस सी एल, बर्नपुर को बंद करने की सिफारिश की गई है तो दूसरी ओर सुपरवाइजरों सहित 20 एक्जीक्यूटिव भर्ती किए जा रहे हैं। बी. बी. यू. एन. एल. अनुचित फायदा उठा रही है। धारक कम्पनी अन्य कम्पनियां चलाने के लिए सहायक कम्पनियों से धनराशि एकत्रित कर रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले की जांच करें। यह एक अजीब

स्थिति है जहां एक ओर तो सुपरवाइज़र सहित 20 एक्जीक्यूटिव भर्ती किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर इसे बंद करने की सिफारिश की जा रही है। मैं नहीं जानता कि इस देश में क्या हो रहा है। इसलिए, मैं इस सिफारिश की निंदा करता हूं और बी.बी.यू.एन.एल. बर्नपुर एकक को पुनः चालू करना चाहिए।

महोदय, दूसरा, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

कि पूरे हाउस में यह कंसर्न है कि दंगा फैलाने वाली ...* थी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अरूण कुमार शर्मा : उपस्थित नहीं।

श्री मोहन रावले : उपस्थित नहीं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, बोनस के भुगतान के संबंध में वर्तमान अधिकतम सीमा चिंता का विषय बन गई है क्योंकि बहुत पहले अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। इस बीच मजदूरी में, विशेषरूप में जूट उद्योग तथा अन्य उद्योगों में दी जाने वाली मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है। इससे कामगारों के बीच तनाव हो गया था कि त्योहारों के दिनों में भी उन्हें बोनस नहीं दिया गया जो पहले उन्हें मिला करता था।

महोदय, ऐसी स्थिति में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बोनस संदाय अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करें ताकि 3500 रुपये की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 7500 रुपये किया जा सके जैसा कि ई. एस. आई. के मामले में हुआ है।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मैं भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप श्री रूपचन्द पाल द्वारा कही गई बात से स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इसमें एशोसिएट कर लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : हमने आठ बजे नोटिस दिया था।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप आठ बजे नोटिस दें या छः बजे दें, इस बारे में तय हमें करना है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक मामला महत्वपूर्ण है। लगभग 55 मामले उठाए जाने हैं।

[हिन्दी]

आपने दो विषय दिए हैं।

[अनुवाद]

आप धैर्य रखिए। मैं पहले आपकी पार्टी के एक माननीय सदस्य को बुला चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े : हम नोटिस देते हैं...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अनुचित आरोप है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : आपको पता होना चाहिए कि पीठासीन व्यक्ति पर आरोप लगाकर आपको कोई फायदा नहीं हो सकता है और मैं आपको बता दूं कि यह विशेषाधिकार का हनन है। आप एक दिन इस बात को महसूस करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का मौका देने की कोशिश कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपकी पार्टी के सदस्य को बुला रहा हूं। आप मुझे धमकाने की कोशिश मत कीजिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप श्री भार्गव से सीखें। वह विशेषरूप से सूचना देते हैं और उन्हें बोलने का अवसर मिलता है।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई में रविवार को एक तीन मंजिला इमारत गिर गई ...*(व्यवधान)* इससे 6 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले एक सप्ताह में इस तरह की तीन घटनाएं हुई हैं। अभी तक उनमें 20 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। मुम्बई शहर में जो 20700 पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनका रिपेयर एक बोर्ड के माध्यम से कराने की बात है। ...*(व्यवधान)* पिछले दिनों मुम्बई में भारी बारिश आने की वजह से बाढ़ आई और उसके क़ारण ये बिल्डिंगें गिर गई। वहां की बिल्डिंगें जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं और उनकी संख्या सौ के लगभग है। वहां कभी भी किसी भी समय कोई बिल्डिंग गिर सकती है। बिल्डिंग्स के गिरने से बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं। मुम्बई में पिछले दिनों बाढ़ आने से इनकी हालत खराब हो गई। जो बोर्ड स्थापित हुआ है। उसकी कैपेसिटी 20700 बिल्डिंग को रिपेयर करने और रिडैवलप करने की नहीं है। केन्द्र सरकार महाराष्ट्र सरकार की इस मामले में सहायता करें। इनका रिडैवलपमैंट होना चाहिए। इनके पुनर्निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को मदद करनी चाहिए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से यह काम हो सकता है। वहां के पुराने किराएदारों और मकान मालिकों के माध्यम से जो भी डैवलपमैंट्स कराए जा सकते हैं, कराने चाहिए। इसका कायदा बदलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा बोलने से केस ज्यादा स्ट्रॉग नहीं होगा।

श्री चंद्रकांत खैरे : सभी के रहने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। मुम्बई में ट्रांजिट कैम्प इतने नहीं हैं। मैं इस विभाग का मंत्री था इसलिए अर्ज करता हूं इसमें केन्द्र सरकार के बहुत योगदान की जरूरत है और कायदे–कानून बदलने की जरूरत है।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जनपद आजमगढ़ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : छोटी बात कहने से सब को बोलने का चांस मिलता है।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज : अध्यक्ष महोदय, 21 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जनपद आजमगढ़ में बरसात हुई है। उसमें आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ और बलिया प्रभावित हुआ है। जिस समय मुम्बई में दैवी आपदा आई थी तो लगभग सैंकड़ों लोग मारे गए। दुर्भाग्य की बात है कि उसमें आजमगढ़ के लोग काफी थे। 21 तारीख से लगातार 72 घंटे तक, आजमगढ़ में अनवरत बारिश होती रही। इतनी जन हानि हुई है, इतने पशु मरे हैं और किसानों का इतना नुकसान हुआ जिस की भरपाई नहीं हो सकती है। मैंने नाव से वहां का दौरा किया था। एक तले के नीचे जो लोग सोए थे, वे बह गए। डबल तले तक पानी पहुंच गया था। उनके पास कोई जीने के साधन नहीं हैं। प्रदेश सरकार ने काफी राहत पहुंचायी है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आलू से लेकर नमक तक सारी व्यवस्था किसानों के लिए तत्काल करायी है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात को सहायता की है उसी तरह उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज देकर, उसकी सहायता की जाए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं जो पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2003 में एम्स की तरह की 6 संस्थाएं देश के दूसरे हिस्सों में बनाने की योजना बनी थी। ये 6 संस्थाएं बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल में बनने वाली थीं। उसका काम शुरू हुआ था लेकिन उसके बाद काम रुक गया। मैंने यह विषय 21 दिसम्बर 2004 को एक कॉलिंग अटैंशन के माध्यम से रखा था।

उस दिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि वह भी इससे सहमत हैं कि इसे जल्दी बनना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया और एप्रूवल्स में कुछ समय लग रहा है। दिसंबर में ही उन्होंने कह दिया था कि एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने इसे क्लियर कर दिया है अब सिर्फ सरकार का एप्रूवल रहता है। इस प्रकार की संस्था उत्तरांचल के ऋषिकेष में खुलने वाली थी, बनने वाली थी। वहां पर पहले साल में एक करोड़ रुपया दिया गया था और चारदीवारी पूरी की गई थी, मगर उसके बाद काम रुक गया। अभी, 17 अगस्त को प्रश्न संख्या 3398 के माध्यम से मैंने फिर सरकार से पूछा था कि स्थिति क्या है? सरकार का जवाब था कि अभी भी यह प्रोग्रेस में हैं। मैं लीडर ऑफ दि हाऊस, श्री प्रणव मुखर्जी से निवेदन करता हूं कि सरकार से, कैबिनेट से, इन संस्थाओं का जो एप्रूवल लेना है, कृपया उसे जल्दी ले लीजिए क्योंकि पूरे देश में छः स्थानों पर ये संस्थाएं बननी हैं, यह बहुत कठिन और बड़ी समस्या है। मेरा आपसे आग्रह है कि कैबिनेट से जो स्वीकृति मिलनी है, इसे जल्दी करा दीजिए। यू.पी.ए. सरकार को डेढ़ साल हो गया है, और यह स्वीकृति लम्बित पड़ी है। इसे जल्दी करा दीजिए।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी विसासत से सरकार के नोटिस में एक अहम मसला लाना चाहता हूं। इससे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि नौ महीने पहले जम्मू–कश्मीर रियासत के लिए चौबीस हजार करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें मुख्तलिक महकमात शामिल किए गए। पहली बार जम्मू–कश्मीर रियासत के तीनों खित्ते लद्दाख, कश्मीर और जम्मू रीजन को बराबर की नजर से देखा गया। मेरा मरकजी सरकार से अनुरोध और अपील है कि जो पैकेज एनाउंस किया गया था उसका इम्पलीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है। जम्मू–कश्मीर रियासत सरकार की तरफ से वे प्रपोजल्स, वे सारे प्रोजेक्ट्स, चाहें वह टूरिज्म सैक्टर हों, चाहे आरएलबी सैक्टर हों, चाहे ट्रांसपोर्ट सैक्टर हो, चाहे बिजली सैक्टर के हों, वे अभी नहीं पहुंच हैं। मैं हाउस और आपकी विसासत से सरकार से अपील करता हूं कि इसे एक्सपीडाइट करने के लिए परस्यू करें और रियायती सरकार को हिदायत दें कि वे जल्दी अपने प्रपोजल्स भेजे ताकि जम्मू–कश्मीर रियासत के लोगों को यू.पी.ए. सरकार की तरफ से जो राहत दी गई है, वह बरवकत पहुंचे, प्रोजेक्ट्स इम्पलीमेंट हों और उन पर काम शुरू हो।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरूणाचल प्रदेश) : अध्यक्ष महोदय, मेरे राज्य अरूणाचल प्रदेश में अत्यन्त गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बंध में राज्य में, अल्ट्रा एफ सी आई पी डी एस ठेकेदारों की सांठ गांठ से पर्वतीय परिवहन आर्थिक सहायता के बारे में जाली बिल तैयार किए जा रहे हैं। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसद की लोक लेखा समिति ने इस गडबडी का पता लगाया है। माननीय केबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ने भी अरूणाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किए गए भारी घोटाले का भी पता लगाया है। प्रमुख और बड़े समाचार पत्रों में अरूणाचल प्रदेश में सा.वि.प्र. के पहाडी परिवहन आर्थिक सहायता के संबंध में हो रहे घोटालों का पता लगाया है और उसे प्रकाशित किया है।

हाल ही में, राज्य में पी डी एस मदें नहीं पहुंची हैं। लेकिन उसके करोड़ों रुपये के बिल विद्यमान हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2001–02 में यह 53 लाख रुपये था और वर्ष 2002–03 में यह बढ़कर 63 लाख रुपये हो गया और अब वर्ष 2003–04 में यह 900 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं। कि वह इस मामले की विस्तार से जांच करें और यदि संभव हो तो यह मामला सीबीआई को सौंप दें।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़) : महोदय, असम और पूर्वोत्तर के लोगों ने वर्तमान भारत सरकार को भारी बहुमत से जिताया है और इसलिए उन्होंने मांग की है कि इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से उल्फा, एन एस सी एन (आई–एम) एन डी एफ बी आर अन्य समूहों के साथ शान्ति वार्ता करें। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि केवल शान्तिपूर्ण वार्ता के साथ–साथ दृढ़ राजनीतिक सद्भावना से ही इस क्षेत्र में घुसपैठ के मामलों का स्थायी हल निकाला जा सकता है।

अतः भारत सरकार की ओर से सदभावना के रूप में मैं मांग करता हूं कि दमनकारी कानून अर्थात सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को वापस लिया जाए।

भारत सरकार ने न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसने 1958 के सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम की जांच की थी और उस पर रिपोर्ट दी थी जिससे सरकार को भावी कार्यवाही के लिए सलाह मिलेगी। जहां तक हमें मालूम है कि उस समिति ने इस अधिनियम के निरसन के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अतः मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हू कि वह इस सम्बंध में अपने विचार तुरन्त स्पष्ट करे। ऐसा लगता है कि उल्फा के मामले में बातचीत के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई गई है क्योंकि इस बातचीत के मामले में समय–सारणी अथवा उद्देश्यों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बातचीत करने के मामले में धीरे चल रही है और उसने इस संबंध में बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। एन एस सी एन (आई–एम) के साथ बातचीत के संबंध में सरकार मणिपुर के लोगों की भावनाओं को समझने में असफल रही है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग की जीवन रेखा को बनाए रखने में भी असफल रही है और इसकी असफलता के कारण मणिपुर में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदय, एनडीएफबी के मामले में भी सरकार की दिशा स्पष्ट नहीं है। अतः शान्ति वार्ता बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है।

महोदय, इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति प्रयासों के लिए सरकार को वार्ता को प्रोत्साहन देना चाहिए और उल्फा, एनएससीएन, एनडीएफबी और अन्य समूहों के साथ बातचीत करनी चाहिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। जिसे किया जाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दे कि वह ऐसे पारदर्शी और बहु–आयामी प्रयास करें ताकि इसका स्थायी हल निकाला जा सके।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, मैं स्वयं को इसके साथ सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों अनुपस्थित थे।

[हिन्दी]

चौधरी बिजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका

शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे नरौरा पॉवर प्लांट पर बोलने का मौका दिया। मैं यू.पी.ए. का चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, आज हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जिससे उसे कई समस्याओं से संघर्ष करना पड़ रहा है। इस जनसंख्या के लिये बिजली एक ऑक्सीजन् के रूप में काम में लाई जा रही है। आज हर आदमी को बिजली की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के इस पॉवर प्लांट का शिलान्यास 1973 में स्व. इन्दिरा गांधी ने किया था। उस समय यहां 6 यूनिट्स लगाये जाने का प्रावधान किया गया था। इसके लिये किसानों की हज़ारों एकड़ जमीन ले ली गई थी। सभी संसाधनों के बावजूद हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करने पर भी कुल मिलाकर तीन यूनिट्स लगाये गये हैं। जब अन्य तीन यूनिट्स के लिये संसाधन मौजूद हैं, नहर निकालने पर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं, जमीन उपलब्ध है तो फिर इस कार्य में विलम्ब क्यों किया जा रहा है। सरकार द्वारा किसी अन्य स्थान पर इस संयंत्र को ले जाने से कठिनाइयां पैदा होंगी। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि तीन बाकी बचे हुये यूनिट्स को वहां ही स्थापित किया जाये।

अध्यक्ष जी, सरकार ने विदेश में जाकर परमाणु शक्ति के उपयोग में बिजली उत्पादन करने के लिए समझौता किया है। अगर सरकार वचनबद्ध है तो जब इस प्लांट में विद्युत उत्पादन किया जाना है तो तुरंत तीन यूनिट्स को स्थापित किये जाने की दिशा में केन्द्र सरकार कार्यवाही करे।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : अध्यक्ष जी, इस वर्ष 15 अगस्त, 2005 को लाल किले से भाषण करते हुए प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 10वीं योजना के अंत तक देश के हर जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जायेगा। मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है। जिसमें अकोला में अभी तक कोई कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं खोला गया है। इस संबंध में मुम्बई हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की जा चुकी है। मुम्बई की एक नामी संस्था ने इसकी स्टडी करके रिपोर्ट दी है कि काश्तकारों को अच्छी तरह से समझना चाहिये कि कौन सी फसल पहले लगायें। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिये अच्छी बात कही गई है लेकिन हमारे विदर्भ में किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। इसलिये हमारे जिले में दो कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने चाहिये। ताकि किसानों द्वारा जो आत्महत्यायें की जा रही हैं, उन पर रोक लग सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, मैं आपको इसलिए अनुमति दे रहा हूं क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : महोदय, धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो-जो सदस्य हाथ उठायेंगे, हम उन्हें नहीं बुलायेंगे।

श्री मोहन रावले : महोदय, दो दिन पहले मुम्बई शहर में मरीन लाइन्स बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 6 लोग मर गये। पिछले सप्ताह मेरे चुनाव क्षेत्र नागपाड़ा के टेमकर लेन में बिल्डिंग गिरने के कारण 11 लोग मारे गये। यह सब वहां ज्यादा वर्षा होने के कारण हो रहा है। मुम्बई शहर में 19642 बिल्डिंग डिलेपिलेटिड अवस्था में हैं, ये बहुत जर्जर हो चुकी हैं। वहां पांच सौ से अधिक बिल्डिंग्स की तुरंत मरम्मत होना बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि मुम्बई शहर से 57723 करोड़ रुपये सरकार को टैक्स के रूप में मिलते है। आज मुम्बई शहर में इन जर्जर इमारतों की तत्काल मरम्मत करने हेतु पांच हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह उपरोक्त कार्य तुरंत शुरू करने के लिए तत्काल महाराष्ट्र सरकार को पैसा दे। अभी श्री गुलाम नबी आजाद जी यहां नहीं हैं। मैं अध्यक्ष जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि केन्द्र सरकार तुरंत पैसा दे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे देंगे।

श्री मोहन रावले : मुम्बई शहर 57723 करोड़ रुपये सरकार को टैक्स के रुप में देता है, क्या केन्द्र सरकार उसी मुम्बई शहर की जर्जर इमारतों की तुरंत मरम्मत हेतु पांच हजार करोड़ रुपये नहीं देगी? मैं प्रार्थना करता हूं कि केन्द्र सरकार इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अत्यन्त कुशल तरीके से इसे उठाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अनन्त गुढ़े, मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

आपने दो मुझे दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति भी नहीं है। आपने दो मुझे उठाने के लिए सूचना दी है। मैं आपको दो मामले उठाने के लिए अनुमति नहीं दे सकता। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप पहली बार तो चुनकर आए नहीं हैं। आपको पीठाध्यक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : सर जूनियर मैम्बर्स खड़े हैं, आप उन्हें चान्स दें।

अध्यक्ष महोदय : हम जूनियर मैम्बर्स को ज्यादा बोलने का चान्स देते हैं, लेकिन जूनियर मैम्बर्स को हम बोलने का चान्स देते हैं, तो सीनियर लोग कभी–कभी नाराज होते हैं।

श्री अनंत गुढ़े : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको दूरभाष सेवाओं के बारे में उल्लेख करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े : आज देश में टेलीफोन, बी.एस.एन.एल. की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। देश में जो लोग टेलीफोन के लिए डिमांड कर रहे हैं, उन्हें टेलीफोन नहीं मिल रहे हैं। बी.एस.एन. एल. विभाग ने एक रुपये में टेलीफोन की एक स्कीम निकाली थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि जिन लोगों ने डिपाजिट भरे हुए हैं, उन्हें भी टेलीफोन नहीं मिल रहे हैं। जो स्थिति लैन्डलाइन की है, वही स्थिति विल की है और जो स्थिति विल की है, वही स्थिति मोबाइल टेलीफोन की है।

महोदय, महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है, इसलिए महाराष्ट्र में टेलीफोन सेवा बड़ी मात्र में चल रही है। लेकिन आज महाराष्ट्र में 1,86,250 लोग टेलीफोन की वेटिंग में हैं। यह 31 मई, 2005 तक की वेटिंग लिस्ट है। पिछले पांच महीने में महाराष्ट्र में 4 लाख 50 हजार मोबाइल सिमकार्ड्स का उपयोग हुआ था। लेकिन मार्च से लेकर आज तक सारे सिमकार्ड्स बंद है। प्राइवेट कंपनियां बड़ी मात्रा में सिमकार्ड्स और टेलिफोन सुविधा दे रही है। लेकिन बी. एस. एन. एल. वहां न सिमकार्ड्स दे रहा है और न टेलीफोन दे रहा है। छः महीने हो गये हैं। इस बारे में गुजरात और महाराष्ट्र के सांसदों ने मुम्बई के चीफ जनरल मैनेजर के साथ 24 नवम्बर, 29 नवम्बर और 30 जुलाई को मीटिंग की और चीफ जनरल मैनेजर के समक्ष सारी समस्याएं रखीं, लेकिन उनमें से एक भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में लोगों की वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। लोग टेलीफोन की मांग कर रहे हैं। कई जगह ऐसी स्थिति है कि जहां विल लगा है वहां विल नहीं लगता और जहां विल लगता है, वहां की बैटरी नहीं चलती। पावर की कमी होने के कारण बैटरी चार्ज नहीं होती और बैटरी चार्ज न होने के कारण लोगों को टेलीफोन सेवा मिलनी चाहिए, यह नहीं मिलती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में सिमकार्ड्स, टेलीफोन की वेटिंग लिस्ट आदि की जो समस्या चल रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बातों को दोहराया ना जाए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े : वहां प्रीपेड मोबाइल नहीं है, प्रीपेड मोबाइल कार्ड्स नहीं हैं। बाकी कंपनियां वहां रोजाना सब चीजें उपलब्ध करा रही हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े : वहां प्रीपेड मोबाइल नहीं है, प्रीपेड मोबाइल कार्ड्स नहीं है। बाकी कंपनियां वहां रोजाना सब चीजें उपलब्ध करा रही हैं। इन सब चीजों के कारण वहां एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। सी.डी.ए. में जो चाहिए, जो हर तालुका में चाहिए। लेकिन सी.डी.ए. में नहीं मिलने के कारण टेलीफोन सेवा नहीं मिल रही हैं।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शंख लाल माझी, आप बोलिये।

श्री अनंत गुढ़े : एक तरफ वहां टेलीफोन नहीं मिल रहे है और दूसरी तरफ यू.पी.ए. सरकार बोल रही है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री माझी, आप सोइल इरोजन के बारे में बोलिये।

श्री अनंत गुढ़े : दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दो लाख से अधिक लोग वेटिंग लिस्ट में हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही 24 सदस्यों को आज बोलने की अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े : हमारी केन्द्र सरकार से मांग है कि महाराष्ट्र में लगभग दो लाख लोग ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन की वेटिंग मे पड़े हैं, उस वेटिंग लिस्ट को तुरंत समाप्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। वे नए मैम्बर हैं। श्री शंखलाल माझी, आप सॉइल इरोज़न के बारे में बोलिये।

[अनुवाद]

मेरे अगले सदस्य के बुलाने के पश्चात कृपया अन्य सदस्यों के भाषण को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर

प्रदेश के अधिकतर पूर्वी जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आजमगढ़ जिला में सेना तक को बुलाना पड़ा है। आजमगढ़ जिले के बॉर्डर पर अंबेडकर नगर का पूर्वी हिस्सा जहां तहसील तांडा के दुहिया, फूलपुर न्योरहानी चौघुड़ा घाट पर भीषण कटाव हो रहा है। किसानों की बहुमूल्य खेती कट चुकी है और आबादी कटने की स्थिति में आ गई हैं इससे गांवों के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। मैंने इस संबंध में 22.8.05 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3821 किया था जिसके जवाब में बताया गया कि बाढ़ नियंत्रण राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। केन्द्र सरकार जहां पर नदियां एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बहती हैं, और नदियों के द्वारा भीषण कटान में प्रलंयकारी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, यदि इस स्थिति में यह कह दिया जाए कि यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार के सीमित संसाधन हैं और सीमित संसाधनों की बदौलत प्रदेश सरकार भीषण बाढ़ की रोकथाम का कार्य नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार यह कहकर कि बाढ़ राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी तो उचित नहीं है। मेरी मांग है कि जो प्रलयंकारी बाढ़ वहां आई है और हर साल आती है, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का तांडव हर साल होता है, उससे जो उपजाऊ भूमि का कटान हो रहा है, उसके लिए केन्द्र सरकार किसानों को मुआवज़ा देने की व्यवस्था करे और कटान की रोकथाम के लिए व्यवस्था करे।

अपराह्न 12.22 बजे

(तीन) पश्चिम बंगाल के बोलपुर स्टेशन पर अगस्त क्रांति शहीद स्तम्भ की स्थापना के बारे में

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा का विशेषकर हमारे रेल मंत्री श्री लालू जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि 1942 का ऐतिहासिक अगस्त आन्दोलन हमारे देश की स्वतंत्रता आन्दोलन का एक शानदार भाग है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर शान्तिनिकेतन क्षेत्र के समाज के सभी वर्गों से लोगों ने इस आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने 29 अगस्त 1942 को असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया था जिसको हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उस दिन बोलपुर स्टेशन के आस पास कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश पुलिस की गोलियां खाकर अपने प्राण न्यौछावर किए और हमारों लोग घायल हो गए। बीरभूम विशेषकर बोलपुर के लोगों की मांग है कि 1942 के घोषणा पत्र के अधीन शहीद स्मारक समिति ऐतिहासिक अगस्त आन्दोलन के नेताओं की स्मृति में बोलपुर स्टेशन क्षेत्र में शहीद स्तम्भ लगाए।

महोदय, मैं सरकार से विशेषरूप से रेलमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मांग को पूरा करने के लिए मामले की छानबीन करे।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, संख्या 26, आज मैं कितने लोगों को अनुमति दे सकता हूं?

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : हम माननीय सदस्य के नोटिस को ग्रहण करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में जो माननीय सदस्य का सुझाव है, रेलवे उसकी व्यवस्था करेगी और उन्हें सम्मानित करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका ज्यादातर भाग रेगिस्तानी है या अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह सीमावर्ती राज्य है जिसकी 700 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए जो रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां घुसपैठ की रोकथाम, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, यातायात, प्रशासन तथा प्रबंधन की कई समस्याएं हैं। इंदिरा गांधी नहर में भी समझौते के अनुसार पंजाब से पूरा पानी नहीं मिल रहा है। परिणामस्वरूप किसान आंदोलित है। आज राजस्थान में अकाल की परिस्थिति पैदा हो गई है। अधिकांश जिलों में सूखा पड़ा हुआ है, दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, तालाब सूख गए हैं, हैंड पंप सूख गए हैं और भूमिगत जल स्तर नीचे गिर गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजस्थान की विशेष भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए तथा सीमावर्ती राज्य होने के कारण लगातार पांच साल से वहां सूखा और दुर्भिक्ष पड़ने के कारण उसे विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए।

महोदय, कई राज्यों को जैसे, बिहार आदि को आर्थिक पैकेज दिया गया है, लेकिन राजस्थान निरंतर पांच सालों से अकाल की चपेट में है, दुर्भिक्ष स्थिति की चपेट में है और राज्य सरकार आर्थिक पैकेज के लिए लगातार मांग कर रही है। राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान को विशेष आर्थिक पैकेज देकर इस अकाल और दुर्भिक्ष स्थिति की चपेट से मुक्त कराने में सहयोग करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। आपका नम्बर 28 था। अब 29 नम्बर श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता का है।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हज़ारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड में बारिश न होने के कारण अकाल पड़ा हुआ है। झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, डालटन, चतरा, गिरिडी, पोलारमा, बोकारो सहित दर्जनों जिलों में वर्षा न होने के कारण 25 परसेंट भी धान की फसल का रोपण नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मेरा क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता ने कहा है कि वरिष्ठ सदस्यों को अधिक मौका मत दीजिए। आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और वह एक नए सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : झारखंड की आधी से ज्यादा आबादी भदई फसल पर निर्भर करती है। इस बार झारखंड में भदई की फसल भी नहीं हुई है और अगले साल भी अकाल पड़ा था। अकाल और सूखाड़ के चलते दो सौ से ज्यादा लोगों की भूख से मौत हुई थी। इस बार भी भयंकर स्थिति है। अभी से लाखों लोगों ने यहां से दूसरे राज्यों में पलायन करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार कुछ भी करने में अक्षम है।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अकाल और सूखाड़ के कारण झारखंड में भयंकर स्थिति है और लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इस तरफ से केंद्र सरकार जल्द ध्यान दे और राहत का कार्य शुरू करवाए ताकि इस पलायन को रोका जा सके और भूख के कारण लोगों की मौत न हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. अरूण कुमार शर्मा, जब पहले मैंने आपको पुकारा था तो आप उपस्थित नहीं थे। आप को सूचना देनी चाहिए और उपस्थित रहना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

डा. अरूण कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष से असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा किए गए भारी भूमि कटाव के सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप 30वे सदस्य हैं जिसे मैंने बोलने की अनुमति दी है।

डा. अरूण कुमार शर्मा : महोदय, 3,000 से अधिक लोग पहले ही तटबंध पर और सड़कों पर रह रहे हैं। जिनका अभी पुनर्वास किया जाना है। असम में हाल में आई बाढ़ में कांजीरंगा नेशनल पार्क प्रभावित हुआ है। वहां पर तीन नदियों – तिंगोरा, रंगानदी और दिकरोंग–ने लखीमपुर जिले के कुछ भागों नामतः अमतोला, मध्य नावबोकिया दोलोहाट सोनपुर को प्रभावित किया है। कटाव ने बड़े पैमाने पर असम के ढेमाजी, जोरहाट, गोसपाड़ा दुबरी, मजूली द्वीप और कामरूप में लोगों को बहुत प्रभावित किया है। हाल की बाढ़ से तीन लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों को सरकारी मशीनरी से अभी भी खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। अस्थायी आवास बनाने के लिए तिरपाल की कमी है। स्वच्छ पेयजल के लिए टयूबवेलों की भी जरूरत है। महोदय, इसलिए आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा राहत तथा अन्य राहत सामग्री के लिए एक विशेष दल रवाना करें। असम के बाद प्रभावित तथा कटाव से प्रभावित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास की निगरानी भी सरकार द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : डा. अरूण कुमार शर्मा आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान केंद्रीय भंडार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वित्त मंत्रालय ने अपने जारी आदेश 1/12/ई–II क–94, दिनांक 29 जुलाई, 2005 के द्वारा केन्द्रीय भंडार, जो सरकारी विभागों के लिए स्टेशनरी तथा अन्य उपकरणों की खरीद करता था, उस पर रोक लगाने का काम किया है। इससे केंद्रीय विभाग को लगभग छह करोड़ रुपयों की आय होती थी। इसमें कार्यरत् 700 कर्मचारियों को इससे वेतन प्राप्त होता था और यह सरकारी आय का स्त्रोत था। इसमें लगभग 268 करोड़ रुपयों की बिक्री मंत्रालय को स्टेशनरी तथा अन्य उपकरणों की सप्लाई से होती थी। अगर यह आदेश जारी रहेगा तो केंद्रीय भंडार के कर्मचारी भूख की कगार पर पहुंच जाएंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जो 29 जुलाई, 2005 का कार्यालय आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय भंडार के लिए जारी किया गया है उसे वापिस ले कर केंद्रीय भंडार पर लगी रोक हटाई जाए और जो पुराना आदेश था, उसे पुनः जारी किया जाए। केंद्रीय भंडार के कर्मचारियों को वेतन मिलता रहे और वे भुखमरी की कगार पर न पहुंचे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको यह समझना चाहिए कि किस तरह से संक्षेप में और विशिष्ट (स्पष्ट) रूप से अपनी बात रखी जाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अलीमाऊ चर्चील।

[हिन्दी]

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी बहुत महत्वपूर्ण एवं गंभीर मुद्दे पर नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका विषय कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा न कहें। श्री उदय सिंह, आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। पहले रूल्स देख लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री उदय सिंह : मैंने नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप के नोटिस को मैने अस्वीकार कर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे समुचित रूप से कोई सूचना दिए बिना ही वे दुर्व्यवहार संबंधी आरोप की बात कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति कैसे दे सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मै अभी तक 32 माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने की अनुमति दे चुका हूं।

श्री अलीमाऊ चर्चील (मारमुगाओ) : अध्यक्ष महोदय, गोवा एक पर्यटन से प्राप्त राजस्व पर निर्भर राज्य है और राज्य की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। इसकी आबादी और दक्षता प्राप्त तथा अर्ध–दक्षता प्राप्त लोग पूरी तरह से पर्यटन पर आश्रित हैं। इस उद्योग के क्षेत्र में कम से कम दो वर्षों की निरंतर गतिविधि के कारण इस पर्यटन उद्योग का विकास हुआ है और इसीलिए गोवा आज पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर है। तथापि, देश में पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी होने के बावजूद इसके प्रति असंवेदनशील दृष्टिकोण होने के कारण गोवा अभी भी निश्चित ही गंभीर रूप से पंगु बना हुआ है।

गोवा आने के बाद पर्यटकों का पहला अनुभव यह होता है कि भारत की स्थिति खराब है। संकटग्रस्त और जीर्ण–शीर्ण हवाई अड्डा इस स्थिति को और बुरा बना देता है। इतिहास का उल्लेख करें तो डबलीम एयरपोर्ट के रख–रखाव की लागत के बारे में सोचकर इसे नौ सेना को सौंपा गया था। गोवा में यातायात की संख्या, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में गोवा की स्थिति और भारत के लिए पर्यटन–राजस्व को बढ़ाने में गोवा का अपना योगदान बढ़ाने के लिए गोवा की अपनी क्षमता को देखते हुए स्पष्ट तौर पर यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय विमान प्राधिकरण ने गोवा की एक के बाद एक बदली सरकारों के साथ, अपनी समझ से इसकी तालाश की और लम्बे समय से महसूस की जा रही इस हवाई अड्डा की आवश्यकता को देखते हुए इसके निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थान की खोज शुरू की। यह जानकर आश्चर्य होता है कि तर्क को ताक पर रख दिया गया तथा डबलीम के मौजूदा हवाई अड्डे, को, जो कि अपनी स्थिति तथा दक्षिण गोवा से अपनी निकटता के कारण सही स्थान था, पर उचित ध्यान नहीं दिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बहुत ही पसंदीदा स्थान है।

महोदय, डबलीम में मौजदा नौ सेना सुविधाओं को पश्चिमी नौसेना कमांड/सीबर्ड के पास के स्थानों पर स्थानांतरित करने की सिफारिश करना स्वाभाविक है और बदले में मौजूदा सुविधाओं को गोवा में अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण को सौंप दिया जाए। इस विषय पर कई दृष्टिकोणों और कई पत्रों का आदान–प्रदान हुआ है और इस विषय के गुणों और अवगुणों पर कई बार चर्चा हुई है। वर्तमान विमानपत्तन में कम खर्च पर एक उत्तम स्तर की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वर्तमान विमानपत्तन को मोपा स्थानांतरित करने की तथा डबलीम में दी जा रही मौजूदा सेवा प्रणाली को संकट में डालने की क्या आवश्यकता है। यदि विकसित गोवा, जहाँ होटलों की संख्या ज्यादा है, प्रस्तावित स्थल से दूर हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को बहुत असुविधा होगी। विमानपत्तन से होटलों तक का यात्रा समय बढ़ जाएगा। दक्षिणी गोवा के दक्षता प्राप्त तथा अर्ध दक्षता प्राप्त श्रमिक विस्थापित हो जाएंगे और डबलीम जो गोवा का

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

केन्द्र है वह उत्तर और दक्षिण, दोनों जगहों से समान दूरी पर स्थित होगा। यदि हम गोवा में पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं और छुट्टियों में गोवा आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जो गोवा के सेवा उद्योग का हिस्सा हैं और हमें इस मुद्दे को पूरी तरह संभावित वैयक्तिक हितों के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए और अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आप तीन पृष्ठों वाले विवरण को नहीं पढ़ सकते।

श्री अलीमाऊ चर्चील : महोदय, मैं अब अंतिम बात के साथ ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। नागरिक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के लिए डबलीम सबसे तर्क संगत पसंद है और अन्य कोई स्थान ऐसा नहीं है। यदि मोपा में या किसी अन्य स्थान पर कोई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन बन जाता है तो महाराष्ट्र को भी लाभ होगा लेकिन डबलीम को गोवा के लिए बेहतर सुविधाओं से युक्त अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन बनाए रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यहाँ कुछ अनुशासन भी होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, कॉमनवैल्थ खेल, जो हिन्दुस्तान में 2010 में होने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के कुछ भागों में, आल्टरनेट शहरों में, खेल की सुविधाएं विकसित किए जाने का निर्णय लिया है और सरकार द्वारा इस मद में कुछ शहरों का चयन किया गया है। साई ने मेरे लोक सभा क्षेत्र के बरेली जनपद का भी केन्द्र के रूप में चयन किया है। मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि साई द्वारा सेंटरों के लिए दी जा रही सुविधाएं बरेली में भी उपलब्ध कराई जाएं क्योंकि बरेली में चाहे एस्टोटर्फ हो या खेल हों, सभी प्रकार के खेलों के अच्छे मैदान उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम सभी को उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने संक्षेप में कहा और तर्क संगत बात कही।

[हिन्दी]

तीन पन्ने का भाषण तो रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया। अब हम देखें वे कितना समय लेते हैं।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : मान्यवर अध्यक्षजी, खुजराहो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। वहां इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट जाती थी, जिसे बन्द कर दिया गया है। दूसरी तरफ, एक रेलगाड़ी बुन्देलखंड एक्सप्रेस जाती थी, जिससे पर्यटक खुजराहो आते थे, लेकिन उसके 14 स्टॉपेज बन्द कर दिए गए हैं। इस कारण अब वहां आने का कोई साधन ऐसा नहीं है जिससे पर्यटक खुजराहो सरलता से पहुंच सकें।

जहां एक तरफ सरकार कहती है कि हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे। लेकिन आवागमन के साधन बंद करने से उसके राजस्व की हानि हो रही है। मैंने जब मंत्री जी से इस विषय में गुहार की तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास पायलट्स की कमी है, इसलिए यह बंद की जा रही है। मेरी प्रार्थना है कि वहां आने वाले पर्यटकों को न केवल हवाई जहाज की सुविधा वरन् रेल की सुविधा भी प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप बांग्ला में बोलने जा रहे हैं।

श्री हितेन बर्मन (कूचबिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बांग्ला में बोलने का नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई अनुवाद नहीं है। आपने इसकी सूचना नहीं दी है। मैं पांच मिनट के बाद पुनः आपका नाम पुकारूंगा।

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं अपने चुनाव क्षेत्र के खादी नामक क्षेत्र में, अर्थात गुजरात के कच्छ में टेलिफोन कनेक्शन प्राप्त करने सम्बंधी एक ज्वलंत समस्या की ओर माननीय संचार मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, यह एक क्षेत्र एक द्वीप है जिसे खादीर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह अपने देश के सबसे दूरस्थ छोर पर स्थित है और सीमा पर है। खादीर का क्षेत्र लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी लगभग 20,000 है जो 15 से 20 गांवों में फैली हुई है। यह क्षेत्र ताल्लुका मुख्यालय से 200 किलोमीटर दूर है और उस क्षेत्र से संपर्क बनाना बहुत कठिन है।

क्योंकि वहां टेलिफोन की सुविधा नगण्य है। एक मात्र टेलिफोन कनेक्शन धोलावीरा गांव में है। इसलिए उस क्षेत्र में टेलिफोन कनेक्शन बहुत आवश्यक है। क्योंकि यह क्षेत्र सीमा पर है और देश के दूर तम स्थानों में से एक है। यहां पर एक सीमा सुरक्षा बल की चौकी भी है।

इस क्षेत्र में टेलिफोन कनेक्शन के लिए यहाँ के लोगों की लम्बे समय से मांग रही है। इसलिए, भारत सरकार विशेषकर टेलिफोन विभाग से मेरा अनुरोध है कि उस क्षेत्र में टेलिफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

श्री ए. वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल) : महोदय, 26 दिसम्बर की सुनामी के बाद तटीय राज्यों, विशेषकर कन्याकुमारी, चेन्नई और कुड्डालोर जिलों में अक्सर समुद्री अपरदन और तरंगों के कारण मकान गिरने, की घटनाएं हो रही हैं जिससे मछुआरों की वस्तुएं, जैसे कट्टुमारम, वल्लम, मोटर चालित नावें, जाल और अन्य सामग्री बर्बाद हो रही है। हर बार लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और नजदीक के गांवों में शरण लेते हैं। दहशत, भय और अनिश्चितता उन क्षेत्रों में व्याप्त है।

सरकार द्वारा भारी रकम खर्च करके बनाई गई समुद्री अपरदन दीवारें भी इन बड़ी तूफानी लहरों से लोगों को बचा नहीं पाती। कुछ स्थानों में तो ये पत्थर की दीवारें पानी में ही बह गईं, जब कि कुछ स्थानों पर ये बिखरी पड़ी हैं। जिससे कट्टुमारम वल्लम को पानी में खींच लाने में कठिनाई पैदा हो रही है। ऐसी जगहों के लिए दुर्घटनाएं भी आम बात है। क्योंकि ये पत्थर पानी के अंदर बिखरे हुए हैं।

इसलिए, केन्द्र सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि वह इस संबंध में व्यापक उपचारात्मक कदम उठाए जैसे – सुरक्षित दूरी पर उन लोगों को आवास उपलब्ध कराना, उनकी बर्बाद हुई वस्तुओं के लिए क्षतिपूर्ति देना पत्थर रखने के बदले समुद्री किनारों पर प्राकृतिक दिवार बनाने संबंधी योजना शुरू करना, उपयुक्त स्थानों पर तख्तों के बांध गौंइन्स के निर्माण के लिए धन आबंटित करना, क्योंकि यह समुद्री अपरदन को रोकने के लिए दीवार का काम करेगा तथा इससे मछली पकड़ने में भी मदद मिलेगी तथा थेंगापट्टनम, कोलाचेल, मट्टोम, राजकमांगलम थूराई मछली पकड़ने वाली बंदरगाहों के लम्बित प्रस्तावों पर तत्काल कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : 11.40 बजे तक 40 सदस्यों के भाषण रिकार्ड हो गए हैं, तब भी सदस्य खुश नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री अंसारी, आपने कोई सूचना नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के लिए पहले नोटिस देना चाहिए था। आप सुबह 9.30 बजे तक नोटिस दे सकते हैं। चूंकि आप एक नये सदस्य हैं, इसलिए मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। आगे से आप ध्यान रखिएगा। आप रूल के मुताबिक नोटिस दीजिए तब मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे एक परिपाटी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। वह एक नये सदस्य हैं और लालू जी को सुन रहे हैं। मैं नये सदस्य का नाम बुला रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे बोलने का मौका देंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको ऐसे बोलने का मौका नहीं देंगे।

श्री अफ़ज़ाल अनसारी (गाज़ीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी आजमगढ़ के माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका पर नोटिस दिया था। मैंने भी आपसे उसी विषय में बोलने की अनुमति मांगी है। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि तमाम सदस्यों के साथ मुझे भी बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में हर साल वैसे तो बाढ़ आती है लेकिन इस समय वहां पर बाढ़ की विभीषिका ऐसी है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वहां बहुत बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि हुई है, फसलों की बर्बादी हुई है, मकान गिरे हैं, मवेशी मरे हैं और गंगा किनारे काफी कटान हो रहा है... *(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से खास तौर से केन्द्र सरकार के संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि गाजीपुर ही नहीं, इस देश के ऐतिहासिक महत्व के शहीद गांव शेरपुर का अस्तित्व भी कटान के कारण खतरे में पड़ गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह आपका मेडन भाषण है।

...*(व्यवधान)*

श्री अफज़ाल अनसारी : बीरपुर, गौंदसपुर, करंडा, बजमानिया आदि ब्लॉक में बहुत से गांवों को कटान का खतरा है। ...*(व्यवधान)*

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यूपीए सरकार बिना कोई भेदभाव किए कम से कम एक हजार करोड़ रुपये की सहायता उन बाढ़ एवं कटान पीड़ित क्षेत्रों को दे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप आइन्दा पहले से नोटिस दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी पर गंभीर रूख अपनाया जायेगा। श्री उदय सिंह आप यह मत सोचें कि आप बहुत होशियार हैं। आप क्या बात कर रहे हैं। आप में अध्यक्ष के विनिर्णय को स्वीकार करने की शालीनता होनी चाहिए। यदि आप किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो भी आप वहां पर बैठकर इस तरह टिप्पणियां नहीं कर सकते। आपको यह पता होना चाहिए कि सभा में कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। यहां धमकाने का प्रयास न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने 45 माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर बयान किया है। मैं आपको मामला उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। आपने नियमों का पालन नहीं किया है। आपने उन नियमों को समझने तक का कष्ट नहीं किया है। हर कोई होशियारी दिखा रहा है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, कृपया उन्हें समय दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी पार्टी के छह सदस्यों को भी समय दिया है। यह नियमों का उल्लंघन है। वह इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। हर काम को करने की एक प्रक्रिया है। श्री उदय सिंह के खिलाफ मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। मैंने पिछली बार उनके द्वारा दिये गये भाषण की सराहना की थी।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर राजस्थान की सीमा पर शाहजहांपुर से बहरोड के बीच सड़क दुर्घटनाओं की संख्या गत वर्षों से बहुत अधिक बढ़ रही है। ...*(व्यवधान)* बहरोड के अंदर रैफरल अस्पताल है, ऑर्थोपेडिक व सर्जरी के स्पैशलिस्ट्स हैं, लेकिन ट्रॉमा यूनिट नही होने से दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को पूरी सहूलियत नहीं मिल रही पाती...*(व्यवधान)* मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहरोड दिल्ली और जयपुर के बीच बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहां ट्रॉमा सैंटर खोला जाए और साथ ही ब्लड स्टोरेज फैसीलिटी, रेसपिरेटर, वैंटीलेटर, मॉनीटर और ट्रॉमा आईसी यूनिट की स्थापना की जाए, जिससे हजारों जानें जो नेशनल हाईवेज़ पर दुर्घटना हो जाती हैं, उन्हें बचाया जा सके।...*(व्यवधान)*

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बहरोड में एक ट्रामा सैंटर की स्थापना की जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं समझना चाहिए कि मैं कोई कड़ी कार्यवाही नहीं कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कहते जाओं, आगे आपको मौका नहीं मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी के पठानकोट से जोगिन्दर नगर तक की छोटी लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों की दशा से अवगत कराना चाहूंगा। इन रेलगाड़ियों की दशा दयनीय होती जा रही है। इनमें लगे यात्री डिब्बे एक दम खस्ता हाल में हैं। बरसात में इन डिब्बों की छत से पानी टपकता है, और इसके लिए उनकी तुरन्त मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है। ट्रेन के शौचालयों का भलीभांति रख रखाव नहीं होता। इस ट्रैक पर सात ट्रेनें प्रतिदिन आती जाती हैं। इनमें लगने वाले इंजिनों की स्थिति संतोषजनक नहीं है और अक्सर ये इंजिन रास्ते में ही खराब हो जाते हैं। अतः इनमें पुराने इंजिनों की जगह पर नये इंजिन लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता है। ये इंजिन गत 35 से 40 वर्षों से कार्यरत हैं और इनकी मियाद खत्म हो गयी है।

कांगड़ा घाटी मंदिर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। पड़ोस के उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों से कई तीर्थयात्री नवरात्रों के दौरान कांगड़ा मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं।

तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रेल प्राधिकारियों को चाहिए कि वे पठानकोट से जोगिन्दर नगर तक के रेलवे नेटवर्क में सुधार लाने के लिए तुरन्त कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री हितेन बर्मन, यदि भविष्य में आप बंगला में बोलना चाहें तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप इसकी सूचना दे दें। अब आप बोल सकते हैं।

श्री हितेन बर्मन : महोदय, मैंने नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा।

***श्री हितेश बर्मन** (कूच बिहार) : वर्ष 1950 में कूच बिहार भारतीय उप महाद्वीप से संबद्ध था लेकिन केन्द्र सरकार इस जिला को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं दे सकी। दिनहाटा बांग्लादेश से सटा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगभग सात लाख लोग शिताई और दिनहाटा के बीच विभक्त हैं। संचार और यातायात की उचित सुविधाएं न होने के कारण शिताई क्षेत्र के एक लाख से अधिक लोग दिनहाटा क्षेत्र से कटे हुए हैं। इन लोगों के स्कूल, कालेज और अस्पताल जाने की कोई सुविधा नहीं है। किसानों को भी इतनी अधिक परेशानी होती है कि वे सिंगीमारी नदी की अड़चन के कारण अपनी फसल को बेचने भी नहीं जा पाते। इन दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए पुल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि सिपाही और बी एस एफ के जवान भी आसानी से सीमावर्ती क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान, इस नदी पर पुल न होने के कारण ही हमारे सैनिक बांग्लादेश के समीप सीमावर्ती क्षेत्र करथार में नहीं पहुंच पाये थे।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि लोगों की भलाई के लिए और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरन्त अदाबरी घाट पर पुल का निर्माण किया जाये। विशेषकर रक्षा मंत्रालय को पुल के निर्माण की दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए।

आपने मुझे इस विषय को उठाने की अनुमति दी इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण आमान परिवर्तन की ओर दिलाना चाहता हूं। दो राज्यों को जोड़ने वाली आमान परिवर्तन योजना–कोंडिला से जबलपुर का निर्माण चालू है। यह योजना वर्ष 1998 में प्रारंभ हुई है। इस योजना के तहत 186 किलोमीटर मार्ग का निर्माण होना है लेकिन आज छः वर्षों में सिर्फ 42 किलोमीटर के मार्ग का ही काम हुआ है। अगर बाकी के 144 किलोमीटर का मार्ग नहीं बनता तो इस योजना का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। दक्षिण पूर्व मार्ग पर इस योजना के बनने के बाद 270 किलोमीटर की दूरी हमें कम तय करनी पड़ेगी जिससे राष्ट्रीय धन की काफी बचत होने वाली है। मैं चाहता हूं कि इस काम को प्राथमिकता से लिया जाये तथा इसमें बजट की किसी प्रकार की कोई कमी न होने दी जाये। इसके साथ–साथ इसका शुभारम्भ अविलंब किया जाये।

श्री सुनील कुमार महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड में आदिवासी एवं गैर आदिवासी के बीच दरार पैदा करने के लिए वर्तमान झारखंड सरकार ने झारखंड के पंचायत चुनाव में एकपक्षीय आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी है जिसके कारण आज झारखंड में आदिवासी एवं गैर आदिवासी के बीच तनाव है, जो कभी भी अशांति का कारण बन सकता है। झारखंड में 4558 पंचायत क्षेत्रों को चुनाव हो रहा है जिसमें से राज्य सरकार ने 2026 पंचायतों को आदिवासी के लिए आरक्षित कर दिया है। झारखंड सरकार ने पंचायतों के चुनाव में एक पक्षीय निर्णय लेकर कई पंचायत क्षेत्रों को आदिवासी के लिए आरक्षित कर दिया है। इन क्षेत्रों में आदिवासी बहुत ही कम मात्रा में हैं। वहां महिलाओं के आरक्षण में भी पक्षपात किया गया है। जहां आदिवासी लोगों के लिए आरक्षित हैं वहां पर महिलाओं को आरक्षण नहीं किया गया है और जहां पर अनारक्षित क्षेत्र हैं वहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण नीति में हरिजनों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। जहां पर 70 प्रतिशत से ज्यादा हरिजन हैं वहां भी हरिजन के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। इस प्रकार से झारखंड में पंचायत का जो चुनाव होने जा रहा है, उनमें काफी विसंगतियां हैं। वहां सभी वर्गों को ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जिसके कारण समाज में काफी असंतोष है। पंचायतों के चुनाव में जो पक्षपात अपनाया गया है, जो आरक्षण पद्धति अपनाई गयी है उससे कई जन आन्दोलन हो रहे हैं, झारखंड बंद हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे दुखदायी बात है कि प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, जैसा ही मुखिया का पद एकल पद है और उस पद का आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज हम लोग सोचते हैं कि मुखिया पर ही गांव के विकास की मुख्य जिम्मेदारी है और मुखिया का पद भी आरक्षण कर राज्य सरकार गांव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है। अगर हम इस पद का रिजर्वेशन कर दें तो निश्चित रूप

*मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

से ये आंदोलन होगा। आज झारखंड बंद हो रहा है, जाम हो रहा है। ...*(व्यवधान)* समाज को आपस में तोड़कर विकास नहीं किया जा सकता बल्कि समाज को जोड़कर विकास किया जा सकता है। आज झारखंड में आदिवासी और गैर आदिवासी को आपस में लड़ा दिया गया है। वहां मात्र 24 परसेंट आदिवासी हैं जबकि 76 परसेंट गैर आदिवासी हैं। आज 76 परसेंट लोगों को इस रिजर्वेशन से वंचित कर दिया गया है। इस कारण झारखंड में लाग लगी हुई है।

हमारी आपसे मांग है कि वर्तमान सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और ऐसे चुनाव पर रोक लगाई जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा बोला।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी इसे बदल सकते हैं। कोई रूल अमेंड कर दें, नहीं तो वहां दिक्कत हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इन्होंने सवाल उठाया है, आप लोग मदद करते हैं। ठीक है।

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : अध्यक्ष जी मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एसोशिएट कर लीजिए।

श्री जुएल ओराम : एसोशिएट नहीं, आप मुझे मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका तो कोई नोटिस नहीं है। ऐसे नहीं देंगे।

श्री जुएल ओराम : आपको तो कुछ पता नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें कुछ पता नहीं है, आपको तो रूल बुक का भी पता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये। केवल श्री वरकला राधाकृष्णन के भाषण को कार्यवाही वृत्तांत वृत्तांत में सम्मिलित किया जाये।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : अध्यक्ष जी, मेरा भी नोटिस है। कानून क्या एकतरफा बन गया है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री चन्द्र शेखर दूबे : सर, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस दिया है तो क्या हो गया?

श्री चन्द्र शेखर दूबे : सर, जो अभी झारखंड के बारे में कहा गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड नहीं हो रहा है। आप एसोशिएट करना चाहते हैं तो आपका नाम रिकॉर्ड हो जाएगा।

श्री चन्द्र शेखर दूबे : सर हमने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, अब हम दूसरे विषय पर आते हैं। आज लगभग 50 माननीय सदस्यों को बुलाया गया है। इस पर भी हर कोई मुझे धमका रहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पचास लोगों ने नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

हमें इस तरह का सिला मिल रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, आप अपनी बात कृपया संक्षेप में कहें। वरना मुझे गुस्सा आ जायेगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी इस सभा की, इस सभा की छवि की परवाह नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिंरायिंकिल) : मैं केरल राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को यहां पर उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल पीठासीन अधिकारी को धमकाने से काम नहीं चलेगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के आय अर्जन हवाई अड्डों में से एक है, लेकिन वहां उपलब्ध यात्री सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप नहीं है। यहीं तक कि वहां मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। हमारे द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद नागर विमानन मंत्रालय ने त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। इस बात की पहले से ही मंजूरी दी जा चुकी है कि वहां शीघ्र ही एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल खोला जायेगा। इसके लिए कुछ साल पहले एक घोषणा भी की गयी थी। लेकिन इस बारे में हुआ कुछ नहीं है। मैं मंत्री जी से कई बार मिला और उनसे अनुरोध किया कि वह दूसरे अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर कार्य करने के लिए तुरन्त कदम उठायें। लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से उनके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि त्रिवेन्द्रम में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर कार्य शुरू करने की दिशा में तुरन्त कदम उठाये जायें।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय हज़ कमेटी का कार्यालय मुम्बई में है। मई 2002 में जब यह विधेयक लोक सभा में पारित हो रहा था, उस समय भी हमने विनम्र आग्रह किया था कि केन्द्रीय हज़ कमेटी का कार्यालय मुम्बई में होना किसी भी कीमत में व्यावहारिक नहीं है। एक जमाना था जब पूरे हिन्दुस्तान के लोग मुम्बई से हज़ करने के लिए पानी के जहाज से जाते थे। लेकिन 1995 से यह पानी का जहाज बंद हो गया। पूरे हिन्दुस्तान के 15 स्थानों से उड़ानें भरी जाती हैं। तीन स्थानों से महाराष्ट्र से उड़ाने भरी जाती हैं और जितने हज़ यात्री होते हैं, उनमें से 60 प्रतिशत हज यात्री उत्तर भारत के होते हैं। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम, जम्मू-कश्मीर, बिहार और झारखंड के पचास सांसदों ने एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है और उनसे आग्रह किया है कि इसका कार्यालय दिल्ली में होना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय हज़ कमेटी का कार्यालय मुम्बई में नहीं होना चाहिए क्योंकि जब सारी महत्वपूर्ण बैठकें दिल्ली में होती हैं तो किसी भी कीमत पर मुम्बई में कार्यालय का होना न्यायसंगत नहीं है। विदेश राज्य मंत्री जी जो हज़ को देखते हैं यहां बैठे हुए हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप अपने दृष्टिकोण को बदलिए और लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय हज़ कमेटी का कार्यालय दिल्ली में स्थापित करने का कष्ट कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शंखलाल माझी, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री पारस नाथ यादव तथा श्री तूफानी सरोज इस मामले में स्वयं को संबद्ध करना चाहते हैं। वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं और उनकी वार्ता को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाये।

श्री चन्द्र शेखर दूबे : उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में बीएसएनएल टेलीफोन की कमियों और पोस्टपेड व प्री-पेड कनेक्शन्स के बारे में जानकारी दी है। मैं खासतौर पर छत्तीसगढ़ राज्य के विलासपुर जिले और राजनादगांव जिले में टेलीफोन की कमी के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहां बीएसएनएल टेलीफोन की कमी है, टेलीफोन के लिए बहुत से आवेदन दिए गए हैं और लगभग एक लाख लोगों की वेटिंग लिस्ट चल रही है। इसी तरह बीएसएनएल के पोस्टपेड और प्री-पेड सिम कार्ड्स की भारी कमी है और वोटिंग लिस्ट चल रही है। प्री-पेड कनेक्शन दिए जा रहे हैं लेकिन पोस्टपेड के लिए कमी दिखाकर भ्रष्टाचार चल रहा है और लोग ज्यादा रेट पर इसे बेच रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि विलासपुर जिले में तखतपुर क्षेत्र, मुंगेली, पथरिया, पंडरिया, नोरमी, बिलहा, गौरेला, पिण्डारा, कुंडा और सकरी क्षेत्र में टेलीफोन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। वहां सिम कार्ड की व्यवस्था करने की आवश्यकता है और मोबाइल सेवा की भी आवश्यकता है। चूंकि उसके लिए सर्कुलर जारी हो चुका है और उसमें उन लोगों के नाम दर्ज हैं। अभी तक इन क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रारंभ नहीं की जा रही है।

महोदय, मैं एक अन्य बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विलासपुर जिले के मरवाहा पिण्डरा में एक टेलीफोन ऑफिस था जिसे अब कटघोरा में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी वजह से लोगों में अशान्ति फैली हुई है और वहां टेलीफोन की व्यवस्था के बारे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहां लोग टेलिफोन व्यवस्था से वंचित हैं और अपना टेलीफोन न होने के कारण उनको असुविधा हो रही है। अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में विलासपुर जिले में टेलीफोन की व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए और पोस्ट–पेड व प्रीपेड कनेक्शन्स उपलब्ध कराए जाएं। जिन लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में हैं, उनको तत्काल टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला है। अब अपने दोस्त को भी बोलने दीजिए।

श्री राम स्वरूप कोली (बयाना) : महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सही चयन करने के मामले में यह निश्चित करने के लिए कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिले। इसके लिए स्थानीय सांसद की संस्तुति लेना आवश्यक कर दिया जाए, जिससे सरकार को सही स्थिति की जानकारी मिल सके। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि रिश्वत अथवा प्रभावशील व्यक्तियों के दबाव में प्रायः शासकीय कर्मचारियों को अनेक बार निर्धनों के स्थान पर धनाढय व्यक्तियों की संस्तुति करनी होती है। इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का हक मारा जाता है।

महोदय, निर्धन लोग भूखे रहते हैं तथा अपेक्षाकृत धनी व्यक्ति सुखी रहते हैं। साथी सांसदों से चर्चा में भी इस प्रकार की शिकायतों का ज्ञान हुआ। बिना स्थानीय सांसद की संस्तुति के यह सुविधा लोगों को न दी जाए। मुझे आशा एवं विश्वास है कि सरकार पात्र व्यक्तियों को ही लाभ सुनिश्चित कराने के लिए मेरे सुझाव पर अत्यंत गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करेगी। धन्यवाद।

श्री चन्द्र शेखर दूबे : महोदय, अब मैं सदन में उपस्थित हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपने अच्छा नहीं किया है।

श्री चन्द्र शेखर दूबे : मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बोलिए।

श्री चन्द्र शेखर दूबे : महोदय, हमारे मित्र श्री सुनील महतो जी, जो झारखण्ड से सांसद हैं, ने अभी जो बात यहां सदन के सामने रखी है, उसी विषय पर मेरा भी नोटिस था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप एशोसिएट कर लीजिए।

श्री चन्द्र शेखर दूबे : महोदय, मैं बहुत कम शब्दों में सिर्फ यह बात कहना चाहता हूँ कि वहां की सरकार द्वारा आदिवासी और गैर–आदिवासी का झगड़ा लगा दिया गया है। प्रदेश सरकार वहां पंचायत के चुनाव कराने जा रही है जबकि प्रदेश के 76 प्रतिशत जनता उसका विरोध कर रही है और उनके बीच काफी आक्रोश होने के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव को रोक देना चाहिए और जो एकल पद हैं, उन पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए और 76 प्रतिशत लोगों में जो आक्रोश है, उसे देखते हुए पंचायत चुनाव एकल पद आरक्षण समाप्ति के बाद कराया जाना चाहिए।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री जी. करूणाकर रेड्डी (बेल्लारी) : महोदय, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए धन्यवाद। मेरे बेल्लारी लोक सभा संसदीय क्षेत्र में रेल से संबंधित कई समस्याएं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह वाया वेल्लारी चेन्नई से मुंबई तक तथा मुंबई से बेल्लारी तक और गुंटाकुल से कोट्टूर तक एक और ट्रेन चलवायें। मेरा यही अनुरोध है।

महोदय, गुंटाकुल और हुबली के लिए दिन में कोई ट्रेन नहीं है जिससे यात्रियों को और इस क्षेत्र की जनता को कई तरह की परेशानियां होती हैं। आमान–परिवर्तन से पहले दिन के समय इन स्थानों के लिए बेल्लारी होते हुए कई ट्रेनें थीं। मेरा अनुरोध है कि आमान परिवर्तन से पहले वहां जितनी ट्रेनें चलती थीं उन सबको पुनः चलाया जाये।

हुबली से बंगलौर के बीच चलने वाली हम्पी एक्सप्रेस ट्रेन में केवल एक सामान्य डिब्बा है और उसमें शयनयानों की संख्या बहुत कम है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हम्पी एक्सप्रेस में कम से कम एक 3 टायर शयनयान और दो साधारण डब्बे तथा तीन शयनयान डब्बे और जोड़ें।

उस क्षेत्र में बहुत सी व्यवसायिक गतिविधियां होती हैं और यदि रेलवे द्वारा ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं तो यह बेल्लारी के लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक और सहायक होगा।

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : महोदय, मुझे यह एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर में एक नदी है जिसे काबिनी कहते हैं यह कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। इस नदी पर एक पुल है जो अंग्रेजों

के समय में बना था। यह पुल बहुत कमजोर है। इस पुल से दो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 और 212 गुजरते हैं। यह एव बहुत पुराना पुल है।

मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्य को तत्काल आरंभ करें।

अध्यक्ष महोदय : यह आज रिकॉर्ड में आ गया है।

श्री एम. शिवन्ना : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव आपकी सूचना बहुत अस्पष्ट है। यह राज्य सरकार से संबंधित है। इसलिए, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। आपने एक राज्य की कानून और व्यवस्था का मामला उठाया है।

जिन सूचनाओं को नियमानुसार नहीं उठाया जा सकता उनके अतिरिक्त आज मैंने प्रत्येक माननीय सदस्य को अनुमति दी है। मैंने कुल मिलाकर 56 माननीय सदस्यों को अनुमति दी है। उनका मामला स्वीकार्य नहीं है। मुझे खेद है। यह राज्य का विषय है और स्वीकार्य नहीं है।

मेरे विचार से मैं आप सब की ओर से थोड़ी सी 'बधाई' का पात्र तो हूं ही।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री हंसराज जी. अहीर बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था। मैं खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नॉनएडमिसिबिलिटी के लिए कहा था कि आपका नोटिस स्वीकार नहीं किया गया है।

अपराह्न 1.04 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इसकी अनुमति नहीं दी गई है और इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसकी अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : राम कृपाल जी, रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसे कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दिया है। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.05 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम नियम 377 के अधीन मामलों को ले रहे हैं। जो माननीय सदस्य अपने मामले सभा पटल पर रखना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति है। उन्हें सभा पटल पर रखा माना जाएगा।

(एक) गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनाथ पर्वत पर ट्रॉली सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में दो प्रसिद्ध पर्वत हैं। इनमें से एक गिरनाथ पर्वत और दूसरा दातार पर्वत है। कहा जाता है कि गिरनाथ पर्वत हिमालय पर्वत से भी ज्यादा प्राचीन और प्रसिद्ध पर्वत है। गिरनाथ पर्वत पर जैन और हिन्दुओं का धार्मिक स्थल है। इसी तरह दातार पर्वत पर मुस्लिम और हिन्दुओं का धार्मिक स्थल है। इस क्षेत्र को भक्त नरसिंह मेहता का जन्म स्थल भी कहा जाता है। इसलिए इस स्थान का महत्व धार्मिक और पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

इस पर्वत पर रोप–वे (उड़ान खटोला) बनाने की अनुमति काफी समय पहले से मिल चुकी है, जिसके लिए एजेन्सी को भी नियुक्त किया जा चुका है। लेकिन अभी तक कार्य आरंभ नहीं किया गया है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि धार्मिक स्थल की महत्वता को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाये।

(दो) जी. एन. बी. विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन फिर से शुरू करने हेतु धावन पथ को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनवर हुसैन (धूबरी) : गुवाहाटी स्थित जी. एन. बी. विमानपत्तन को बिना समुचित आधारभूत अवसंरचना के ही एक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित कर दिया गया है। एक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान के संचालन के कुछ दिन पश्चात ही उस सेवा को बंद कर दिया गया है।

दूसरे, पूर्वोत्तर राज्यें के हाजियों से यह स्पष्ट वादा किया गया था कि वर्ष 2004–05 के हज से उन्हें गुवाहाटी से जेद्दाह के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध होगी। गुवाहाटी विमानपत्तन की धावन पट्टी बड़े विमानों के लिए अनुपयुक्त थी और जेद्दाह विमान प्राधिकरण ने छोटे विमानों के जेद्दाह उतरने से इन्कार कर दिया। अंतिम समय में गुवाहाटी के हाजियों को कोलकाता ले जाया गया और वहां से उन्हें जेद्दाह भेजा गया जिससे उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। इस समस्या को भली–भांति जानने के बावजूद भी नागर विमानन विभाग ने आगे आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए जी. एन. बी. विमानपत्तन की धावन पट्टी को चौड़ा करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया है।

इसलिए, मैं माननीय नागर विमानन मंत्री जी से धावन पट्टी को चौड़ा करने और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन तत्काल बहाल करने पर पर्याप्त ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) बलसाड़, गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को भाईलाड़-नारोल-सेलवास-दमन मार्ग को जोड़ने वाले क्रासिंग पर उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल (बलसाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बलसाड़ में अहमदाबाद–मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 पर भाइलाड–नारोल–सैलवास–दमन को जाने वाले चौराहे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, चौराहे के चारों तरफ गुजरात इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा अन्य करीब 5000 से भी अधिक कल–कारखाने है। इस चौराहे के आसपास भारी वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों नागरिक इन कल–कारखानों में कार्यरत हैं और इस चौराहे पर उन्हें अपना बहुत सा समय व्यर्थ करना पड़ता है क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग–संख्या 8 पर केन्द्र सरकार ने पुल का निर्माण नहीं करा रखा है।

अतः मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से निवेदन करता हूं कि भाइला–नारोल–सैलवास–दमन को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के इस चौराहे पर शीघ्र एक पुल का निर्माण कराया जाये।

(चार) बीबीनगर से नादिकुडि तक के रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण संबंधी लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने तथा आन्ध्र प्रदेश में ओबुलावारी-पल्ली और कृष्णपत्तनम पोर्ट के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रेल बजट में सम्मिलित किए जाने तथा तत्काल आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निम्नलिखित दो प्रस्ताव भेजे हैं:–

* बीबीनगर से नादिकुडि रेल लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण किए जाने का अनुरोध।
* बीबीनगर से नादिकुडि तक की रेल लाइन तटवर्ती जिलों के दो जुड़वां शहरों को जोड़ने वाली दक्षिण मध्य रेल का एक महत्वपूर्ण खण्ड है।
* हैदराबाद–चेन्नै एक्सप्रेस, नरसापुर एक्सप्रेस और फलकनुमा एक्सप्रेस जैसी रेलें इस मार्ग पर चलने वाली विख्यात रेलें हैं क्योंकि इस मार्ग से यात्रा समय कम लगता है।
* इस मार्ग की रेलें पूर्णतया भरी होती हैं और जनता की ओर से इस मार्ग पर और अधिक रेलें चलाए जाने की मांग लगातार बनी हुई है।
* काड़पा जिले में ओबुलावारीपिल्ली से बेल्लोर जिले में कृष्णपतनम पत्तन तक रेल लाइन का निर्माण।

बेल्लारी – होस्पेट में खनन क्षेत्रों के लिए कृष्णा पत्तनम पत्तन

तक पहुंचने के लिए एक रेल लाइन की आवश्यकता है। यह लाइन काड़पा जिले के दूर–दराज के क्षेत्रों के विकास में भी सहायक होगी। इसकी कुल लम्बाई 114 किलोमीटर है और इस परियोजना की लागत लगभग 450 करोड़ रुपये होगी। राज्य सरकार इस रेल परियोजना हेतु भू–अधिग्रहण के लिए 20 करोड़ रुपये की सीमा तक 13% हिस्सा पूंजी उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस परियोजना को गति प्रदान की जाए।

चूंकि ये प्रस्ताव दो वर्षों से अधिक समय से लंबित है अतः मैं केन्द्रीय मंत्री महोदय से इन प्रस्तावों को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) बोकारो इस्पात संयंत्र, झारखंड के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सेल, स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी इकाई झारखंड प्रांत में अवस्थित है। वहां पर राज्य सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा वर्षों से बोकारो स्टील प्लांट के आवास में रहने के चलते प्लांट में कार्य कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास का सुविधा मिलने में कठिनाई हो रही है, जिससे अधिकारियों एंव कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। राज्य सरकार के द्वारा आवास बन जाने के बावजूद भी वे बोकारो स्टील के आवास में रहे रहे हैं तथा बोकारो स्टील के द्वारा आवास भाड़ा का बिल देने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे बोकारो स्टील का राज्य सरकार पर आवास भाड़ा करोड़ों रुपये में हो गया है।

अतः बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मिलने वाले आवास के कठिनाइयों को देखते हुए तथा करोड़ों रुपये के भुगतान करने एवं आवास वापस दिलाने के लिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(छह) 2001 की जनगणना के आधार पर उत्तरांचल विधानमंडल में सीटों के परिसीमन संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन अधिनियम 2002 के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं का 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जा रहा है। इसमें देश का पर्वतीय राज्य उत्तरांचल भी सम्मिलित है।

उत्तरांचल का गठन 9 नवम्बर, 2000 को हुआ और उसकी 70 विधान सभा क्षेत्रों को परिसीमन सन् 2001 में किया है, जिसके आधार पर वहां चुनी हुयी सरकार कार्य कर रही है।

वर्तमान परिसीमन में उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र से 9 विधान सभा क्षेत्र घटाये जाने का प्रस्ताव है; जिससे उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र की जनता में तीव्र रोष व्याप्त हैं। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की सीमायें चीन, तिब्बत व नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी है और नेपाल में माओवादी हिंसा की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में जनता में यह आशंका है कि जहां एक ओर विधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जायेगा वहीं विधायकों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में पहले से ही प्रदेश का पिछड़ा हुआ पर्वतीय क्षेत्र और अधिक पिछड़ा जायेगा। और उत्तरांचल का शांतिप्रिय क्षेत्र भी अशांत हो सकता है।

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल होने तथा रोजगार हेतु पलायन के कारण जनसंख्या में कमी आयी है। लोक सभा हेतु वर्ष 2026 तक परिसीमन स्थगित किया गया है, उसी अनुसार राज्यों की विधान सभाओं का भी परिसीमन स्थगित किया जा सकता है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उत्तरांचल की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तरांचल को भी जम्मू–कश्मीर की भांति परिसीमन अधिनियम की परिधि से बाहर रखा जाये अथवा 2001 के परिसीमन को ही मान्यता देकर वर्तमान परिसीमन की कार्यवाही को निरस्त किया जाये या कम से कम 2026 तक लोक सभा के समान स्थगित रखा जाये।

(सात) भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस हर रोज चलाए जाने तथा हजरत निजामुद्दीन और भुवनेश्वर के बीच कटक से होकर दो राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रैस रेल संख्या 2421–2422 और 2443–2444 सप्ताह में चार दिन चलती हैं और उड़ीसा के 30 जिलों में से केवल चार जिलों तक पहुंचती है, शेष जिलों के रेल सेवाओं को उपयोग करने वाले लोग जो कि अक्सर दिल्ली का दौरा करते रहते हैं वे इन रेलों का लाभ नहीं उठा पाते झारसुगड़ा, सम्बलपुर और अंगुल को सम्मिलित करते हुए हीराकुड एक्सप्रैस मार्ग पर सप्ताह के शेष तीन दिनों में कटक से होते हुए हजरत निजामुद्दीन और भुवनेश्वर के बीच एक जोड़ी राजधानी गाड़ी शुरू कर दी जाएं तो बड़ी संख्या में उड़ीसा राज्य के यात्री इससे लाभान्वित होंगे। दो लिंक एक्सप्रैस रेलें, एक कसींगा और बालनगीर होते हुए कोरापुर से और दूसरी बुरहनपुर से भुवनेश्वर होते हुए सम्बलपुर से आरंभ की जाएं जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले यात्री सम्बलपुर और भुवनेश्वर से राजधानी एक्सप्रैस रेल ले सकें।

इस प्रकार, मैं भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को बिना किसी अतिरिक्त विलम्ब के दैनिक रेल बनाए जाने की मांग करता हूं।

(आठ) कृत्रिम सूत पर से शुल्क हटाए जाने के अलावा विस्कोस और फिलामेन्ट यार्न पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की पहल को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा (सूरत) : इस देश के लोग बड़ी संख्या में कपड़ा उद्योग से अपना रोजगार पाते हैं। कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों की संख्या लाखों में है। एक देश कपड़ा उत्पादों के निर्यात से लगभग 13 बिलियन डॉलर अर्जित करता है। वर्तमान में हाथ से बुने सभी धागों पर 16 से 24 प्रतिशत तक शुल्क लगता है लेकिन दूसरी ओर सरकार ने वर्ष 2004–2005 के बजट में सूती धागों पर लगे शुल्क को समाप्त कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप पॉलिस्टर धागे की मांग में कमी आई है और हाथ से बने धागे से जुड़े उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। इससे बहुत से लोगों का रोजगार समाप्त हो गया है और सरकार को भी इस प्रक्रिया में विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। इसके अतिरिक्त अब सरकार विस्कोस और फिलामेंट धागे पर पाटन रोधी शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। इससे स्वदेशी उद्योग को हानि पहुंचेगी। इसीलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वह विस्कोस और फिलामेंट धागे पर प्रतिपाटन शुल्क न लगाए और दूसरी ओर हस्त निर्मित कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए हस्त निर्मित धागे पर वर्तमान में लगाए जा रहे शुल्क को समाप्त करे।

(नौ) जोधपुर-बाडमेर और जोधपुर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य शुरू किए जाने तथा जोधपुर जिला के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति भी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जोधपुर में काफी समय पूर्व दो राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किये गये थे। एक राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर से बाडमेर एवं दूसरा जोधपुर से जैसलमेर। लेकिन दो साल गुजरने के बाद भी अभी तक उन पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। अभी भी लोग सिर्फ राजमार्ग के खंभों से संतुष्ट हो रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से भूतल परिवहन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य तुरंत शरू किये जाये। साथ ही राजस्थान सरकार ने जोधपुर जिले के सड़क निर्माण हेतु केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कई प्रस्ताव भेजे हैं, वे प्रस्ताव आज भी लंबित है।

महोदय, जोधपुर एक सीमावर्ती जिला है। जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव तुरंत स्वीकृत किये जाये ताकि आम आदमी को राहत मिल सके।

(दस) आई आर सी टी सी लिमिटेड द्वारा रेलगाड़ियों में पैन्ट्री कार की संविदा दिए जाने में अपनाई जा रही प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, आई.आर.सी.टी.सी.लि. द्वारा रेल गाड़ियों में जो पैंट्री कार के ठेके दिये जा रहे हैं, उनमें पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य किया जा रहा है। कुछ ट्रेनों में रेलवे द्वारा दिये गये ठेकों की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद उनके लिए निविदाएं न मांगकर उनको एडहॉक रिन्युवल बेसिस पर चलाया जा रहा है और उन सबका आबंटन आर. के. ग्रुप एवं चौटई ग्रुप को कर दिया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियां जैसे गोवा एक्सप्रेस, मुम्बई–कन्याकुमारी एक्स., पंजाब मेल, पुष्पक एक्स., बंगलौर–जयपुर एक्स., गोमती एक्स., झेलम एक्स., और कुशीनगर आदि एक्स. गाड़ियों के ठेके बिना निविदा मांगे आई.आर.सी.टी.सी.लि. द्वारा उपरोक्त दोनों ग्रुपों को दे दिये गये हैं। ऐसा लगता है कि आई. आर. सी. टी. सी. लि. जानबूझ कर उक्त दोनों ग्रुपों को लाभ पहुंचाने के लिए सारे नियमों को ताक पर रख रही है।

अतः मेरा अनुरोध है कि आई. आर. सी. टी. सी. लि. द्वारा उक्त दोनों ग्रुपों को दिये गये ठेकों की उच्चस्तरीय जांच करायी जाये और इसमें दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये तथा जितनी भी गाड़ियों में ठेके एडेंहाक रिन्युअल पर चल रहे हैं, उनके लिए तत्काल निविदायें आमंत्रित की जायें और उनका आबंटन किया जाये।

(ग्यारह) दूरदर्शन केन्द, कोलकात्ता की राजस्व आय बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों के समय आबंटन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोलकाता दूरदर्शन के प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए लगभग सभी समय लगातार कई वर्षों से खाली पड़े हैं जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है जबकि अनेक निर्माता बहुत पहले केंद्र द्वारा विधियत रूप से अनुमोदित अपने आर्थिक राजस्व वाले कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं कोलकाता दूरदर्शन बोली प्रक्रिया को न अपनाकर बहुत कम कीमत पर नए कार्यक्रमों को समय का आबंटन कर रहे हैं। जिस समय के लिए 60,000 रुपए या उससे अधिक मिलते हैं उसे अब कुछ चुनिंदा पार्टियों को 15,000 रुपए में आबंटित किया जा रहा है। यहां तक कि सर्वाधिक राजस्व कमाने वाले समय भी 10,000 रुपए तक में चुने हुए लोगों को आबंटित किए जा रहे हैं। इससे राजस्व

घाटे में और वृद्धि होगी। किसी भी चूककर्त्ता के विरूद्ध कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। चूककर्ता निर्माताओं से पैसा वसूलने के लिए कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई। यह राजस्व घाटे का एक और क्षेत्र है।

कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई और दूरदर्शन पर कार्यक्रमों की गुणवत्ता और कमी के कारण निजी उपग्रह चैनलों को लाभ हो रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसमें हस्तक्षेप करें और रिक्त स्थानों, चूककर्ता निर्माताओं, कुछ चुनिंदा लोगों को बहुत कम दरों पर समय आबंटित करने के कारण होने वाले राजस्व घाटे को रोकें। ताकि कोलकाता दूरदर्शन एक बार फिर सभी दूरदर्शन केंद्रों में सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त कर सके। मैं दोषी को दंड देने के साथ–साथ केंद्र को लाभार्जित करने वाला केंद्र बनाने के लिए तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

(बारह) केरल में कायमकुलम फिशरी हार्बर बनाए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सी. एस. सुजाता (मवेलीकारा) : कायमकुलम मत्स्यन बंदरगाह की बहुत पुरानी मांग है। भारत सरकार ने वर्ष 1994 के दौरान इस योजना को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की थी। भूमि अधिग्रहण में विलम्ब और उच्च न्यायालय में विवाद के कारण योजना को पूरा नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त जलसर्वेक्षण और स्थलाकृति में परिवर्तन के कारण व्यापक माडल अध्ययन की आवश्यकता हुई। माडल अध्ययन कराने और विवाद का निपटारा करने के पश्चात 2004 में 1970.32 लाख रुपए के प्राक्कलन सहित एक संशोधित परियोजना भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी। परन्तु अभी तक केंद्र सरकार ने कायमकुलम में बंदरगाह बनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है।

मैं सरकार से और विलम्ब किए बिना कायमकुलम मत्स्यन बंदरगाह स्थापित करने के लिए तत्काल उपाय करने का आग्रह करती हूं।

(तेरह) हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के निरन्तर क्षय की जांच किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमालय में गंगोत्री हिमनद पिछले कई वर्षों से घट रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले समय में गंगा की अविरल धारा पर पड़ सकता है। हिमनद के घटने के कारणों का विवेचन 18 अप्रैल, 2005 को एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया था।

गंगा के बहाव को बनाये रखने के लिए हिमालय के क्षेत्र में हरियाली को बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें। सैलानियों द्वारा उस क्षेत्र को गंदा करने से रोका जाये और नियमित समय पर इन कदमों से होने वाले प्रभाव का आकलन भी किया जाना चाहिए तथा अन्य हिमनदों का एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाना चाहिए ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि कहीं हिमनदों का घटना एक सामान्य और प्राकृतिक घटना तो नहीं है।

मैं जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में आवश्यक कदम उठायें तथा इस संबंध में सदन को समय समय पर अवगत कराते रहें ताकि गंगा की अविरल धारा निरन्तर बनी रहे।

(चौदह) हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीनपुर, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद हमीरपुर, उ.प्र. में कोई नवोदय विद्यालय अभी तक नहीं खोला गया है जबकि मानव संसाधन मंत्रालय की स्पष्ट नीति है कि प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय खोला जायेगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र के ग्राम इटायल, तहसील, राठ, जिला हमीरपुर में इसी साल नये विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति एवं राठ में अस्थायी विद्यालय खोलकर कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(पन्द्रह) बिहार में पोठही और नादौल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 की उचित मरम्मत और रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 83 की लंबाई पटना से गया तक लगभग 100 कि. मी. है, जिसमें पोठही से नादौल तक लगभग 25 कि.मी. बिल्कुल ही जीर्णशीर्ण अवस्था में है। इतनी दूरी में सड़क गढ्ढे के रूप में परिवर्तित हो गयी है। सवारी गाड़ी प्रत्येक दिन दुर्घटनाग्रस्त होती रहती है। पोठही एवं नीमा के बीच मोरहर नदी में निर्माणाधीन पुल भी अधूरा पड़ा है।

अतः जनहित में इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क के जीर्णोद्वार एवं उन्यन कराने तथा अधूरे पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने हेतु अनुरोध करता हूं।

(सोलह) मिसरिख संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नैमिषारण्य एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस क्षेत्र में दधीची कुंड, पांडव किला, हनुमानगढ़ी, सुदर्शन चक्र, माँ ललित देवी मंदिर (शक्तिपीठ) जैसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं। चारों धाम की यात्रा के बाद धार्मिक श्रद्धालु नैमिषारण्य की 84 कोस परिक्रमा करते हैं, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। यहां पर देश के श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी दर्शन करने आते हैं। इन धार्मिक स्थलों का महत्व मूलभूत पुराणों में भी वर्णित है, लेकिन आज भी इन स्थलों में जरूरी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। केन्द्र द्वारा धार्मिक स्थलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिवर्ष राज्यों को निधि आबंटित की जाती है, लेकिन राज्यों द्वारा इन स्थलों के विकास तथा सुविधा पहुंचाने हेतु समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त धार्मिक स्थल के महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने हेतु अंतर्राज्यीय बस अड्डा स्थापित करने, नैमिषारण्य व मिसरिख को रेलवे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ने के साथ साथ आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु समुचित कदम उठाये जायें।

(सत्रह) लोगों को सुविधा के लिए परभनी डाक जिले के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र के परभनी जिले के सभी गांवों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी) : उपाध्यक्ष महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी के 22 गांव परभनी जिले में पड़ते हैं परन्तु उन सबका पोस्ट जिला बुलढाना में है, जो विदर्भ क्षेत्र में पड़ता है। गांव एक जिले में पोस्ट ऑफिस दूसरे जिले में, इससे डाक के खो जाने एवं डाक वितरण की समस्या बनी रहती है एवं लोगों को डाक नहीं मिल पाती है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि परभनी जिले के 22 गांव का पोस्ट आफिस जिला परभनी में किया जाये।

(अठारह) महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत मुहैया कराए जाने हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती निवेदिता माने (इचलकरंजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के इंचलकरंजी जिले में आयी भयंकर बाढ़ की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, इस भीषण बाढ़ के कारण इंचलकरंजी जिले में जानमाल, पशुधन और फसल की भारी पैमाने पर तबाही हुयी है। पावरलूम उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करती हूं कि इस जिले के किसानों, उद्योगों और आम जनता को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाये और राहत और पुनर्वास कार्य में तेजी लाने हेतु अधिक से अधिक धन उपलब्ध किया जाये।

(उन्नीस) सुंदरवन वाटरवेज को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : पश्चिम बंगाल में सुंदरवन एशिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। जिसमें 222 कि.मी. लम्बी सर्वकालिक नदियां हैं। इन नदियों को नौवहन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तथापि, उनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया। हल्दिया–राममंगल खंड अथवा नदियाँ, जो कि लगभग 91 कि. मी. लम्बी हैं को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव पहले ही मंजूर हो चुका है परन्तु यह पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है।

सुन्दरवन हमारे देश के औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़े और गरीबी से पीड़ित क्षेत्रों में से एक है। यदि सुंदरवन की बारहमासी नदियों का नौवहन के लिए उपयोग किया जाए तो इससे मछुआरों सहित स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक दशा सुधारने में भी मदद मिलेगी।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सुंदरवन जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए शीघ्र कदम उठायें।

(बीस) देश के भूमिहीन अनुसूचित जाति और गरीब जनता के बीच अवशेष भूमि का बंटवारा करने के उद्देश्य से पर्यावरण और वन-संरक्षण अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जिनके पास रहने के लिए अथवा अपनी जीविका चलाने के लिए खेतीबाड़ी हेतु एक इंच भी भूमि नहीं है। लेकिन दूसरी ओर देश में लगभग आठ करोड़ एकड़ भूमि सरप्लस है। यदि इस भूमि को और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जरूरी

संशोधन करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन लोगों में वितरित कर दिया जाये तो इससे न केवल सरप्लस भूमि का समुचित उपयोग किया जा सकेगा, बल्कि देश के गरीब भूमिहीन लोगों को अपना सिर छुपाने के लिए स्थान मिल सकेगा और साथ ही वे खेतीबाड़ी के जरिए अपना जीवन निर्वाह भी कर सकेंगे। इस प्रकार से गरीब भूमिहीन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिलेगी और साथ ही वे लोग राष्ट्र की मुख्यधारा से भी जुड़कर देश के उत्थान हेतु अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश की सरप्लस भूमि को और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जरूरी संशोधन करके अतिरिक्त भूमि को देश के गरीब एवं दलित समुदाय के भूमिहीन लोगों में भूमि आबंटित किये जाने हेतु जरूरी कारगर कदम उठाये जाये।

(इक्कीस) मुम्बई महाराष्ट्र में शहरी नवीकरण कार्यक्रम के लिए 800 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मिलिन्द देवरा (मुम्बई–दक्षिण) : मुम्बई के बहुत से निवासी पुरानी और जीर्णशीर्ण इमारतों में रहते हैं। कभी भी और विशेषकर मानसून के दौरान ये ढांचे गिर जाते हैं। जिससे अनेकों निवासियों की मृत्यु हो जाती है और सम्पत्ति का नुकसान होता है। पिछले कुछ सप्ताह में यह गंभीर समस्या प्रकाश में आई है। सोमवार, 29 अगस्त को प्रातः काल नागपाड़ा और मैरीन लाइंस में कुछ भवन गिर गए थे।

महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड गठित किया है। जिसकी जिम्मेदारी इन पुरानी इमारतों की मरम्मत करने और इनका पुनर्निर्माण करने की है। दुर्भाग्य से धन की कमी के कारण बोर्ड प्रभावशाली ढंग से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। दिसम्बर 1985 में प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने प्रधान मंत्री अनुदान परियोजना बनाई थी। जिसके लिए केंद्र सरकार ने मुम्बई में एक शहरी नवीकरण कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। पी एम जी पी से अनेकों जीर्ण–शीर्ण ढांचों की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया गया।

मुम्बई मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड को राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से और धन प्रदान किए जाने की तुरन्त आवश्यकता है। ताकि बोर्ड अपने उद्देश्य पूरे कर सके। इस संबंध में मैं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के लिए तुरंत 800 करोड़ रुपय जारी किए जाएं।

अपराह्न 1.08 बजे

रेल अभिसमय समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प

तथा

रेल (संशोधन) विधेयक, 2005 – जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 9 और 10 लेंगे। श्री निखिल कुमार – उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा. सुजान चक्रवर्ती।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो भी कहा गया है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मुझे नियम 377 के अधीन मामला उठाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। उसका पहले ही निर्णय हो गया है।

डा. सुजान चक्रवर्ती।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : उपाध्यक्ष जी, स्पीकर साहब ने मेरा नाम पुकारा था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं। मैं आपका नाम पुकारूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खां, इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इस पर पहले ही निर्णय ले लिया गया है कि नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया।

...*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : उपाध्यक्ष जी, हमने नोटिस दिया था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोयल, कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। पहले आप सूचना दीजिए।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर : उपाध्यक्ष जी, स्पीकर साहब ने मेरा नाम पुकारा था।

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। मैं आपको भी मौका दूंगा। कृपया अभी आप बैठ जाइए। डा. सुजान चक्रवर्ती।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण–मध्य) : हमारी सरकार ने इंस्पैक्शन किया था। ...*(व्यवधान)* उसका क्या हुआ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर) : महोदय, मैं रेलवे (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमें भारतीय रेल पर गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय के पश्चात देश में रेलवे दूसरा ऐसा बड़ा विभाग है जिसके पास सबसे अधिक भूमि हैं। रेलवे के पास 43 लाख हैक्टेयर भूमि है जिसमें से लगभग 43,000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि है और लगभग 2240 हैक्टेयर भूमि पर अधिक्रमण किया गया है? देश में पूरी रेलवे भूमि का 0.05 प्रतिशत बनता है।

हमारे देश में जनसंख्या घनत्व कई अन्य देशों से काफी अधिक है। अतः इसी कारण से हमारे देश के लिए भूमि की बेहतर उपयोगिता अति आवश्यक है। इसीलिए मैं यहां लाए गए इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं। यह देखा गया है कि स्थायी समिति ने इस विधेयक का विस्तृत विश्लेषण भी किया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस विधेयक में काफी कमियां हैं। यह लगभग माना गया है कि यह प्राधिकरण मंत्रालय का एक अंग है। प्राधिकरण की अलग पहचान होनी चाहिए और कार्य भी अलग होने चाहिए जिसकी प्रस्तावित विधेयक में कही भी चर्चा नहीं की गई है।

मेरा विचार है कि पैरा 4 उपखण्ड 2 (तीन) में कुछ संशोधन किए जाने चाहिए और इसमें निम्नलिखित अन्तस्थापित किया जाए:

"...यातायात और परिवहन से सम्बन्धित..."

अन्यथा इसका तात्पर्य होगा कि प्राधिकरण कई स्थलों में भूमि

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

विकासकर्त्ता की भूमिका निभा रहा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसे अन्य के बजाय केवल यातायात और परिवहन से ही जोड़ा जाना चाहिए। भूमि प्रबंधन से सम्बन्धित विशेषज्ञ को भी प्राधिकरण में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि यह भूमि मुद्दों से संबंधित हैं।

मैं समझता हूं कि 4–5 मुख्य बातें हैं जिनका यहां पर उल्लेख किया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि भूमि जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, का वाणिज्यिक उपयोग 15–20 वर्षों के भीतर किया जाएगा। सम्भवतः रेलवे को संदर्शी योजना पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। सम्भवतः 15–20 वर्षों के भीतर कुछ कार्य भी किया जा सकता है लेकिन यह अवधि आयोजना प्रक्रिया के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए संदर्शी योजना को भी ध्यान में रखना चाहिए।

दूसरा मैं समझता हूं कि स्थायी समिति ने भूमि के वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए किए जाने वाले उपायों के सम्बंध में रेल मंत्रालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। यही प्रक्रिया गैर परम्परागत स्त्रोतों से राजस्व अर्जन करने नामतः स्टेशनों और उनके आस–पास के क्षेत्रों का सौन्दर्यकरण करने बेकार भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने रेलवे उपयोगकर्त्ताओं को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने, स्टेशन भवनों का पुर्ननिर्माण करके यातायात की भीड़भाड़ को कम करके के लिए है। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि अतिक्रमण पर रोक लगाई जानी चाहिए। और वाणिज्य गतिविधियों को आरम्भ किया जाना चाहिए। इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। अन्यथा उपयोगकर्ताओं को उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। मैं समझता हूं कि यात्री सुविधाओं और लाभों को ध्यान में रखाजाना चाहिए।

तीसरा मैं भूमि उपयोग का मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह मामला राज्य से संबंधित है। लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है कि रेलवे की अधिकतर भूमि राज्यों ने निशुल्क प्रदान की है अतः यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि राज्यों से भी परामर्श किया जाए। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भूमि राज्य ने प्रदान की है लेकिन सत्य तो यह है कि राज्य के विकास के लिए भूमि प्रदान की है। अतः राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना किसी कार्यक्रम अथवा परियोजना को अन्तिम रुप नहीं दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

मैं दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। पहला हम सभी श्री बंकिम चन्द्र के नाम से परिचित होंगे। जिन्होंने 'वन्दे मातरम' की रचना की थी। उनका जन्म स्थल नैहाटी है जो रेलवे लाइन के नजदीक ही है। राज्य सरकार पिछले 10–15 वर्षों से श्री बंकिम चन्द्र के नाम से एक संग्रहालय का निर्माण करना चाहती है राज्य सरकार इसके लिए तैयार है लेकिन इसके लिए रेलवे की भूमि भी दी जानी चाहिए। यह बात सच है कि पिछले 10–15 वर्षों में भूमि नहीं दी गई है। लोगों के दिमाग में यह भावना उत्पन्न हो रही है कि भूमि की वाणिज्यिक उपयोगिता यात्रियों, स्थानीय लोगों और रेल उपयोगकर्ताओं से संबंधित प्रयोजन के लिए ही है। अतः राज्य सरकार की राय भी इन मामलों पर ली जानी चाहिए।

दूसरा, रेलवे भूमि पर असम में भालीगांव के भीतर पांडु में अवैध कालोनी 50 सालों से अधिक पुरानी है। इसमें स्कूल कालेज, आदि चल रहे हैं और यह समस्या 5–6 साल पुरानी नहीं है। इसे किस प्रकार नियमित किया जाए। जहां तक संभव है वहां बसे लोगों विशेषकर गरीबों का पुनर्वास किए बिना इसे नियमित नहीं किया जा सकता है। कई मामलों में पुनर्वास प्रक्रिया पर बहुत ध्यान रखना चाहिए।

मैं समझता हूं कि इस संबंध में प्रावधान होना चाहिए। चौथी बात फेरी वालों और बेचने वालों आदि के बारे में है। रेल मंत्री ने इस संबंध में काफी ध्यान दिया है। उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली बृहद परियाजना की घोषणा भी की और मंत्रालय इस पर पहले से ही सक्रिय है। रेलवे स्टेशनों के आसपास वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं और हाकर और बिक्री करने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि इस समस्या का हल किस प्रकार से किया जाए।

हमने देखा है कि अतिक्रमण मात्र 0.05 प्रतिशत हैं जोकि काफी कम है। मैं समझता हूँ कि यदि हम हॉकरों और अतिक्रमण करने वालों की समस्या का समाधान नहीं कर लेते हैं तो हम वाणिज्यिकीकरण विकास आदि कार्य को उचित प्रकार से नहीं कर पाएगें। मेरा विचार है कि इसे शुरू करना चाहिए और मंत्री जी इस पर विचार करने के लिए सहमत भी हैं। पश्चिम बंगाल के संसद सदस्यों ने उनसे और अधिकारियों से भेंट की है और इन मुद्दों पर कार्यवाही करने का अनुरोध भी किया है।

रेलवे भूमि के वाणिज्यिककरण से कमाए गए धन से रेल मंत्रालय एक कोष स्थापित करना चाहता है ताकि यात्रियों को सुविधाएं दी जायें। इस कोष को सामान्य पूल में न रखकर अलग पूल में रखना चाहिए ताकि यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान दिया जा सके। रेल यातायात को कम किया जा सके और अन्य कार्य किए जा सके। यह धन इन बातों पर खर्च किया जाएगा। पुनर्वास जैसे कार्यों का भी समाधान किया जाए और मैं सफलता हूं कि इस मामले पर भी उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

इस विधेयक को स्वीकार किया जाना चाहिए और मैं इस विधेयक को पारित करने का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि इस विषय पर बोलने वाले सदस्यों की एक लम्बी सूची मेरे पास है। मेरी कठिनाई यह है कि मैं चाहता हूँ कि 2 बजे से पहले यह विधेयक पारित हो जाए। अतः माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है वे केवल सुझाव दें न कि लम्बा भाषण।

अब मैं श्री शैलेन्द्र कुमार को बोलने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : क्या दो बजे हाउस एडजर्न हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से हो रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बिल दो बजे पास हो जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल संशोधन विधेयक, 2005 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन करने वाला विधेयक लेकर आए हैं। देश में 43000 हैक्टेयर भूमि खाली पड़ी है और 2240 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। बिल में यह प्रावधान है कि इस खाली पड़ी जमीन का वाणिज्यिक उपयोग हो सके और रेल भूमि विकास प्राधिकरण बना कर रेलवे के राजस्व में बढ़ोत्तरी हो सके। इसमें शॉपिंग कॉम्पलेक्स, पार्किंग, अस्पताल, स्थानीय निकाय और संयुक्त उपक्रम को प्राथमिकता देने की बात कही है। इससे 10 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की बात कही गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े गरीब लोगों को 15 वर्ष का पट्टा देने की जो बात कही है, मैं चाहूंगा कि उसे प्राथमिकता के साथ लिया जाए।

जहां तक बायो–डीजल के उपयोग की बात कही गई है, वह बहुत न्यायोचित होगा। डीजल की बढ़ती हुई खपत को देखते हुए रेलवे ट्रैक के किनारे खाली भूमि पर रतनजोत की खेती होती तो बहुत फायदा होगा। इसके अलावा वाणिज्यिक गतिविधियों से विभाग को 200 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। जहां तक आपने 10 हजार करोड़ रुपए की आमदनी की जो बात कही है, वह उससे भी अधिक हो सकती है अगर इसमें थोड़ा व्यवस्थित तरीके से पट्टा देने की बात होगी। आपने रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को खाली भूमि में सब्जी और फल आदि उगाने की बात कही है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। रेलवे की खाली भूमि में जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसमें भी रोक लगेगी। आप बहुत अच्छा संशोधन लेकर आए हैं।

जहां रेलवे की खाली भूमि पड़ी है, वह केवल खाली नहीं है बल्कि रेलवे के विस्तार के लिए जमीन है। लेकिन जहां अभी कोई ऐसी परियोजना नहीं है, मैं चाहता हूं कि तीस वर्ष के लिए पट्टा देने की बात कही है उसे कम से कम 50 वर्ष किया जाए ताकि कोई भी वाणिज्यिक संस्थान उस पर काम करे तो उसे फायदा हो सके। आपने वाणिज्यिक संभावना वाले, करीब 61 प्रमुख स्थलों का चयन किया है जिसमें से कुछ छोटे स्थल हैं, जिनकी पहचान की है। नौ स्थलों पर 21 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व को अंतिम रूप दिया है और 17 स्थानों पर 110 करोड़ रुपए की टेंडर प्रक्रिया विचाराधीन है। मैं चाहूंगा कि इसे जल्दी कर दें ताकि लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। इसके साथ ही 24 स्थानों के टेंडर रद्द किए गए हैं उसे चालू किया जाए ताकि लोगों को कारोबार करने का मौका मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निखिल कुमार, आप पहले सदन में अनुपस्थित थे।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निखिल कुमार, हमने आपका नाम पहले नंबर पर रखा था।

[अनुवाद]

परन्तु आप सभा में उपस्थित नहीं थे।

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैं जरा इधर–उधर चला गया था।

रेलवे अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, आपको सभी राजनीतिक दलों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हाँ, मैं उन्हें समय दे रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेल एक्ट 1989 के संशोधन के लिए जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, क्योंकि मैं समर्थन कर रहा हूं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कल इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने रेल मंत्रालय की आलोचना की थी। मैं आलोचना में नहीं जाना चाहता लेकिन कुछ ऐसी बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं जिससे सदन बरबस ही रेल मंत्रालय को कम्पलीमेंट देगा। भारतीय रेल एक अनूठी चीज़ है। रोजाना तकरीबन 13,000 ट्रेनें चलती हैं।

[अनुवाद]

यह संख्या अविश्वसनीय सी लगती है। 13,000 रेलगाड़ियाँ रोज देश में विद्यमान लगभग 63,000 किलोमीटर ट्रैक पर चलती हैं। चाहे हम इसे माने या न माने तथ्य यह है कुल मिलाकर ये रेलगाड़ियाँ लगभग समय पर अपने गंतव्यों पर पहुँचती है। दूसरी बात यह है कि ये रेलगाड़ियाँ, पर्याप्त माल लादकर ले जाती हैं जो कि लगभग 600 मिलियन टन है। यह अपेक्षा की जाती है कि यह बढ़कर 650 मिलियन टन हो जाएगा। इतने बड़े उद्यम को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए मैं रेल मंत्रालय की सराहना करता हूँ।

इतना कहने के बाद मैं रेल मंत्रालय के समक्ष कतिपय वास्तविक चुनौतियां रखना चाहूँगा। ये चुनौतियाँ मुख्यतः हमारे आर्थिक उदारीकरण के कारण सामने आयी हैं। योजना आयोग ने भी

चेतावनी दी है कि प्रस्तावित 7 प्रतिशत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर और 12 प्रतिशत की वार्षिक औद्योगिक वृद्धि दर के कारण लगभग 400 मिलियन मध्यम वर्ग के लोग उच्च आय वर्ग में शामिल हो जाएंगे। वे लोग स्वाभाविक रुप से व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में रूचि लेंगे। इससे सामान की ढुलाई प्रभावित होगी। जो पत्तन आज माल ढुलाई का कार्य कर रहे हैं उनका कार्यभार बढ़ जाएगा। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि देश में पत्तनों का विस्तार लगभग 20 प्रतिशत वार्षिक होगा। रेलवे को इस बढ़े हुए कार्यभार हेतु तैयार होना होगा।

रेल यात्रियों का भी प्रश्न है। आज रेलयात्री मात्र तीव्र गति रेलगाड़ियों जैसे कालका मेल या दक्षिणी एक्सप्रैस या फ्रन्टियर मेल आदि में यात्रा से संतुष्ट नहीं हैं। आज रेलयात्री सुपरफास्ट अंतर–नगरीय रेल सम्पर्कों या ऐसी रेलगाड़ियों में रूचि रखते हैं जो कि उत्तरी क्षेत्र को दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ती हैं। वे उन रेलगाड़ियों को प्राथमिकता देते हैं जो कि रात को चले और अगली सुबह उन्हें दूसरे क्षेत्र में उतारें।

आज रेलयात्री यह चाहते हैं कि वे एक रात में ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और रेल मंत्रालय को यह स्वीकार करना होगा कि कम किरायों वाली एयरलाइनों के कारण यह चुनौती सामने आने वाली है। पहले ही छह कम किरायों वाली एयरलाइनें विद्यमान है जो प्रति सीट 500 से 3000 रुपये किराया वसूलती हैं। देश में दिल्ली और बंगलौर और दिल्ली एवं चेन्नई के बीच पहले ही सम्पर्क विद्यमान है और ऐसे ही और क्षेत्रों के बीच सम्पर्क बनाये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री निखिल कुमार : महोदय, ये कुछ ऐसी बातें है जिन्हें मैं माननीय रेलमंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप रेलवे मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिये, आप मेरी तरफ से चाहे 4 घंटे बोलें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है।

श्री निखिल कुमार : परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मैं बोलने लगता हूं, मुझे कम टाइम मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो आपको मोर दैन शफिसिएंट टाइम देता हूं, ऐसी बात नहीं है।

श्री निखिल कुमार : जहां रेलवे में ए. सी. – टू टीयर का टिकट 2000 रुपये में होता है, वहां इसी दूरी के लिये लो कॉस्ट एअरलाइन्स 500 रुपये से 2000 रुपये में टिकट देती हैं। इसलिये लोग ट्रेन की बनिस्बत हवाई जहाज से प्रीफर करेंगे। इसको काऊटर करने के लिये रेल मंत्रालय को कुछ करना होगा। इसके अलावा रोड ट्रांसपोरटेशन में अभी तो ठीक है लेकिन जब गोल्डन क्वाडिलेटरल रोड प्रोजैक्ट पूरा हो जायेगा और ईस्ट–वैस्ट कॉरिडोर पूरा हो जायेगा तथा नार्थ–साउथ कनेक्टेविटी बन जायेगी तो रेलवे जो फ्रेट कैरी करती है, उसका क्या होगा? अभी रेलवे 600 से 650 मीट्रिक टन फ्रेट कैरी करती है लेकिन अगले पांच साल में क्या होगा जब उसकी नफरी 1000 मीट्रिक टन हो जायेगी? जब नार्थ–साउथ की कनेक्टेविटी हो जायेगी जो सड़कों के कारण है या जो नये नये कंटेनर ट्रांसपोरटेशन आ रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा चार्जेस रेलवे को पड़ेंगे।

अपराह्न 1.27 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अंनुवाद]

रेल मंत्रालय को इस संबंध में गंभीर होना पड़ेगा क्योंकि उनके सामने न केवल मालभाड़े के संबंध में बल्कि यात्री आवागमन की चुनौती भी आने वाली है जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आदि के पूरा होने पर सड़कों पर नई व अत्याधुनिक बसें आ जाएंगी। रेल मंत्रालय को यात्रियों के आराम विशेषकर रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा समय आदि के लिए सुविधाओं का प्रबन्ध करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि रेलवे को इस पुराने ढांचे से बाहर निकाल कर नया रूप दिया जाना चाहिये और इन रेलवे स्टेशनों पर शॉपिंग मॉल खोले जाने चाहिए। इससे यात्री आकर्षित होंगे और इसके साथ ही यदि चलती रेलगाड़ी में भी सुविधाएं दी जाएं तो रेलवे सड़क परिवहन से उत्पन्न चुनौती का सामना कर पायेगा।

अंत में, मैं यह बताना चाहूँगा कि रेलवे की भूसम्पदा को उपयोग में लाने का विचार काफी अच्छा है और यह इतने लम्बे समय से उपयोग में न आने के कारण बेकार पड़ा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी (बेल्लारी) : महोदय, मैंने कर्नाटक सरकार के संबंध में विशेषाधिकार प्रस्ताव की एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान, क्या इस मुद्दे को किसी भी समय उठाया जा सकता है?

[हिन्दी]

आप हमारे चैम्बर में आइये, हम डिसकस करके तय करेंगे।

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार : एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भू–सम्पदा का उपयोग रेल मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए। रेल मंत्रालय को भू–माफिया द्वारा दी जा रही धमकी के विषय में भी जानकारी होगी। यदि भू–माफिया का ध्यान नहीं रखा गया और इसका सामना करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये गए तो इस अच्छे उपाय का कोई लाभ नहीं होगा। इसके लिए बेहतर पुलिस–व्यवस्था की आवश्यकता होगी। रेल सुरक्षा बल के पास केवल रेल सम्पति की रक्षा का ही प्रभार है, मेरा सुझाव है कि इसे समाप्त करके पूरे देश में रेल सम्पदा को वास्तव में रेल सुरक्षा बल के अधिकार में दे दिया जाना चाहिए। यदि इसके लिए संवैधानिक

[श्री निखिल कुमार]

संशोधन लाये जाने की आवश्यकता हो तो रेल मंत्रालय द्वारा यह भी किया जाना चाहिए। मुझे यह बात महत्वपूर्ण लगी इसीलिए मैंने रेल मंत्रीजी को इस विषय में बताया।

अतः में, हम यहीं रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों पर विचार करेंगे। रेलवे ने लीक से हटकर पावर कन्स्ट्रक्शन रेलवे कारपोरेशन की स्थापना का विचार किया है और बिहार में नबी नगर में विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने विषय क्षेत्र से हट रहे हैं।

श्री निजिल कुमार : यह संदर्भ से बहुत दूर का विषय ही है।

यह एक ऐसा विषय है जिसे विद्युत मंत्रालय के अधिकार में ही छोड़ दिया जाना चाहिए, एन.टी.पी.सी. इसका क्रियान्वयन कर सकता है। परन्तु यदि फिर भी रेल मंत्रालय इसे क्रियान्वित करना ही चाहता है तो इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। यह अभी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के स्तर पर भी नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मैं रेल मंत्री से इस विषय को नोट करने का आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय रेलमंत्री।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : महोदय, कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : परांजपे जी, आप घड़ी देखिये, आपको केवल दो मिनट बोलना है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर, इसका जवाब वेलु जी से दिलवा दीजिए, नहीं तो हम वाकआऊट करना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे : अध्यक्ष महोदय, इस भूमि के विकास से बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरी बात सुनने के लिए माननीय रेल मंत्री यहीं नहीं है। जब तक वे आ नहीं जाते मैं उनकी प्रतीक्षा करूँगा।

अध्यक्ष महोदय : उनके राज्य मंत्री भी यहीं बैठे हैं। वे बहुत ही योग्य मंत्री हैं। वे भी आ रहे हैं।

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, मेरा कहना है कि भूमि के विकास से तथा इस भूमि के व्यावसायिक उपयोग से रेलवे को जो राजस्व प्राप्त होगा उसका 50 प्रतिशत उसी क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा जिस क्षेत्र से वह प्राप्त होगा। अन्यथा, मुम्बई से प्राप्त राजस्व को कुछ अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा।

इसलिए मैं पुनः दोहराता हूं कि इस प्रकार से एकत्रित किए गए राजस्व का 50 प्रतिशत उसी क्षेत्र में रेल विकास कार्यों में लगाया जाना चाहिए जिस क्षेत्र से यह राजस्व एकत्रित होता है यही मेरा सुझाव है और इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया।

[अनुवाद]

लालू जी आ गए हैं। आपकी अनुपस्थिति का उन लोगों ने फायदा उठाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री प्रसन्न आचार्य बोलेंगे। आप अपना भाषण एक मिनट के अंदर समाप्त करें।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान एक विशेष विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस संशोधन के बाद जोड़े जाने वाले अध्याय-दो के बिंदु 'संख्या 4(ख) में चार लोगों की नियुक्ति के संबंध में कहा गया है। सरकार सभापति और उपसभापति के अतिरिक्त प्राधिकरण बोर्ड में चार लोगों की नियुक्ति नियुक्त करने जा रही है। इन चार लोगों में से चार व्यक्ति रेलवे में होंगे और एक व्यक्ति रेल प्रशासन के बाहर का होगा।

महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि "रेल प्रशासन में बाहर का" का प्रावधान क्यों बनाया गया है। सरकार की मंशा क्या है?

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : यह किसी के प्रति पक्षपात करने के लिए है...*(व्यवधान)*

श्री प्रसन्न आचार्य : महोदय, क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने राजनीतिक दावपेंच के लिए ऐसा किया है? क्या सरकार चौथे व्यक्ति के रुप में किसी राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त करना चाहती है?

फिर, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बड़े भू-भाग पर विवाद है; और राज्य सरकारों से बहुत बड़ी मात्रा में जमीन अर्जित की गई है। जिसे कि मुफ्त में रेलवे को दिया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व की जब रेल शुरू की गई थी बहुत सारी जमीन रेलवे को दी गयी थी। इस समय भी बहुत से जमीन पर किया है और इस प्राधिकरण को विवादों में फंसना पड़ेगा। इसलिए, मेरा सुझाव है कि एक राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त करने के बजाए रिक्तता की स्थिति में, रेल प्राधिकरण से ही या न्यायपालिका से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि इस बात की आशंका है कि प्राधिकरण को कई विवादों में घसीटा जाएगा। इसलिए कम से कम न्यायपालिका से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है। यह संशोधन बहुत ही सरल दिखता है लेकिन इसके कई अर्थ है। जब आप रेल लाइन से गुजरते होंगे तो आपने देखा होगा कि प्लैट फार्म पर या इसके आस-पास बहुत सी झुग्गी झोपड़ियां हैं, और वहाँ निर्धनतम लोग लम्बी अवधि से रहते आ रहे हैं। कुछ लोग वहाँ 30 वर्ष से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। इसलिए क्या सरकार की इन लोगों के

प्रति कोई सामाजिक जवाबदेही नहीं बनती है? ऐसी भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए सरकार इन लोगों को बाहर करना चाहती है। इसलिए, ऐसा करने से पूर्व क्या सरकार को उन लोगों की देखभाल की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। जिन्हें उन स्थानों के व्यावसायिक उपयोग के लिए जमीन को खाली कराना चाहते हैं?

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है कि जो इस संशोधन विधेयक से पैदा होने वाला है। इसलिए, ऐसा करने से पूर्व सरकार को इन गरीब लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, यह मेरा तीसरा और अंतिम विषय है।

अध्यक्ष महोदय : आपके विषय अच्छे हैं। यद्यपि आप के सभी विषय अंतिम ही थे फिर भी मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

श्री प्रसन्न आचार्य : महोदय, वास्तव में यह मेरा अंतिम बिंदु है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है यदि सरकार लोगों द्वारा पहले से ही हड़पी गई भूमि को वापस लेती है।

कुछ भू–माफिया भी है जिन्होंने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा है। रेलवे ने भी छोटे, गरीब और मध्यम वर्ग के किसानों और आम लोगों से भूमि अर्जित की है। लेकिन वर्षों से उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए, मेरा कहना है कि सरकार की, रेलवे को अपनी जमीन मुक्त कराने का अधिकार है। लेकिन इसके साथ ही रेलवे का एक कर्तव्य भी है – उनका यह कर्तव्य है – कि जिन लोगों से जमीन ली जाती है उनको मुआवजा दें। ऐसे मामले भी है जहाँ उन लोगों को जिनकी जमीन ले ली गई। 30 वर्षों के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया। इसलिए संशोधन करने से पूर्व सरकार को इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस सभा द्वारा संशोधन पारित किए जाने का मैं विरोध नहीं करूँगा। लेकिन संशोधन करने से पूर्व सरकार को इन समस्याओं पर गंभीरता से सोचना होगा। यह बहुत ही सरल संशोधन है लेकिन समाज विशेषकर दलितों, पर इसका बहुत ही गंभीर असर होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, आप अपने नेता के लिए कुछ बोलें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो इस विधेयक को लाए हैं।

जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि जो रेल पहले घाटे में चलती थी, माननीय रेल मंत्री जी ने अपनी कार्यकुशलता से, अपने प्रयासों से और सबके सहयोग से उसको मुनाफे में तब्दील करने का काम किया है। आज रेलवे 10 हजार करोड़ रुपये लाभ में जा रही है और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि माननीय रेल मंत्री जी ने एक रुपया भाड़ा कम किया है। आज तक लोग भाड़ा बढ़ाते ही आए थे। रेल महकमा ऐसा महकमा है जो पहले सरकार पर बोझ था लेकिन अब माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रयास किया, लोगों का सहयोग लिया, हम सब लोगों को सहयोग भी उसमें हैं, माननीय मंत्री जी ने अद्भुत कार्य करके रेलवे को फायदे में पहुंचा दिया है। अब सिर्फ रेलवे के विकास पर ही वह पैसा खर्च नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार को पैसा देने की स्थिति में भी रेलवे है।

माननीय मंत्री जी का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि रेलवे की जो हजारों हैक्टेयर जमीन बेकार पड़ी हुई है, उसके लिए उन्होंने एक प्राधिकरण का गठन करने की बात कही है। इसके अंतर्गत जिस भूमि का उपयोग नहीं हो रहा है, जो अतिक्रमित है, वैसी भूमि को इस्तेमाल में लाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा बड़े पैमाने पर खेती के लिए भी वे इस भूमि का इस्तेमाल करेंगे। इससे गरीब मजदूर भी लाभान्वित होंगे। मैं एक छोटा सा आंकड़ा प्रस्तुत करूंगा। रेल के पास करीब 100.23 लाख हैक्टेयर भूमि है जिसमें से 43 लाख हैक्टेयर भूमि अनुपयोगी है और काफी ज़मीन अतिक्रमित है। इसका उपयोग किया जाना बहुत उत्तम कदम है और इसका जितना स्वागत किया जाए वह कम है। पूरा सदन इसका समर्थन कर रहा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आकलन किया गया है कि इस विधेयक के पास होने के बाद जब कानून बनेगा और इस भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे लगभग 10 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त आय रेलवे की होगी। यह बहुत उत्तम कदम उठाया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र पटना की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री जी ने स्वयं वहां जाकर देखने का काम किया है। पटना के पास पटना घाट है जहां बहुत बड़ा भूभाग है, वह कमर्शियल इस्तेमाल में नहीं आ रहा है क्योंकि अतिक्रमित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप अपने जवाब में आज ही यह घोषणा करें कि उस जगह पर कामर्शियल कॉम्पलैक्स बनाया जाएगा। आपने वहां के लोगों को कहा था और अपने अधिकारियों को भी निर्देश दिया था कि उसके कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए वहां मार्केट कॉम्पलैक्स बनाया जाए...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : और जो आपके काम हैं... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बीच में बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन बिल के बारे में कुछ बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि पूरे बिहार के पैमाने पर और पूरे देश के पैमाने पर जो अनुपयोगी जमीन है, उसका उपयोग करेंगे, इस विधेयक के कानून बनने से आपको ताकत मिलेगी और जो आपकी मंशा है, उसके स्वरूप आप खुछ बड़े पैमाने पर ...*(व्यवधान)* खटाल? मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के अंतर्गत जो खाली जमीन हैं, उन पर आप गरीबों के लिए खटाल बनाने का काम करें। मंत्री जी ने ठीक कहा है और यह उत्तम कदम होगा।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में रेल आगे बढ़े, यूपीए सरकार का जो सपना है, माननीय मनमोहन सिंह जी और माननीया सोनिया जी का जो सपना है, वह सपना साकार हो और दुनियां में नंबर एक पर भारत की रेल आए, इस शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, यह एक छोटा विधेयक है। रेलवे भूमि के विकास हेतु यह एक रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए है।

योजना आयोग द्वारा नौवीं योजनावधि के दौरान ही यह प्रस्ताव किया गया था और आठ वर्षों के बाद अब इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। इसका मतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। अब जब यह प्रस्ताव लाया जा रहा है तो मैं सभा के समक्ष कुछ समस्याएं रखना चाहूंगा।

जटरोपा नामक एक पौधा लगाने संबंधी एक प्रस्ताव किया गया था जिससे बायो डीजल बनाया जा सकता है। गणना के मुताबिक उस समय कहा गया था कि रेलवे की बेकार पड़ी जमीन से 3000 करोड़ रुपये मूल्य के बराबर बायोडीजल पैदा किया जा सकता है। वह बहुत अच्छा हुआ होता लेकिन मुझे यह ज्ञात नहीं है कि इसके बारे में कुछ हुआ या नहीं। यदि रेल मंत्री इस सभा को अवगत कराते कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ तो यह उपयोगी होता।

जब 43000 हेक्टेयर खाली जमीन को विकसित किया जा रहा है। तो मैं अपनी एक आशंका के बारे में जानना चाहूँगा। यह कहा गया है कि 2000 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। सभी जानते हैं कि पिछले 50–60 सालों में बहुत ही गरीब लोगों भूमिहीन लोगों को रेल लाइन के आस–पास रहने के लिए कुछ जमीन मिल जाती है। यह हो सकता है कि अच्छा हो या बुरा हो–वह एक अलग विषय है, लेकिन वे लोग वहाँ रह रहे हैं। रेलवे की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा दुकानें भी चलायी जा रही हैं। क्या इस प्रस्ताव का मतलब उन लोगों को बिना सोचे समझे वहाँ से उजाड़ देना है। मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में दो बार सोचने का अनुरोध करूंगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि उन लोगों को सिर्फ इसलिए उजाड़ फेंका जाएगा कि आपके दिमाग में भूमि को विकसित करने की एक योजना है। मैं कहूँगा कि आपको उन लोगों के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी।

एक बात और मैं आपकी ध्यान में लाना चाहूँगा। रेलवे की भूमि वास्तव में रेलवे द्वारा खरीदी हुई या रेलवे द्वारा धारित नहीं है। रेलवे की भूमि राज्यों द्वारा दी गई है, चाहे वह निशुल्क हो या पट्टे पर हो। इसलिए प्राधिकरण भूमि की विकास के संबंध में निर्णय ले, इससे पूर्व राज्य–सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए। इस भूमि को विकसित करने के तरीके के बारे में उनकी राय पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या इस भूमि के विकास हेतु प्रस्तावित रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण का गठन किया जाना आवश्यक था। इस प्राधिकरण के लिए सरकार द्वारा नियम बनाये जाने हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस मुद्दे को दो बजे तक समाप्त करना चाहते हैं।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

प्रत्येक कार्य सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। परन्तु अब आप मंत्रालय के अधीन एक अन्य प्राधिकरण गठित करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मंत्रालय को कोई अन्य प्राधिकरण गठित किए बिना स्वयं इस विकास कार्य को करना चाहिए था। मैं यही कहना चाहता हूं।

फिर भी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। हमें संदेह है कि भूमिहीन गरीब लोगों को उनके आवास या कार्यस्थल से निकाल दिया जाएगा और मेरा आग्रह यह है कि सभा में ऐसा न किया जाने का आश्वासन दिया जाए।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बुदूर) : द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डी.एम.के.) पार्टी की तरफ से, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। काफी दीर्घ अवधि, 100 वर्ष या और अधिक की अवधि के बाद सभा के समक्ष यह विधेयक लाया गया है। इन 100 वर्षों के दौरान देश के निर्धनतम लोगों ने भूमि की संरक्षा की है। मेरा यह आग्रह है कि जिन लोगों ने इतनी दीर्घ अवधि तक भूमि की संरक्षा की है उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। विधेयक में लीज़ के बारे में बताया गया है। रेलवे स्टेशन या रेलवे लाईन से सटी इस भूमि में से कुछ क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र में आती है। इस भूमि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। परन्तु रेलवे स्टेशन और रेल लाईन से दूर पड़ी खाली भूमि जो कि अब तक सामग्री प्रांगण के रूप में रेलवे की सामग्री भंडारण हेतु उपयोग में लायी जा रही थी – का भविष्य में कोई उपयोग नहीं हो पायेगा। इस भूमि पर गरीब लोग पिछले 40–50 वर्षों से रह रहे हैं। इस सत्र के दौरान मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न पूछा था और रेल राज्य मंत्री श्री वेलू ने उसका जवाब दिया था कि उनके पुनर्वास के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि उपयोग में नहीं लायी जा रही ऐसी भूमि जिसका भविष्य में भी कोई उपयोग संभव नहीं है, को गरीबों को कम मूल्य पर बेच दी जाए।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रेल (संशोधन) विधेयक, 2005 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विधेयक में अनेक जनहित के मामले है। उनसे हम सभी लोग सम्बंधित हैं। रेलवे की जो जमीन है, उसका कितना सदुपयोग हो सकता है, वह नेचर ऑफ लैंड और उसकी मार्केटिंग पर निर्भर करेगा। जो जमीनें शहरों के निकट हैं, उनका उपयोग तो कामर्शयल दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए और जो देहातों की जमीनें हैं, उनके पट्टे गांव के लोगों और छोटे-छोटे किसानों को दिए जाने चाहिए, लेकिन उन जमीनों पर बहुत से गरीब लोग बसे हुए है। वे उन जमीनों पर झोपड़ियां डालकर रह रहे हैं और उन्होंने जानवर पाले हुए हैं। उन्हें वहां से नहीं हटाया जाना चाहिए। यदि हटाया जाना बहुत जरूरी है तो पहले उनके रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय मंत्री जी द्वारा रैवेन्यू कलैक्ट करने की बात की गई है, मैं बताना चाहता हूं कि फैजाबाद (अयोध्या) में रेलवे ने 1 अरब रुपए की लागत से एक पुल तैयार किया है, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। उस पर गाड़ियां नहीं चलती हैं। मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बारे कई बार आकर्षित किया है, लेकिन ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मित्रसेन यादव जी, यह विधेयक रेल लाइन अथवा पुलों के बारे में नहीं है।

श्री मित्रसेन यादव : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कह कर और विधेयक का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, चूंकि दागी मंत्रियों का उत्तर हम नहीं सुनते हैं और हमारी पार्टी ने उनका बहिष्कार कर रखा है। इसलिए हम विरोध-स्वरूप सदन से बहिष्कार कर रहे हैं।

अपराह्न 1.49 बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा - भवन से बाहर चले गए)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम उन तमाम माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने रेलवे कन्वेंशन कमेटी वर्ष 2004 की रिपोर्ट के आधार पर सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस पर तथा रेलवे की जो खाली जमीन पड़ी है, उसका कॉमर्श्यल इस्तेमाल करने के लिए जो रेल (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया गया है, उस पर हुई बहस में हिस्सा लिया है। जिन माननीय सदस्यों को मौका नहीं मिला, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उनके जो सुझाव हैं, उनके मन की बातें हैं, उनको भी मैं भांप सकता हूं और उनके मन की बातों को भी मैं समझता हूं। इसलिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, रेलवे अधिनियम, 1989 के अनुसार, रेलवे अपनी एक इंच जमीन को इधर से उधर नहीं कर सकती है और न ही उसका कामर्श्यल इस्तेमाल कर सकती है! इसलिए उस अधिनियम के प्रावधान 211 में संशोधन करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ रेलवे कन्वेंशन कमेटी 2004 के दूसरे प्रतिवेदन के ऊपर एक सरकारी संकल्प भी प्रस्तुत किया गया है। ये दोनों ही, सरकारी संकल्प और रेल (संशोधन) विधेयक, 2005 एक साथ विचार एवं पारित करने के लिए सदन में आए हैं।

महोदय, रेलवे की हालत के संबंध में वर्ष 2001-02 में डाक्टर राकेश मोहन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में रेलवे की दुर्दशा के संबंध में एक्सपर्ट लोगों ने क्या कहा था। जिस समय यह रिपोर्ट आयी, उस समय एनडीए की सरकार थी, इंडिया शानिंग की बात चल रही थी, लेकिन रेलवे का भट्ठा बैठा हुआ था। जितने भी भूतपूर्व रेल मंत्री हुए हैं, उनकी यह मंशा थी कि रेलवे का कैसे दोहन किया जाए, कैसे वैगन रोके जाएं। उनका रेलवे की आमदनी बढ़ाने पर कम ध्यान था। रैक के अलाटमेंट में यात्रियों को कष्ट करना पड़ता था। बहुत सारे लोग रैक्स के लिए रेल भवन में बैठे रहते थे। इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम और पहल यूपीए की सरकार ने की है। यह काम ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। यह किसी न किसी के पुण्य और प्रताप से होता है। यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी यहां बैठी हुई हैं, यह सब इनके पुण्य और प्रताप से हो रहा है। एक वे लोग थे जो फ्रंट बनाए बैठे थे। उनके फ्रंट में देश की दुर्दशा हुई थी। यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और यूपीए सरकार की एक से एक क्रांतिकारी उपलब्धियां रही हैं। गांवों, गरीबों, किसानों को छूने वाली उपलब्धियां रहीं हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में जहां कानून में प्रावधान नही था, आज वे कानून बन रहे हैं।

महोदय, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर काम का बहुत बोझ रहता है और बहुत सी परेशानियां रहती है। जिस पद पर आप बैठे हैं, उस पर बैठ कर काम करना, बिजनेस डिसपोज़ ऑफ कामन आसान नहीं हैं। आज आपकी अध्यक्षता में जो सदन बिजनेस करने जा रहे हैं, वह ऐतिहासिक है। रेलवे की माली हालत खस्ता थी। वर्ष 2001-02 के अंत तक भारतीय रेल 2823 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान नहीं कर पायी थी। वित्तीय स्थिति में सुधार होने के बाद, बिना भाड़ा बढ़ाए, बिना मालगाड़ी, यात्री भाड़ा बढ़ाए हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है। मैं रोज रिपोर्ट लेता हूं और देखता हूं कि हमारी आमदनी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पूर्व में जो सरकार खासतौर से जो एनडीए की सरकार थी, उसने मालगाड़ी और यात्री भाड़ा बढ़ाया, लेकिन फिर भी रेल घाटे में चलती रही। जब रेलवे में इस वर्ष के अंत तक 10 हजार करोड़ रुपए का निधि शेष होने जा रही है तो मैंने सोनिया जी और माननीय प्रधान मंत्री जी से सलाह लेकर एक रुपया यात्री भाड़ा कम कर दिया। रेलवे

[श्री लालू प्रसाद]

का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं है। रेलवे जो लाभ कमाएगी उसे गांव के लोगों को बांटेगी, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी और हम भाड़े में और कमी करेंगे। हम गरीबों के बोझ को कम करेंगे। अब रेलवे की स्थिति यह है कि लाभांश की जो बकाया राशि हम नहीं चुका पा रहे थे और जिसे नौ वर्ष में चुकाना था, उसे पिछले वर्ष घटाकर आठ वर्ष किया गया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आठ वर्षों की बजाए हम पांच वर्ष में यह रुपया भारत सरकार को लौटा देंगे।

महोदय, रेलवे कंवेंशन कमेटी के अनुसार वर्ष 2005-06 के लिए लाभांश की दर वर्ष 2004-05 के अनुमोदित दर के बराबर रखी गई है। वर्ष 2004-05 के पहले यह दर सात प्रतिशत थी। लेकिन ब्याज की दरों में आ रही कमी तथा रेलवे की निवेश संबंधी असफलताओं को देखते हुए कमेटी ने इस दर को घटा कर साढ़े 6 प्रतिशत कर दिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं रेलवे कन्वैंशन कमेटी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस जमीन की बात हो रही है, प्रॉपर्टी के मामले में, एसेट के मामले में रक्षा मंत्रालय के बाद भारतीय रेल का स्थान है। रेलवे के पास 4.23 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिसमें एनक्रोच्ड लैंड 2,220 हेक्टेयर और वेंकैंट लैंड 43,000 हेक्टेयर जमीनें हैं। इसके अलावा मेट्रोपोलीटन सिटीज़ – मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली – रेलवे के पास जो जमीनें हैं, रेलवे अधिनियम में क्रांतिकारी संशोधन सदन करने जा रहा है। इस संशोधन के बाद हम उसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। आखिर आमदनी कहां से आएगी? यदि देश के पत्र-पत्रिकाओं और सदन के पूर्व पन्नों को उलटकर देखा जाए, उसमें माननीय सदस्यों की राय थी कि रेलवे की आमदनी बढ़ानी है, रेलवे को अपने पैरों पर खड़े होना है और भारत सरकार को डिवीडैंड भी देना है। रेलवे की जो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, उनका इस्तेमाल होना चाहिए।

जब मैं मंत्री नहीं था, तब भी पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ता था। उनमें माननीय सदस्यों के सुझाव होते थे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आमदनी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। रेल लाइन के किनारे जो कृषि योग्य जमीन है, उसे हम रेलवे कर्मचारियों, ग्रुप 'ग' एवं 'घ' को लीज़ पर देते हैं और वे उसमें खेती करते हैं। जट्रोफा नाम एक नया पौधा निकला है; जिसका इस्तेमाल बायो डीजल के उत्पादन में होता है। उस पौधे की खेती हम रेल लाइन के दोनों तरफ की जमीन पर करने जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* बेहाया को निकालकर पौधा लगाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* पता नहीं आप किस रास्ते से आते-जाते हैं।...*(व्यवधान)* आप ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे देश का ही विनाश हो गया ...*(व्यवधान)*

महोदय, माननीय सदस्यों ने गरीब और झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोगों के अतिक्रमण के बारे में कहा है। आपकी भावनाओं को देखते हुए यूपीए सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में साफ-साफ कबूल किया है कि अगर गरीबों ने कहीं भी अतिक्रमण किया है, तो उन्हें हम बाई फोर्स नहीं हटाएंगे, उन्हें परसुएड करेंगे, खासकर अगर जमीन रेलवे के किनारे हैं, उन्हें अलग ले जाएंगे। देश का जो संघीय ढांचा है, उसमें राज्य सरकारों का दायित्व होता है कि जो गरीब है, भूमिहीन है, जैसे मुम्बई के स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, पैसा लेकर फ्लैट्स आदि बनाए जा रहे हैं। यही हाल कोलकाता में है। दिल्ली में भी रेल लाइन के किनारे गरीब लोग झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं। वे लोग हमसे भी मिलते रहते हैं। मैं साफ बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी के सीने पर गोली नहीं मारेगी। सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इधर ठीक-ठाक है, यूपीए के जितने घटक दल हैं, उनके मन में गरीबों के प्रति दर्द है।

हम इस दर्द को समझते हैं। ये गरीब लोग हमारे भाई-बहन हैं। ये लोग बिना हटाए ही खुद हट जायेंगे। इस सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यह एक क्रांतिकारी कदम है। बेकारों को काम दो या बेकारों को भत्ता दो, इस कानून के तहत 25 हजार करोड़ रुपये चरणबद्ध तरीके से खर्च किये जायेंगे। इस कानून के माध्यम से हर परिवार के एक नौजवान को काम मिलेगा। जब उन लोगों को काम मिलेगा तो फिर वे शहर के धक्के खाने के लिए क्यों आयेंगे? वह टैम्पों में लटकने के लिए क्यों आयेगा? हम अभियान चला रहे हैं – 'चलो गांव की ओर, चलो खेत खलिहान में, इस संशोधन के माध्यम से हम जो अथारिटी बनाने जा रहे हैं, उस अथारिटी के बारे में आपके जो सुझाव हैं, जो बातें हैं, हम उन्हें रखेंगे। हम लोग जमीन का कोई बंदर-बाट नहीं करने जा रहे हैं। भारतीय रेल की जमीन को हम सेल नहीं करने जा रहे हैं।

मैं अकसर रेलवे के किनारे खाली पड़ी जमीन को देखता हूं। आपने जमालपुर के रेल कारखाना भी देखा होगा और साउथ में पेरम्बूर कारखाना भी देखा होगा। जब स्टीम इंजन था, स्टीम के कारखाने थे। राजस्थान से लेकर अन्य प्रांतों के चारों तरफ बहुत सारी जमीन थीं। दिल्ली, मुम्बई, हावड़ा आदि में चारों तरफ हमारी रेलवे की जमीनें पड़ी हुई हैं। शहरों में रेलवे की जमीनें है, रेलवे का स्टेडियम भी है। हम जमीन को सेल नहीं करने जा रहे हैं। इस कानून के तहत हम लौंग-टर्म और शार्ट टर्म में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जमीन को लीज पर दे रहे हैं। अब अथारिटी का गठन होगा, यदि रेलवे में कोई एक्सपर्ट आदमी नहीं होगा, तो हम बाहर से लायेंगे। अब कैसे एक्सप्लायटेशन हो सके, कमर्शियल वायबेल हो सके, यह हमारा टाइटल रहेगा। हम रेलवे की जमीन को सेल नहीं करेंगे। हमारे पास कोई सरप्लस जमीन नहीं है। हमारी जो जमीनें खाली पड़ी हैं, उनमें हमें रेलवे का विस्तार करना है। यह हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी का कमिटमैंट है। हमारा कमिटमैंट है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, आधार भूत संरचना के क्षेत्र में रेलवे देश का पावर हाउस है। हम रेलवे गुडस डेडीकैटिड कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, रेलवे का विस्तार करने जा रहे हैं। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि रेलवे विभाग यह जमीन राज्य सरकार को लौटा दे, हम उन्हें जमीन दें या किसी और को दें, हम उसे पट्टे पर नहीं बल्कि लीज पर देंगे। यह अथारिटी में तय होगा और इसे हम यहीं से तय नहीं करेंगे ताकि वे लोग एक्सप्लायटेशन न कर सकें।

अब लाखों लोग दिल्ली स्टेशन पर उतरते हैं। हमारे पास तो सरकारी आवास है लेकिन जो बड़े लोग हैं यानी जिनके पास पैसा है, वे बड़े-बड़े फाइव स्टार होटलों में जाते हैं। जो मध्यम क्लास के पैसेंजर्स हैं, जो गांव से आने वाले थोड़े धनी लोग हैं, वे भटकते रहते हैं कि वे किस होटल में जायें; किस अस्पताल में जायें, कहां से दवा खरीदें और क्या खायें? जो बड़े-बड़े शहर हैं, हमारे जो मैट्रोपालिटन सिटीज हैं, वहां की जमीन और स्टेशनों से, हमारा इरादा है कि इस अथारिटी के माध्यम से हम उनका ज्यादा से ज्यादा दोहन कर सकते हैं। जो लोग दुनिया के अन्य देशों में जाते होंगे, वे वहां के स्टेशनों को देखते होंगे और हमारे देश के भी स्टेशन को देखते होंगे। हम अपने यहां के स्टेशनों को उसी तरह से बदलना चाहते हैं। हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है, कोई बहाना बनाने वाली सरकार नहीं है। हम काम में विश्वास करते हैं। इसलिए यह बड़ा भारी ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी कदम इस संशोधन के माध्यम से उठाया जा रहा है। रेलवे की जो जमीनें खाली पड़ी हैं, उनको हम सेल नहीं कर रहे हैं बल्कि उस पर अथारिटी बनाकर हम रेलवे के एक से एक एक्सपर्ट अधिकारी को उसमें रखेंगे। शार्ट-टर्म, लांग-टर्म का टाइटल हमारे हाथ में है। हम इस जमीन को लीज़ पर देंगे। हम राज्य सरकारों को बार-बार लिखते रहते हैं और यह राज्य सरकार का दायित्व है।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि कोलकाता में लोग खटाल और, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते थे। लेकिन वहां की सरकार ने काम करके इन गरीबों को शहर से सुदूर ले जाकर जमीन दी, उनको बसाया, रोजी-रोटी का इन्तजाम किया। इसलिए हमारी सरकार और हमारा कमिटमेंट है कि देश का विकास हो तो सबके आंगन में, सबके परिवार में विकास आए और इसलिए हम पैसा जब कमाएंगे तो स्टेशन को साफ-सुथरा, मोटल, होटल, वैक्सीन की दुकान, हॉस्पिटल भी बन रहा है, एक से एक लोग आते हैं कि आप हमें लीज पर दीजिए। हम इसकी सूरत संवार देगे। इसलिए यह जो कदम उठाया है और आप हाउस से यह पास हो गया है। इसलिए इसे पास किया जाए और इसमें हम समय-समय पर आपके और जो भी सुझाव होंगे, हम लोग मांगते रहे हैं और बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम उठाया जाता रहा है। रेलवे हमारा है और रेलवे का स्टेशन हमारा है और हमारी जमीन बेवजह से रही है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है और यह हमारी प्राइम लैंड है, इस लैंड को एक तरफ से दोहन करो और वहां पर हर तरह की सुविधा से लैस प्रबन्ध कर सकें, इसलिए माननीय सदन से हमारा अनुरोध है कि इसे पारित किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने हेतु गठित रेल अभिसमय समिति (2004) के दूसरे प्रतिवेदन, जो 28.4.2005 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा संख्या 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मतदान के लिए रेल (संशोधन) विधेयक लेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित रेल अधिनियम 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.08 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों चौदहवीं लोक सभा का पांचवा सत्र जो 25 जुलाई, 2005 को शुरू हुआ था आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र में 24 बैठकें हुईं और लगभग 158 घंटे कार्यवाही चली। दो दिन सभा निधन संबंधी उल्लेख के बाद स्थगित हो गयी थी क्योंकि कुछ पूर्व सदस्यों और एक वर्तमान सदस्य का निधन हो गया था। सत्र के दौरान सभा द्वारा कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाए गए।

सभा द्वारा अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 2005-06;

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2002–03; अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल) 2005–06 और अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल) 2002–03 पर चर्चा तथा मतदान हुआ। सभा ने बिहार बजट पर सामान्य चर्चा की और राज्य के वर्ष 2005–06 के लेखानुदान पर भी मतदान किया।

सभा द्वारा दो कार्य स्थगन प्रस्तावों पर विचार किया गया। पहला सरकार की बंग्लादेश से अवैध रूप से भारी मात्रा में देश की पूर्वी सीमाओं पर हो रही घुसपैठ को रोकने में विफलता से सम्बंधित था और दूसरा नानावती आयोग द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही करने में कथित विफलता में सम्बंधित था। ये दोनों प्रस्ताव सार्थक चर्चा, जो क्रमशः साढ़े चार घंटे और आठ घंटे चली, के उपरांत अस्वीकृत हो गए।

सत्र के दौरान सभा द्वारा 16 विधेयक पारित किए गए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधेयक जो पारित किए गए; नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2005; राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गांरटी विधेयक, 2005 और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक का प्रयोजन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के लिए अपने आपको उपलब्ध कराते हैं, को आजीविका की सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है।

इस उल्लेखनीय सामाजिक कल्याणकारी विधायी उपाय को 13 घंटे से अधिक लंबी चर्चा के उपरांत पारित कर दिया था। सभा द्वारा इस सत्र में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 को पारित करना एक अन्य कल्याणकारी उपाय है जिसका प्रयोजन उन महिलाओं, जिनको परिवार आदि के अंदर हिंसा का शिकार होना पड़ता है, के अधिकारों को प्रभावी बनाना है। विधेयक पर चर्चा के दौरान सभी दलों की महिला सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर हमारे समाज में महिलाओं की दशा के संबंध में जोरदार निवेदन किए। मैं उनको उनके बहुमूल्य भागीदारी के लिए बधाई देता हूं। एक अन्य विधान लिंग समानता के बारे में, कल सभा द्वारा अर्थात हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन), विधेयक, 2005 पारित किया गया। जिसका प्रयोजन पुत्री को पुत्र के समान ही पैतृक सम्पत्ति में अधिकार दिलाना है।

नियम 193 के अधीन अत्यंत लोक महत्व के चार महत्वपूर्ण मामलों पर भी लगभग 20 घंटे से अधिक सभा द्वारा सार्थक लंबी चर्चा की गयी। ये चर्चाएं देश में प्राकृतिक आपदाओं, प्रधान मंत्री के हाल ही के अमरीका के राजकीय दौरे के संबंध में, उनके वक्तव्य, अयोध्या में रामजन्म भूमि परिसर में आक्रमण सहित देश में आतंकवाद और पेट्रोल उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से सम्बन्धित थी। आखिरी मामले पर चर्चा समाप्त नहीं हुई है। सभा ने श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा बिहार राज्य के संबंध में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिघोषणा की समय सीमा बढ़ाए जाने के संबंध में सांविधिक संकल्प और बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति तथा नियम 184 के अधीन राज्य में मुख्य सचिव द्वारा लंबी छुट्टी पर चले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए संयुक्त चर्चा की 6 घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा के उपरांत नियम 184 के अधीन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया और सांविधिक संकल्प स्वीकृत हुआ।

मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि सदस्यों को अत्यंत लोक महत्व के विषयों को विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं द्वारा उठाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि वर्तमान सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण मामलों को उठाया गया और संबंधित मंत्रियों के प्रति उत्तर में वक्तव्य दिए। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 49 वक्तव्य दिए गए। प्रधानमंत्री ने हाल ही में उनकी अमरीका की सरकारी यात्रा के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है वर्तमान सत्र के दौरान 42 गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित किए गए। एक विधेयक अर्थात् बाल श्रम उन्मूलन विधेयक, 2005 जिसका प्रयोजन बाल श्रम की विभीषिका को प्रतिबंधित करना है, पर चर्चा हुई और तदुपरान्त सभा की अनुमति से उसे वापस लिया गया। प्रत्येक गांव में सभी चिकित्सा सुविधाओं से लैस प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने के प्रयोजनार्थ नए अनुच्छेद 47 क को सम्मिलित किए जाने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हुई।

राज्य विधान मंडलों और दोनों सभाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों के आरक्षण के संबंध में सरकार को उपयुक्त विधान बनाने के गैर–सरकारी संकल्प को वापस लेने के पूर्व सभा के सभी पक्षों से समर्थन मिला। उड़ीसा के दो जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल लाइनों के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने के संबंध में संकल्प पर चर्चा आंशिक रूप से हुई।

सत्र के दौरान 439 सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न में से 77 प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए। अर्थात् प्रतिदिन औसतन लगभग 3.5 प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए। मैं माननीय नेताओं सदस्यों से इस संख्या में सुधार लाने के संबंध में सुझाव देने का आग्रह करता हूं। इसके अतिरिक्त दो आधे घंटे की चर्चाएं की गईं और एक अल्प सूचना प्रश्न भी लिया गया। अतारांकित 4594 प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए गए।

इस सत्र में विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के 17 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

सभा में महत्वपूर्ण वर्ष गांठ अर्थात् मुंशी प्रेमचन्द की 125वीं वर्षगांठ और 'भारत छोड़ो' आन्दोलन की 63वी वर्षगांठ तथा जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराये जाने की 69 वीं वर्षगांठ पर उल्लेख किए गए।

माननीय सदस्यों ने महसूस किया होगा कि सत्र के दौरान अर्थात अत्यंत लोक महत्व के मामलों को उठाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ये मामले अब तक शून्य काल में उठाये जाते थे।

कुछ समय से उठाये जाने वाले मामलों की संख्या इतनी अधिक हो गयी थी कि मामलों की विनियमित करना कठिन हो रहा था। इसके अलावा, यह विधायी अथवा अन्य कार्य के लिए आबंटित समय भी ले रहा था। दिनांक 24 जुलाई, 2005 को हुई नेताओं की बैठक में एक नयी प्रक्रिया पर सहमति हुई जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। यह प्रक्रिया दिनांक 1 अगस्त, 2005 से प्रभाव में आ गयी है। अब शून्य काल के दौरान केवल 5 राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों को उठाने की अनुमति है, शेष मामले सदस्यों द्वारा सायं छः बजे के बाद उठाए जाते हैं। सदस्यों द्वारा देर रात्रि में बैठकर अत्यंत लोक महत्व के 350 मामलों को उठाया गया। इस नयी प्रक्रिया से विधायी अथवा अन्य सूचीबद्ध कार्य को निश्चित समयावधि के भीतर पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और सदस्यों को मामले उठाने का अवसर भी निश्चित तौर पर मिल जाता है इसके अलावा माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 273 मामले भी उठाए।

इस सत्र में लगभग 10 घंटे से अधिक समय नष्ट हुआ। अनुशासन भंग करने की एक गंभीर घटना की सभा के सभी वर्गों द्वारा निंदा की गयी और आशा की जाती है कि भविष्य में अनुशासन भंग करने की इस प्रकार की गंभीर घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

इस सत्र के दौरान सभा में व्यवधानों आदि के कारण नष्ट हुए समय क्षतिपूर्ति और सूचीबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए लोक सभा 18 दिन 36 घंटों से अधिक समय के लिए देर रात्रि तक बैठी। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सभा के सभी वर्गों ने सहयोग किया और हृदय से समर्थन किया। मैं सदस्यों की चर्चाओं में जोश और निष्ठापूर्वक भाग लेने की उनकी सामूहिक वचनबद्धता के लिए सराहना करता हूं।

मैं इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को मुझे और सभापति तालिका के मेरे सहयोगियों को सभा के कार्य को निपटाने में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझको और मेरे सहयोगियों को अपना पूरा सहयोग देने के लिए मैं सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों को धन्यवाद देता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रैस और मीडिया को, जो देर रात्रि तक हमारे साथ बैठकर सहयोग करते रहे, धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं मीडिया के अपने मित्रों से अपील करता हूं कि वे सभा की कार्यवाही को कवरेज में अधिक स्थान दें ताकि लोकतंत्र के इन दोनों प्रमुख स्तंभों की गरिमा बढ़ सके। मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों, दूरर्शन, सी.पी.डब्ल्यू.डी. और अन्य अनुषंगी एजेंसियों को सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहायता देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अब माननीय प्रधान मंत्री बोलेंगे।

प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हम लोक सभा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र के समापन पर पहुंच गए हैं। वास्तव में इस सत्र को एक ऐतिहासिक सत्र कहा जा सकता है क्योंकि इस सत्र में लोगों विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कई विधायी कदम उठाए गए हैं और इससे हमारी राजनीतिक व्यवस्था की जड़ें और मजबूत होंगी। महोदय, मैं जानता हूं कि ऐसे अनेक कठिन क्षण आए हैं और मैं एक बार पुनः इस सम्मानित सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में आपकी बुद्धिमता, धैर्य और जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद देता हूं। ...*(व्यवधान)*

तथापि मुझे आशा है कि मेरी इस बात से आप लोग सहमत होंगे कि चौदहवीं लोक सभा के इस सत्र के दौरान हम अधिक कार्य का निष्पादन कर पाए हैं और अधिक सार्थक चर्चाएं कर पाए हैं। मैं आपको और सभा के सदस्यों को इसके लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं। मैं उपाध्यक्ष महोदय और सभापति तालिका को सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वजह से सभा द्वारा काफी अधिक कार्य का निपटान किया गया।

महोदय, सत्र के दौरान निपटाये गए कार्य में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। जिसमें पारित किये गए विधेयक, स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चाएं सम्मिलित हैं। हमने विभिन्न मंत्रियों द्वारा दिये गए 10 वक्तव्यों पर भी चर्चा की इसमें मेरी अमरीका यात्रा में संबंध में दिया गया वक्तव्य भी शामिल है।

चर्चा और भाषण की गुणवत्ता का भी एक आयाम है और निश्चित तौर पर इस सत्र मैं यह उच्च स्तर पर रहा है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ यह नहीं कह सकता कि सभा के कार्यों के निष्पादन में समय के उपयोग में मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ फिर भी मेरा मानना है कि इस सत्र के दौरान काफी विधायी कार्यों को पूरा किया गया।

अध्यक्ष महोदय, आज पूरा विश्व हमें सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में देखता है। हम विकासशील देशों के लिए एक अनूठा उदाहरण है जो इतनी व्यापक विविधिता, के साथ अपनी समस्याओं के हल को मुक्त सामाजिक ढांचे और लोकतंत्र के माध्यम से खोज रहे हैं। मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि कल काबुल में अफगानी संसद की आधारशिला रखे जाने के समारोह में राष्ट्रपति हमीद करज़ई के शब्दों को सुनते हुए मेरा हृदय गर्व से भर गया। राष्ट्रपति करज़ई ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हमारी सफलता ने विकासशील देशों को यह दिखा दिया है कि लोकतंत्र विकसित पूश्चिमी देशों की ही विशेषता नहीं है। वास्तव में "पूर्वी संस्कृति वाले देश भी सफल लोकतांत्रिक राजनीति का उदाहरण रख सकते हैं।"

राष्ट्रपति करज़ई ने कहा "भारत की 100 करोड़ से भी

[डा. मनमोहन सिंह]

अधिक की जनसंख्या में विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों को मानने वाले वे विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं। अपने लोगों को राजनीतिक में भागीदारी की सुविधाएं उपलब्ध कराकर भारत ने स्थिर एवं बहुसंख्यक लोकतंत्र को भारतीयों के लिए एक वास्तविकता बनाया है। सामान्यतः एशियाई और अफ्रीकी देश तथा विशेषकर अफगानिस्तान भारत के प्रचुर अनुभवों से सीख सकता है।" अतः लोकतंत्र के सफल संचालन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता केवल अपने लोगों के लिए ही नहीं है बल्कि विश्व के लोगों को भी यह विश्वास दिलाना है कि हमारा लोकतंत्र वास्तव में हमारे सभी लोगों के लिए कार्यरत है। हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की सफलता के पीछे विश्व के करोड़ों लोगों का हाथ हैं क्योंकि वे भी लोकतंत्र द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता और सम्मान की आकांक्षा रखते हैं।

एक पड़ोसी देश द्वारा व्यक्त ऐसी भावना के प्रति सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा उठा जाता है। लोकतांत्रिक जीवनशैली और शासन प्रणाली अंगीकार करने के प्रति मैं अफगानिस्तान के साहस, सहनशीलता और बुद्धिमता को नमन करता हूं! अफगानिस्तान की स्वतंत्रता और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हम हर संभव सहायता करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जब हम लोकतंत्र के गुणों के बारे में बात करते हैं तो वह मात्र शब्दजाल नहीं होता। मुझे खुशी है कि संसद के इस सत्र में हमारे निर्धनतम लोगों के लिए लोकतंत्र के महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में लाभप्रद रोजगार सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार को इस सत्र के दौरान पारित ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पर गर्व है। सत्ता सम्भालने के समय हमारी सरकार द्वारा किये गए एक वायदे को पूरा किया गया है। अब चुनौती यह है कि इस आश्वासन का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए कि लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे। अब इसका उत्तरदायित्व रोजगार गारंटी अधिनियम को क्रियान्वित करने वालों विशेषकर पंचायती राज संस्थानों पर है। लाभकारी परियोजनाओं के चयन और निधियों के उपयोग में लापरवाही व भ्रष्टाचार के विभिन्न तरीकों को रोकने में अत्याधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

महोदय, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हमारे द्वारा किये गए वायदों या बनाये गए कानूनों पर आधारित नहीं होता। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास तभी जमता है जब लोकतंत्र की विशेषताएं उनके जीवन को प्रभावित करती हैं।

हमें इस बात का भी गर्व है कि इस सत्र में हमने अपनी महिला सशक्तीकरण संबंधी विधान पारित किया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करके अपनी बहनों और बेटियों से बहुत पहले किया गया वायदा पूरा किया गया है। हमारी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा सभी अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण के प्रति भी प्रतिबद्ध है।

महोदय, समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति सजग रहना ही हमारे लोकतंत्र की सही परीक्षा है। हमारे देश के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय में महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण की दिशा में आगे न बढ़ पाने का मुझे दुख है। लेकिन देश की आधी जनसंख्या की इस न्यायोचित मांग के प्रति अपनी वचनबद्धता मैं दोहराता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सम्माननीय नेता श्रीमती सोनियां गांधी जिन्होंने महत्वपूर्ण विधायी कार्य के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में हमारा नेतृत्व किया है और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, उसकी वह अध्यक्ष हैं, के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने लोगों के हितों से जुड़े कार्य करके देश के प्रति कर्तव्यों को पूरा किया है। मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार अपने देश के लोगों की अपेक्षाओं का पूरा करेगी और लोकतंत्र में उनके विश्वास को और सुदृढ़ करेगी।

महोदय, मैं एक बार फिर उपाध्यक्ष महोदय तथा लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों व अधिकारियों का इस सत्र में सभा के कार्य के सफल संचालन हेतु अच्छा कार्य करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, वर्षाकालीन सत्र आज समाप्त हो रहा है और आपने जो वृत्त सुनाया कि हम इस सत्र में कितना काम कर सकें, वह स्वयं में इस बात का परिचायक है कि संसद ने अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाया है। और विपक्ष की ओर से बोलते हुए मुझे इस बात का संतोष है कि इस सत्र में विपक्ष ने जो रचनात्मक भूमिका निभायी है, विपक्ष के नाते अपनी जवाबदारी से सरकार की कमियों को ध्यान दिलाते हुए और आवश्यकता पड़ी तो प्रभावी रूप से उस बात को रखते हुए, हमने कुल मिलाकर इस सारे सत्र में जिस प्रकार का सहयोग दिया, मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार का सही दृष्टिकोण है और इसके लिए आपको, सरकारी पक्ष को, सचिवालय के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं और सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद].

अध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद। माननीय सदस्यगण अब वन्दे मातरम गान के लिए खड़े हो जाएं।

अपराह्न 2.29 बजे

राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.30 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/13/24/ 2005 (एन.)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।